



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<https://rajpatra.hp.gov.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 23 जुलाई, 2026 / 01 श्रावण, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 16th April, 2026

No. TSM-F(5)-11/2012.—In supersession of this department's notification of even number dated 31-03-2023, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to reconstitute the Governing Body

and Executive Committee of the Naldehra Golf Society, District Shimla, H.P. with immediate effect as under:—

GOVERNING BODY

Hon'ble Chief Minister (*ex-officio*) · · *Chief Patron*

Official Member (*ex-officio*):—

1. Pr. Secretary (Tourism & CA) to the GoHP · · *Chairman*
2. Deputy Commissioner, Shimla · · *Member*
3. Director, Tourism & Civil Aviation, HP, Shimla · · *Member*
4. Managing Director, HPTDC · · *Member*
5. Director, Youth Services & Sports, HP · · *Member*

Non-Official Members:—

6. Shri Anil Walia · · *Golf Captain*
7. Dr. Aman Sachdeva · · *Member-Secretary*
8. Shri Manav Singh · · *Member*
9. Shri Shailender Kaushal · · *Member*
10. Shri Baljit Singh · · *Member*

EXECUTIVE COMMITTEE

Official Members (*ex-officio*):—

1. Pr. Secretary (Tourism & CA) to the GoHP · · *Chairman*
2. Deputy Commissioner, Shimla · · *Member*
3. Director, Tourism & Civil Aviation, HP, Shimla · · *Member*
4. Managing Director, HPTDC, Shimla-1 · · *Member*
5. Director, Youth Services & Sports, HP · · *Member*

Non-Official Members:—

6. Shri Anil Walia · · *Golf Captain*
7. Dr. Aman Sachdeva · · *Member-Secretary*
8. Shri Manav Singh · · *Member*

9. Shri Shailender Kaushal

Member

10. Shri Baljit Singh

Member

The tenure of the Governing Body/Executive Committee shall be for a period of 3 years and their functions shall be regulated as per Memorandum of Association/Rules & Regulations of Naldehra Golf Society, Shimla.

By order,

Addl. Chief Secretary (Tourism & CA).

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 22 जुलाई, 2026

संख्या : यू.डी.-ए.(3)-17/2024-सिरमौर.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (6) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर में नगर परिषद नाहन एवं पांवटा साहिब तथा नगर पंचायत राजगढ़ की बाबत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैं :—

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम व पता	
1.	नगर परिषद, नाहन	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
		श्रीमति उपमा धीमान, वार्ड संख्या 03, नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र०।	श्री प्रदीप कुमार, वार्ड संख्या 12, नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र०।
2.	नगर परिषद, पांवटा साहिब	श्रीमती निर्मल कौर, वार्ड संख्या 01, नगर परिषद पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि०प्र०।	श्री इन्द्रजीत सिंह, वार्ड संख्या 09, नगर परिषद पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हि०प्र०।
3.	नगर पंचायत राजगढ़	श्री विक्रम सिंह, वार्ड संख्या 06, नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हि०प्र०।	श्री नरेन्द्र कुमार ठाकुर, वार्ड संख्या 01, नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हि०प्र०।

उपर्युक्त नगरपालिकाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन का परिणाम, जो एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 35733/2026, हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम संजय चौहान आदि में दिनांक 15-06-2026 को पारित आदेश के अनुसार, माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

आदेश द्वारा,

सचिव (शहरी विकास)।

(Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(3)-17/2024-Sirmaur, dated 22-07-2026 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd July, 2026

No. UD-A(3)-17/2024-Sirmaur.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of the President and Vice-President in respect of Municipal Councils Nahan, Paonta Sahib and Nagar Panchayat Rajgarh, District Sirmaur, HP, as under :—

Sl. No.	Name of Municipality	Name & Address of elected President & Vice-President	
		President	Vice-President
1.	Municipal Council, Nahan.	Smt. Upma Dhiman, Ward No. 03 Municipal Council Nahan, District Sirmaur, H.P.	Sh. Pardeep Kumar, Ward No. 12, Municipal Council Nahan, District Sirmaur, H.P.
2.	Municipal Council, Paonta Sahib.	Smt. Nirmal Kaur, Ward No. 01, Municipal Council Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.	Sh. Inderjeet Singh, Ward No. 09, Municipal Council Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
3.	Nagar Panchayat, Rajgarh.	Sh. Vikram Singh, Ward No. 06, Nagar Panchayat Rajgarh, District Sirmaur, H.P.	Sh. Narender Kumar Thakur, Ward No. 01, Nagar Panchayat Rajgarh, District Sirmaur, H.P.

The result of the election of the President and Vice-President of the above-mentioned municipalities, hereby notified, shall be subject to the final outcome of the proceedings pending before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in terms of the order dated 15-06-2026 passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP (C) Diary No. 35733/2026-State of Himachal Pradesh *V/s.* Sanjay Chauhan.

By order,

Secretary (UD).

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE,
BILASPUR, DISTRICT BILASPUR**

NOTIFICATION

Dated the 20th July, 2026

No. I/926978/2026.—In exercise of the Power conferred upon me under Clause 3(1)(e) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Rahul Kumar, I.A.S.,

District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.) do hereby order that the margin fixed *vide* Notification No. I/889234/2026, dated 03 June, 2026 shall remain in force for a further period of two months.

Sd/-
(RAHUL KUMAR, IAS),
District Magistrate,
Bilaspur, District Bilaspur (H.P.).

**FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH DISTRICT BILASPUR**

NOTIFICATION

Dated the 20th July, 2026

No. I/926974/2026.—In exercise of the Power conferred upon me under Clause 3(1)(e) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Rahul Kumar I.A.S., District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.) do hereby order that the rate fixed *vide* Notification No. I/885047/2026, dated 27 May, 2026 shall remain in force for a further period of two months.

Sd/-
(RAHUL KUMAR, IAS),
District Magistrate,
Bilaspur, District Bilaspur (H.P.).

TOURISM DEPARTMENT

CANCELLATION ORDER OF TOURISM UNIT

Dated, 16th July, 2026

No. 100426/72676.—Whereas, Tourism Unit namely Himalayan Bulls Pvt. Ltd. at Village and P.O. Khakhnal, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.), registered/renewed *vide* No. 2-11/2014-MNL-TD-2081, dated 31-10-2017 under the Himachal Pradesh Tourism Dev. & Registration Act-2002.

Whereas, the Prop. of above unit *vide* his/her application dated *vide* No. 1744-47, Dated 16-07-2026 has requested to cancel its Registration Certificate since he/she has cease to operate the Tourism unit with immediate effect.

Therefore, I Dr. Rohit Sharma H.A.S. Deputy Director Tourism/Dist. Tourism Dev. Officer/ATDO in exercise of the power vested in me under section 30 (a) of Himachal Pradesh Tourism Dev. & Registration Act-2002, hereby order to remove the name of the Tourism unit

namely Himalayan Bulls Pvt. Ltd. at Village and P.O. Khakhnal, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.

*Prescribed Authority.
Kullu, District Kullu (H.P.).*

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 16 जुलाई, 2026

संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)8/2021-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ईएक्सएन-14-7/75-पार्ट-II, तारीख 01-06-1989 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-12-1989 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों का सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तार होगा।

(3) यह नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 2 में,—

(क) विद्यमान खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

(1-क) "कृषि अधिकारी" से, जिला के उप-निदेशक कृषि (डी.डी.ए.)/जिला कृषि अधिकारी (डी.ए.ओ.) या इन नियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजन से कृषि विभाग द्वारा नामित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(1-ख) "प्राधिकृत प्रयोगशाला" से, कोई राज्य सरकार की प्रयोगशाला या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्रयोगशाला या राज्य के भीतर या राज्य के बाहर कोई अन्य राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला, प्रत्यापन बोर्ड (एन. ए. बी. एल.) प्रत्यायोजित प्रयोगशाला या बीज, सूखी वनस्पति सामग्री, पुष्प और कैनबिस के पौधे से तात्पर्यित/सम्बंधित अन्य सामग्री की प्रभावशीलता का परीक्षण की अत्याधुनिक सुविधा और उपस्कर वाली कोई राज्य या केन्द्र सरकार की वैज्ञानिक संस्थान प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(1-ग) "प्राधिकृत बीज प्रदाता" से, कोई व्यक्ति जिसे समाहर्ता (आबकारी) द्वारा प्ररूप-सी सी-एस में कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अभिप्रेत है;

(1-घ) "कृषक" से, कोई भू-स्वामी, जो हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी सम्पदा में व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता है, अभिप्रेत है;

(ख) खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) “समाहर्ता” से, हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;”।

(ग) खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(4) “जिला आबकारी अधिकारी” से हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 6 की के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी/जिला प्रभारी अभिप्रेत है;”।

(घ) खंड (4), के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(4-क) “जिला नोडल अधिकारी” से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि विभाग का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;”।

(4-ख) “जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति” से नियम 34-ख के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(4-ग) “पदाभिहित क्षेत्र” से ऐसा सुरक्षित क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस के पौधे (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) के संबंध में जुताई (खेती), निष्कर्षण प्रसंस्करण, उत्पाद, विनिर्माण, भंडारण, सुखाने/परिपक्वन (क्योरिंग), पैकेजिंग, अपशिष्ट निपटान क्षेत्र आदि से संबंधित किसी एक या समस्त कार्यकलापों का संचालन किया जा सकेगा;

(4-घ) “सूखी वानस्पतिक सामग्री” से, कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) या उसका कोई भाग जो फसल कटाई के पश्चात् सूख गया है, अभिप्रेत है;

(4-ङ) “शुल्क देय रकम” से, किसी कर से अनन्य निर्मित कैनबिस के पौधे के उत्पाद का विक्रय मूल्य अभिप्रेत है;

(4-च) “राज्य औषधि नियंत्रक” से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी और जिसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त “निदेशक आयुष-एवं-अनुज्ञापन प्राधिकारी अभिप्रेत है, आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है;

(ड) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(5) “राज्य कर एवं आबकारी का आयुक्त” से हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(6) “आबकारी अधिकारी” से हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अधीन आबकारी अधिकारी की शक्तियों से निवेशित प्रत्येक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है;

(छ) खंड (6) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“6-क. “आवश्यक स्वापक औषधि” से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई ऐसी स्वापक औषधि अभिप्रेत है जिसे औषधीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजन हेतु औषधि विनिर्माण के लिए उपयोग किया जा सकेगा;

"(ज) खंड (7) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

- (7-क) "मादावृत बीज" से ऐसे कैनबिस बीज अभिप्रेत हैं, जिनका मादाकर की प्रक्रिया के माध्यम से विशेष रूप से नर क्रोमोसोम हटाने के लिए प्रजनन किया जाता है, ताकि केवल मादा पौधे उत्पादित किए जाएं; और
- (7-ख) "स्वदेशी बीज" से, वे कैनबिस के पौधे के बीज से अभिप्रेत हैं, जो हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं तथा राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र या परिस्थितिकी तन्त्र के मूल हैं। ऐसे बीजों का स्थानीय स्वदेशी समुदायों द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी परम्परागत रूप से संरक्षण या उपयोग किया जा रहा है तथा ये बीज स्थानीय पर्यावरण, जलवायु और मिट्टी (मृदा) की स्थितियों के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित हैं, जो प्रायः उस क्षेत्र की जैव विविधता और कृषि विरासत का प्रतीक हैं;
- (7-ग) "हरित वानस्पतिक सामग्री" से, कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) या उसका कोई भाग जिसकी ताजा फसल-कटाई गई है, अभिप्रेत है;

(झ) खंड 9 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

- "(9-क) "अनुज्ञप्त खेतिहार" से, कोई कृषक या कृषकों की भागीदारी या स्वयं सहायता समूह या कृषक उत्पादक संगठन (एफ पी ओ) या फसल कटाई पश्चात् प्रचालन के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ या खेती हेतु न्यूनतम भू-जोत या कृषि/उद्यान विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान या किसी राज्य सरकार विभाग की अपेक्षा को पूरा करने के लिए गठित कोई अन्य संगम या सोसाइटी, जिसने हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुज्ञप्त निर्माता को विक्रय के प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधे (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) उगाने के लिए इन नियमों के अधीन प्ररूप सीसी-2 में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है, अभिप्रेत है;"

(ञ) खण्ड 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

- "(10 क) "अनुज्ञप्ति निर्माता" से, कोई व्यक्ति, कंपनी निगम, सार्वजनिक उपक्रम निगमित निकाय, सहकारी समिति या अन्य समिति, क्लब, फर्म, हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब या व्यक्तियों के अन्य संगम से अभिप्रेत है, जिसने औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस के पौधे आधारित उत्पादों या उनके व्युत्पन्नों के कब्जे, प्रसंस्करण तथा विक्रय हेतु इस आदेश के अधीन प्ररूप सीसी-एम में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है;

(ट) खंड (11) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

- "(11-क) कैनबिस के "चिकित्सा प्रयोजन" से रजिस्ट्रिकृत चिकित्सा व्यवसायी की पर्ची के अनुसार कैनबिस से अंतर्दिष्ट औषधियों के निर्माण हेतु कैनबिस के उपयोग संबंधी समस्त क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, जब उसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन समुचित विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित किया गया है, चाहे वह एलोपैथी चिकित्सा पद्धति या आयुष चिकित्सा पद्धति के अधीन हो;" और

(ठ) खंड (14) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

- "(14-क) "कैनबिस के वैज्ञानिक प्रयोजन" से, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कैनबिस का उपयोग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कैनबिस कैनविनॉएड में पाए जाने वाले विभिन्न ज्ञात और अज्ञात फाइटोकैमिकलस पर अनुसंधान है, जिसके अंतर्गत सी.बी.डी. (कैनबिडिओल), सी.बी.डी.ए. टीएचसी (टेट्रा हाइड्रोकैनविनॉल), टी. एच.सी.ए., सी.बी.जी. (कैनबिजेरोल), सी.बी.एन. (कैनविनॉल), टरपेनस, फ्लेवोनॉएडज तक सीमित नहीं के साथ-साथ गृह प्रयोगशाला,

अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, वाणिज्यिक उपक्रमों और औद्योगिक संस्थानों में कार्यान्वित, खेतीबाड़ी, प्रजनन, प्रयोगों, परीक्षणों, विचारणों और अध्ययनों पर अनुसंधान है परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, ”

(14-ख) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;”।

(ड) खंड (15) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(15-क) “राज्य स्तरीय पुनर्विलोकन समिति” से नियम 34-क के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;”

3. नियम 29 का संशोधन.—उक्त नियमों में नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“29. कैनबिस के पौधे की खेती—कैनबिस के पौधे की खेती निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:—

(1) बीजों का उपापन.—चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस या औद्योगिक प्रयोजन के लिए कैनबिस की खेती हेतु अनुज्ञप्तिधारी कृषक द्वारा बीज स्थानीय (स्वदेशी) स्रोतों से, राज्य के भीतर प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ताओं से अन्य राज्यों से निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन आयात करके उपाप्त किया जाएगा, और अन्य राज्यों से बीजों के आयात राज्य के भीतर उपाप्त बीजों (जिसमें स्थानीय/स्वदेशी बीज भी सम्मिलित हैं) की दशा में, कृषक (खेतिहर) अनुज्ञप्ति, ऐसे बीजों की खेती करने से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व, सम्बद्ध जिले के कृषि विभाग के नोडल अधिकारी को बीजों को आयात संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनमें प्राधिकृत प्रदायकर्ताओं द्वारा एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला या किसी अन्य सरकारी प्राधिकृत प्रयोगशाला से जारी विश्लेषण प्रमाण-पत्र होगा जिसके अंतर्गत कैनैबिन्नॉयड की शक्ति और संकेन्द्रण विनिर्दिष्ट करते हुए, बीज के प्रकार (कैनबिस स्त्रीकृत या अन्य), टी0एच0सी0 एवं सी0बी0डी0 सहित कैनैबिन्नॉयड का विवरण अंकित होगा।

(2) प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता के लिए अनुज्ञप्ति.— जो कोई व्यक्ति प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता के रूप में कैनबिस पौधे के बीजों के क्रय, भंडारण और अनुज्ञप्त खेतिहरों को प्रदाय करने हेतु अनुज्ञप्ति करने का आशय रखता है वह उपरोक्त नियमों से संलग्न प्ररूप सीसी-एस -1 में जिला नोडल अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो अपनी अनुशंसाओं सहित आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी अनुशंसाओं सहित उसे संबद्ध आयुक्त (आबकारी) को भेजेगा। संबद्ध परिक्षेत्र के आयुक्त (आबकारी) द्वारा इन नियमों की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के संदाय पर इन नियमों में संलग्न प्ररूप सीसी-एस में एक वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। अनुज्ञप्ति, इन नियमों में संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नवीकरण शुल्क के संदाय पर नवीकरणीय होगी:

परन्तु प्ररूप सीसी-एस में अनुज्ञप्तिधारित प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता इस आदेश के अधीन प्ररूप सीसी-2, सीएच-2, सीसी-एमसी-2, सीएच-एमसी-2 और सीसी-आर में अनुज्ञप्तिधारित अनुज्ञप्तिधारियों के सिवाय से अन्यथा किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को बीज विक्रय करने का प्राधिकृत नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि प्ररूप सीसी-एस में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता अपने परिसर में केवल उन ही बीजों का भंडारण करेगा, जिनके संबंध में प्राधिकृत प्रयोगशाला से विप्लेषण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया गया हो। प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय, राज्य के भीतर या देश के भीतर से

अभिप्राप्त समस्त बीजों का औद्योगिक, चिकित्सा, मादाकृत या अन्य प्रकार के आधार पर स्पष्ट वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पृथक भंडारण किया जाए। इसके अतिरिक्त, बीजों के विक्रय के समय प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता, क्रेता को विक्रय किए गए बीजों की गुणवत्ता के संबंध में विश्लेषण प्रमाण-पत्र जारी करना आज्ञापक रूप से सुनिश्चित करेगा:

परंतु यह और भी कि प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता बीजों के क्रय/प्राप्ति से संबंधित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखेगा तथा समय-समय पर प्राप्त, विक्रय किए गए एवं भण्डार में उपलब्ध बीजों का लेख प्ररूप सीसी-एसआर 1 में अनुरक्षित रजिस्टर में रखेगा तथा मांग किए जाने पर उक्त अभिलेख एवं रजिस्टर को आबकारी और कृषक अधिकारी के समक्ष रखेगा। प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता से संबंधित समस्त अनुज्ञप्तियां अस्तांतरणीय तथा अविक्रय होंगी। किसी भी उल्लंघन में, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए समस्त सुसंगत नियमों के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

(3) कृषि (खेती) के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन,—

(क) चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए क्षेत्र/क्षेत्रों को राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। उक्त क्षेत्र बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सघन एवं भौगोलिक रूप से सतत क्षेत्र तक सीमित होगा। अधिसूचित क्षेत्र में इन नियमों के अधीन खेती हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने आशयित कोई भी व्यक्ति प्ररूप सीसी-1 में चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए कृषि विभाग के संबंधित जिला नोडल अधिकारी को आवेदन करेगा, जो अपनी संस्तुतियों सहित उक्त आवेदन को सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी संस्तुतियों उसे संबंधित समहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। जिला आबकारी अधिकारी से आवेदन एवं संस्तुतियां प्राप्त होने पर समहर्ता (आबकारी) इन नियमों से संलग्न अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के संदाय तथा निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने के अध्यक्षीन, प्ररूप सीसी-2 में चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा:—

- (i) वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से कृषि (खेती) के लिए प्रस्तावित भू-जोत भौगोलिक रूप से किसी संलग्न क्षेत्र में तीन एकड़ से कम नहीं होगा। न्यूनतम क्षेत्र की सीमा सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों को लागू नहीं होगी;
- (ii) आवेदक प्रस्तावित कृषि (खेती) हेतु भूमि के क्षेत्रफल एवं उसकी स्थिति की शुद्धता की पुष्टि करते हुए स्व-प्रमाणित बंध पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो आवेदक की अनुज्ञप्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।
- (iii) आवेदक कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के साथ विनिर्माता के साथ निष्पादित क्रय अनुबंध की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनुबंध कृषक के हितों के संरक्षण तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि पूर्व से ही क्रय द्वारा वापिस लेने की व्यवस्था विद्यमान हो, जिससे कृषक द्वारा उत्पादित फसल का विनिर्माता द्वारा अनिवार्य रूप से क्रय किया जाए। कृषक को पृथक अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी। कृषक तथा विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारी अपनी-अपनी गतिविधियों/संचालन के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी

होंगे। कैनबिस के नियमों एवं शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

- (iv) आवेदक कृषक आवेदन के साथ भूमि का स्थल-योजना, उसके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) निर्देशांक, जियो टैगिंग तथा गोदाम हेतु निर्धारित क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करेगा।
 - (v) आवेदक के पास कटाई चक्र प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसा भाण्डागार उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें इस आदेश के उपबंधों के अधीन बोई गई कैनबिस की फसल का भंडारण किया जा सके तथा जो इन आदेशों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता हो; और
 - (vi) आवेदक, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के समतुल्य राशि की प्रतिभूति, सावधि जमा रसीद को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखकर अथवा बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करेगा।
- (ख) कैनबिस के पौधों की खेती एवं कटाई हेतु कोई अनुज्ञप्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि आवेदक निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण न करता हो, अर्थातः—
- (i) यदि आवेदक कोई व्यक्ति, कृषकों का समूह अथवा कृषक संघ हो, तो वह कृषक अथवा पट्टाधारक होना चाहिए;—
 - (1) यदि आवेदक कोई सहकारी समिति हो, तो उसका पंजीकरण हिमाचल प्रदेश सहकारी समितिया अधिनियम, 1968 के अधीन होना चाहिए; और
 - (2) स्वयं सहायता समूह, हिमाचल प्रदेश के कृषकों का होना चाहिए।
 - (ii) आवेदक किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध न हुआ हो, जिसमें नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, पद अथवा कर्तव्यों का दुरुपयोग, प्रभाव का दुरुपयोग अथवा किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध सम्मिलित हो।
 - (iii) उसके पास स्थल पर अथवा अपने संस्थान में राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से अनुमोदित परीक्षण सुविधा उपलब्ध हो, जिससे सूखी वानस्पतिक सामग्री की सामर्थ्य का परीक्षण किया जा सके; अथवा किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला के साथ ऐसी परीक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो।
- (ग) समाहर्ता (आबकारी), कृषि विभाग के जिला नोडल अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुतियों के आधार पर आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा अथवा प्रदान करने से इंकार कर सकेगा। अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार किए जाने की दशा में समाहर्ता (आबकारी) इसके कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।
- (घ) अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी और इन नियमों से संलग्न अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट नवीकरण शुल्क के संदाय के अध्यक्षीन

की जा सकेगी। यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय तथा अविक्रय होगी। तथापि, अनुज्ञप्तिधारक की मृत्यु होने की दशा में, अनुज्ञप्ति को उसके विधिक उत्तराधिकारी के नाम अंतरण अनुज्ञात किया जा सकेगा।

- (ड) उसके पास सुखे वानस्पतिक पदार्थ की प्रभावकारिता के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायित स्थलस्थित या आंतरिक परीक्षण प्रयोगशाला होगी या इन नियमों के नियम 2 के उपबन्ध (1-ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला सहित परीक्षण की व्यवस्था होगी।
- (च) किसी भी उल्लंघन की दशा में, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और इसके अधीन बनाए गए सुसंगत नियमों के सभी उपबन्ध लागू होंगे।
- (4) प्राधिकृत क्रियाकलाप.—इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, खेती अनुज्ञप्तिधारी इस देश के अधीन निम्नलिखित समस्त अथवा किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए प्राधिकृत होगा, अर्थातः—
- (क) खुले किन्तु चारदीवारी/बाड़ से सुरक्षित क्षेत्र में कैनबिस के पौधों की खेती करना;
- (ख) फसल की कटाई करना;
- (ग) उपज का अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार (वेयरहाउस) में भण्डारण करना; तथा
- (घ) इस आदेश में विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार से उपज का विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई तक परिवहन करना।
- (5) पदाभिहित आबकारी अधिकारी तथा उत्तरदायी प्रभारियों की नियुक्ति—
- (क) (i) जिला आबकारी अधिकारी, इस आदेश के अनुसार कैनबिस के पौधों की खेती की निगरानी हेतु आबकारी अधिकारी जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, को पदाभिहित करेगा।
- (ii) कृषि विभाग का जिला नोडल अधिकारी, इस आदेश के अनुसार कैनबिस के पौधों की खेती के पर्यवेक्षण हेतु एक उपयुक्त अधिकारी को पदाभिहित करेगा।
- (ख) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी कृषक, निरीक्षण हेतु अनुरोध किए जाने पर, उपर्युक्त 5(क)(i) और (ii) में उल्लिखित निरीक्षण प्राधिकारियों को सभी अपेक्षित लेन-देन अभिलेख, वीडियो एवं सुरक्षा कैमरा (सीसीटीवी) रिकॉर्डिंग, लॉगबुक तथा तौल एवं मापन उपकरण निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराएगा। अनुज्ञप्तिधारी कृषक, कैनबिस के पौधे की खेती से संबंधित सभी वर्तमान एवं प्रगतिशील गतिविधियों की सूचना निरीक्षण प्राधिकारियों को देगा तथा यह निरीक्षण प्राधिकारियों का कर्तव्य होगा कि वे अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र एवं भाण्डागार का एक माह में कम से कम एक बार नियमित निरीक्षण करें तथा उसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार करें; और
- (ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी कृषक अपनी ओर से अपेक्षित क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु एक उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा। वह ऐसी नियुक्ति की

सूचना जिला आबकारी अधिकारी को देगा। जिला आबकारी अधिकारी आवश्यक जांच करने के उपरान्त उक्त नियुक्ति का अनुमोदन करेगा। अनुमोदित उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एक पहचान-पत्र जारी किया जाएगा, जिसे वह कार्य अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से अपने साथ धारण करेगा। ऐसा उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, पद अथवा अधिकारों के दुरुपयोग, प्रभाव के व्यापार अथवा किसी भी विधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।

(6) कैनबिस के पौधों की खेती के अधीन क्षेत्र का मापन एवं फसल कटाई प्रक्रिया:—

- (क) कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय आवेदक भूमि के मापन तथा खेती हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति की शुद्धता की पुष्टि करते हुए स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करेगा। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आवेदक की अनुज्ञप्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
- (ख) समस्त मापन मीट्रिक प्रणाली की इकाइयों में किए जाएंगे।
- (ग) आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का विवरण अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय 5(क)(i) और (ii) में उल्लिखित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन होगा। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता होने पर पदाभिहित आबकारी अधिकारी भूमि के मापन का सत्यापन तहसीलदार अथवा इस प्रयोजन हेतु विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य राजस्व अधिकारी से भी करा सकेगा।
- (घ) अनुज्ञप्तिधारी कृषक, बुवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के पंद्रह दिवस के भीतर उस संपूर्ण भूमि का विवरण घोषित करेगा, जिस पर उसके द्वारा कैनबिस के पौधे की खेती की गई है।
- (ङ) खेती पूर्ण होने के पश्चात्, किन्तु फसल कटाई से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी इस आशय का स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि उसने कैनबिस के पौधों की खेती केवल अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में ही की है तथा उसके पास इन नियमों में परिभाषित आवश्यक सुरक्षा तथा इस आदेश में विनिर्दिष्ट विशेषताओं क्षेत्र में भाण्डागार उपलब्ध है। वह इसकी समस्त जानकारी संबंधित सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी को उपलब्ध कराएगा, जो इस संबंध में अपनी रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- (च) यदि सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी यह पाता है कि अनुज्ञप्तिधारी कृषक ने अनुज्ञप्तिप्राप्त में स्वीकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में कैनबिस के पौधे की खेती की है अथवा लागू प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन किया है, तो वह प्रकरण को जिला प्रभारी के माध्यम से समहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। समहर्ता (आबकारी), आवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करेगा तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- (छ) अनुज्ञप्तिधारी कृषक कैनबिस के पौधों की उपज की कटाई तब तक नहीं करेगा, जब तक कि कटाई प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम इक्कीस

दिवस पूर्व इस संबंध में प्राधिकृत कृषि अधिकारी एवं आबकारी अधिकारी को लिखित सूचना न दे दी गई हो तथा जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय के लिखित आदेश प्राप्त न कर लिए गए हों।

(7) सुरक्षा उपाय.—अनुज्ञप्तिधारी कृषक यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सुरक्षा एवं संरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए:—

(क) अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में कैनबिस के पौधों की खेती केवल पूर्णतः घिरे हुए (फेंसिंगयुक्त) एवं नियंत्रित वातावरण, अर्थात् ग्रीनहाउस अथवा पॉलीहाउस में ही की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में एक अथवा एकाधिक ग्रीनहाउस/पॉलीहाउस स्थापित कर सकेगा। अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर के बाहर खुले क्षेत्र में अथवा अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर के भीतर किसी रिक्त खुले क्षेत्र में बीजों की बुवाई अथवा कैनबिस फसल का उगाया जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा।

(ख) खेती एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र की परिधि के चारों ओर सभी दिशाओं से समुचित बाड़बंदी (फेंसिंग) तथा जियो-टैगिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अनुज्ञप्तिधारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश न हो।

(ग) अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर में प्रवेश एवं निकास हेतु केवल एक ही प्रवेश/निकास द्वार होगा।

(घ) खेती का क्षेत्र एवं भंडारण क्षेत्र स्पष्ट रूप से पृथक्करण किया जाएगा तथा भाण्डागार समुचित रूप में तालेबंद रखा जाएगा।

(ङ) खेती क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, निगरानी कैमरे अथवा सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे।

(च) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अनुज्ञप्तिप्राप्त खेती क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा वहां से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(छ) स्थल पर अनधिकृत प्रवेश के प्रत्येक प्रयास अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश का अभिलेख अनुरक्षित करेगा, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे—

(i) घटना की तारीख एवं समय; तथा

(ii) घटना के प्रत्युत्तर में किए गए उपाय तथा उन उपायों को किए जाने की तिथि एवं समय।

(ज) अनधिकृत प्रवेश के प्रत्येक प्रयास अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश की घटना की सूचना घटना घटित होने के चौबीस घंटे के भीतर जिला आबकारी अधिकारी को दी जाएगी। रिपोर्ट में घटना का समस्त आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे, जैसा कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित किया जाए। जिला आबकारी अधिकारी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर के मुख्य बाहरी प्रवेश द्वार के ऊपर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एक सूचना-पट्ट लगाएगा, जिस पर रंगे हुए अक्षरों में निम्नलिखित विवरण अंकित होगा:—

- (i) "कैनबिस की पौधों की खेती हेतु अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर। प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध।"
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, संपर्क विवरण, अनुज्ञप्ति की अवधि स्थापित सीसीटीवी कैमरों की संख्या तथा उसके द्वारा धारित जीपीएस निर्देशक, हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दानों भाषाओं में।
- (iii) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित नारे या पोस्टर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करेगा।
- (8) कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) की कटाई एवं तौल की प्रक्रिया:—
- (क) अनुज्ञप्तिधारी कृषक फसल की कटाई से इक्कीस दिन पूर्व, उपर्युक्त 5 (क) (i) और (ii) में उल्लिखित पदाभिहित अधिकारियों को लिखित रूप में सूचना देगा। प्रयोजन के लिए कटाई से अभिप्राय खेती किए गए क्षेत्र से कैनबिस पौधे को पूर्णतः उखाड़कर हटाना होगा। इसमें पौधों के स्वास्थ्य की दृष्टि से की जाने वाली छंटाई शाखाओं, तनों अथवा पौधे के अन्य भागों का आंशिक निष्कासन, अथवा कीटों, प्रतिकूल मौसम अथवा अन्य कारणों से पूर्णतः नष्ट हो चुके अनुपयोगी पौधों का हटाना सम्मिलित नहीं होगा।
- (ख) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, कटाई के दौरान प्रत्येक दिवस की कैनबिस पौधों की कटाई का अभिलेख प्ररूप सीसी-ए में अनुरक्षित कराएगा। इस अभिलेख में हरित वानस्पतिक पदार्थ तथा शुष्क वानस्पतिक पदार्थ दोनों का तौल विवरण अंकित किया जाएगा।
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति निम्नलिखित अभिलेख दैनिक आधार पर अनुरक्षित करेगा तथा निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर प्रस्तुत करेगा:—
- (i) पौधों की गणना अर्थात् कैनबिस के प्रत्येक पृथक पौधे की संख्यात्मक गणना।
- (ii) प्रत्येक दिवस की हरित वानस्पतिक सामग्री की कटाई पूर्ण होने के उपरांत, उसे अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार में रखने से पूर्व उसका तौल किया जाएगा तथा अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए भाण्डागार को समुचित रूप से तालेबंद रखा जाएगा।
- (iii) प्रत्येक कटाई बैच की कुल उपज का भार तथा उस बैच के हरित वानस्पतिक पदार्थ और शुष्क वानस्पतिक पदार्थ का पृथक-पृथक भार अभिलेखित किया जाएगा।
- (9) कैनबिस के पौधों के भाण्डागार हेतु अनुज्ञप्ति.—कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय आवेदक के लिए भाण्डागार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह आवेदन कृषि विभाग के जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा जो अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो इसे संबंधित जोन के समाहर्ता (आबकारी) को इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क का संदाय पर चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों के भंडारण के लिए प्ररूप सीसी-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु अग्रेषित करेगा। संबंधित जोन का समाहर्ता (आबकारी), उपर्युक्त

अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर प्ररूप सीसी-4 में कैनबिस के पौधे के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा। कैनबिस के पौधों के सुरक्षित संरक्षण का संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा। अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार अनिवार्य रूप से कैनबिस के पौधों के अधिकृत खेती क्षेत्र के भीतर ही स्थित होगा।

(10) परिसर की सुरक्षा एवं संरक्षा-अनुज्ञप्तिधारी कृषक:—

(क) भाण्डागार का अभिकल्प (डिजाइन) इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि उसमें अनधिकृत प्रवेश न हो सके तथा भाण्डारागार में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का अभिलेख अनुरक्षित करेगा। भाण्डारागार के नक्शे/आरेख का संबंधित आबकारी क्षेत्रीय समाहर्ता द्वारा विधिवत अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) कटाई की गई कैनबिस के पौधों का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल एवं भाण्डागार में प्रवेश केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहे, जिनकी उपस्थिति उनके आधिकारिक कर्तव्यों की प्रकृति अथवा उपज की सुरक्षा, विक्रय या पर्यवेक्षण के संबंध में आवश्यक हो।

(घ) अनुज्ञप्ति-प्राप्त भाण्डारागार में प्रवेश करने तथा वहां से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(ङ) परिसर में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, निगरानी कैमरे अथवा सीसीटीवी स्थापित करेगा।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति-प्राप्त परिसर के मुख्य बाह्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एक साइनबोर्ड लगाएगा, जिस पर निम्नलिखित विवरण रंगे हुए अक्षरों में अंकित होंगे]—

(i) “कैनबिस के पौधों” के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति-प्राप्त परिसर। प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध।”

(ii) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, संपर्क विवरण, अनुज्ञप्ति की अवधि जीपीएस निर्देशांक तथा उसके द्वारा स्थापित कैमरों की संख्या, हिन्दी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाओं में।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित नारे अथवा पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

(11) खेती एवं भंडारण का अनुश्रवण— औद्योगिक कैनबिस के पौधों की खेती एवं भंडारण के अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत होंगे:—

(क) राज्य कर एवं आबकारी विभाग का ऐसा अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो।

(ख) कृषि विभाग का ऐसा अधिकारी, जो (एसएमएस/अन्य अधिकारी) अथवा कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित के पद से नीचे की पंक्ति का न हो। ।

(ग) पुलिस विभाग का ऐसा अधिकारी, जो उप-पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, जिसके साथ राज्य कर एवं आबकारी विभाग का कम-से-कम

एक अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, उपस्थित हो।

(घ) राजस्व विभाग का ऐसा अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, जिसके साथ राज्य कर एवं आबकारी विभाग का कम-से-कम एक अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, उपस्थित हो।

(12) कृषक द्वारा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस के निपटान की रीति— इस आदेश के अधीन औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) की खेती हेतु अनुज्ञप्ति धारित करने वाला प्रत्येक कृषक, कैनबिस के पौधे की प्रत्येक कटाई के पश्चात्, इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, उत्पाद को इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अनुज्ञापित प्राप्त गोदाम में स्थानांतरित करेगा। वह कैनबिस के पौधे का निपटान निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात्—

(क) राज्य के भीतर किसी अनुज्ञापित प्राप्त निर्माता को उत्पाद विक्रय करके; परंतु ऐसा कोई उत्पाद जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्ररूप सीसी-टी में जारी परमिट तथा समक्ष प्राधिकारी अधिकारी द्वारा प्ररूप सीसी-पी में जारी परिपत्र के बिना निर्माता को परिवहित नहीं किया जाएगा; या

(ख) यदि परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, तो निम्नलिखित विधियों का पालन करते हुए उसे नष्ट कराकर—

(i) कम्पोस्टिंग पादप अपशिष्ट को कृषि या उद्यानिकी उपयोग हेतु जैविक कम्पोस्ट अथवा मल्य में परिवर्तित करना।

(ii) अवायवीय पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नियंत्रित सूक्ष्मजीवीय पाचन द्वारा जैव-द्रव्य का प्रसंस्करण कर बायोगैस अथवा जैव उर्वरक का उत्पादन करना।

(iii) जैव-प्रसंस्करण पादप अवशेषों को फाइबर बोर्ड इन्सुलेशन अथवा जैव-ईंधन जैसे औद्योगिक इनपुट में परिवर्तित करना।

(iv) भूमि अनुप्रयोग पर्यावरणीय विनियमों के अधीन, अपघटित जैविक पदार्थ को मृदा सुधारक के रूप में भूमि में प्रयोग करना।

(v) अथवा उसे जलाकर या अन्यथा नष्ट कराकर।

अनुज्ञापित प्राप्त कृषक इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी (आबकारी) को पूर्व सूचना देगा, जो इस संबंध में समाहर्ता (आबकारी) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। समाहर्ता (आबकारी), जिला आबकारी अधिकारी की अनुशंसाओं की प्राप्ति पर, उक्त उत्पाद के विनाश हेतु उपयुक्त आदेश पारित करेगा। विनाश की संपूर्ण प्रक्रिया का विधिवत अभिलेखीकरण एवं वीडियोग्राफी की जाएगी। विनाश के उपरांत, जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से समाहर्ता (आबकारी) को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(13) विवरणियों का प्रस्तुतिकरण.—प्रत्येक अनुज्ञापित प्राप्त कैनबिस कृषक तथा भाण्डागार अनुज्ञापितधारी, हर वर्ष प्रत्येक फसल चक्र की पूर्णता के एक माह के भीतर, इस आदेश से संलग्न प्ररूप में विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

4. **नियम 30—क और 30—ख का अंतःस्थापन.**—उक्त नियमों में, नियम 30 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 30—क और 30—ख अतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

“30(क) चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस उत्पादों का प्रसंस्करण एवं विनिर्माण चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस के प्रसंस्करण एवं विनिर्माण पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:—

(1) कैनबिस उत्पादों के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति.—आवेदक जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन करेगा, जो अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन को संबंधित क्षेत्र के समाहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। समाहर्ता (आबकारी) अपनी संस्तुतियों सहित आवेदन को राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त को प्ररूप सीसी-5 में कैनबिस उत्पादों के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अग्रेषित करेगा। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, समाहर्ता (आबकारी) से आवेदन एवं संस्तुतियों प्राप्त होने पर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान पर तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्ररूप सीसी-एम में कैनबिस उत्पादों के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण की अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा, अर्थातः—

(क) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त के पक्ष में गिरवी रखी गई पांच लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा,

(ख) अनुज्ञप्ति का प्रतिवर्ष इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नवीकरण शुल्क के संदाय पर नवीकरण किया जाएगा,

(ग) प्रत्येक विनिर्माण इकाई में एक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी जो इकाई का प्रभारी होगा,

(घ) अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार से प्ररूप सीसी-टी में परिवहन अनुज्ञा-पत्र के माध्यम से प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण इकाई को भेजी गई समस्त कैनबिस उपज, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत इकाई प्रभारी सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में ही प्राप्त की जाएगी। यदि किसी खेप के साथ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी प्ररूप सीसी-टी का परिवहन अनुज्ञा-पत्र तथा भाण्डागार प्रभारी द्वारा जारी प्ररूप सीसी-पी का पास संलग्न न हो, तो आबकारी अधिकारी ऐसी खेप प्राप्त नहीं करेगा,

(ङ) विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में खेप के पहुंचते ही, आबकारी अधिकारी संबंधित इकाई के प्रबंधक अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में तौल करके कैनबिस उपज की मात्रा का सत्यापन करेगा,

(च) इस प्रकार प्राप्त समस्त कैनबिस उपज को “कैनबिस भण्डार कक्ष” नामक भण्डार कक्ष में सुरक्षित रखा जाएगा। विनिर्माण इकाई के प्रभारी आबकारी अधिकारी स्टॉक रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा,

(छ) निष्कर्षण अथवा विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग के प्रयोजन से कैनबिस उपज की केवल उतनी ही मात्रा कैनबिस भण्डार कक्ष से निकाली जाएगी, जिसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर इकाई प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति प्रदान की गई हो। आबकारी

अधिकारी नियमों के अधीन विहित निर्गमन रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा,

- (ज) समस्त तैयार उत्पादों को "तैयार माल भण्डार" में स्थानांतरित किया जाएगा तथा उसका विवरण प्रतिदिन आबकारी अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जो विहित रजिस्टर में स्थानांतरित मात्रा की प्रविष्टि करेगा;
 - (झ) कैनबिस भण्डार कक्ष, विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण क्षेत्र, तैयार माल भण्डार तथा आबकारी अधिकारी का कार्यालय, इकाई के अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर में स्पष्ट रूप से पृथक एवं चिन्हित होंगे;
 - (ञ) राज्य में विनिर्माण इकाई की स्थापना हेतु न्यूनतम पूंजी निवेश 100 करोड़ रुपये होगा,
 - (ट) विनिर्माण इकाइयों पर कैनबिस के पौधों के व्यवसाय के वार्षिक कारोबार पर 3 प्रतिशत की दर से राज्य उपकर अधिरोपण (जिसमें 2 प्रतिशत दुग्ध उपकर/अधिरोपण तथा 1 प्रतिशत पर्यावरण उपकर/अधिरोपण सम्मिलित होगा) लगाया जाएगा। इससे प्राप्त आय पशुपालन विभाग तथा पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित की जाएगी,
 - (ठ) इस नियम के अधीन प्रदत्त सभी संबंधित अनुज्ञप्तियां अहस्तांतरणीय एवं अविक्रय होंगी;
 - (ड) किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के सभी उपबंध लागू होंगे।
- (2) विनिर्माण इकाई द्वारा कैनबिस की खेती हेतु अनुज्ञप्ति— कैनबिस के उत्पादों की खेती के क्षेत्र कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। बेहतर अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्र सघन तथा भौगोलिक रूप से सतत् होंगे।

प्ररूप सीसी-एम में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई भी आवेदक, जो इन आदेशों के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, संबंधित जिला नोडल अधिकारी को प्ररूप सीसी-एमसी-1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिला नोडल अधिकारी अपनी संस्तुति सहित आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी संस्तुति सहित आवेदन को संबंधित समाहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। समाहर्ता (आबकारी), जिला आबकारी अधिकारी से आवेदन एवं संस्तुतियां प्राप्त होने पर, इस आदेश से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान तथा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन प्ररूप सीसी-एमसी-2 में चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन हेतु कैनबिस के पौधों की खेती के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा—

- (क) खेती के लिए प्रस्तावित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक भू-धारण का क्षेत्रफल भौगोलिक रूप से सतत् क्षेत्र में तीन एकड़ से कम नहीं होगा;
- (ख) आवेदक, खेती हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल तथा स्थान की शुद्धता की पुष्टि करते हुए स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करेगा। किसी भी प्रकार की

विसंगति पाए जाने पर आवेदक की अनुज्ञप्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी;

- (ग) कैनबिस संबंधी नियमों एवं शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी;
- (घ) आवेदक कृषक आवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का नक्शा, उसके वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) निर्देशांक, जियो-टैगिंग का विवरण तथा भाण्डागार हेतु नामित क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करेगा;
- (ङ) आवेदक के पास कटाई चक्र प्रारंभ होने से पूर्व इस आदेश के उपबंधों के अधीन उत्पादित कैनबिस के पौधों के उत्पादों के औद्योगिक प्रयोजनों के लिए की उपज के भण्डारण हेतु ऐसा भाण्डागार उपलब्ध होगा, जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों को पूरा करता हो; और
- (च) आवेदक, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के समतुल्य राशि की प्रतिभूति, जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करेगा;
- (छ) आवेदक किसी भी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध न हुआ हो, जिसमें नैतिक अधमता भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, शक्ति अथवा पद का दुरुपयोग, प्रभाव के व्यापार अथवा किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध सम्मिलित हो;
- (ज) आवेदक के पास सूखी वानस्पतिक सामग्री की सामर्थ्य के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थल-स्थित अथवा आंतरिक परीक्षण सुविधा होगी, अथवा इस नियम खण्ड 1 ख में परिभाषित किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला के साथ परीक्षण की व्यवस्था होगी;
- (झ) कृषि विभाग के जिला नोडल अधिकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी की संतुतियों के आधार पर समाहर्ता (आबकारी) अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा अथवा प्रदान करने से इंकार कर सकेगा। अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार किए जाने की स्थिति में, समाहर्ता (आबकारी) उसके कारण लिखित रूप में अभिलिखित करेगा;
- (ञ) अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी तथा इस आदेश से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नवीकरण शुल्क के भुगतान पर उसका नवीकरण किया जा सकेगा। यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय तथा अविक्रेय होगी। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की स्थिति में अनुज्ञप्ति उसके वैध उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरित की जा सकेगी;
- (ट) खेती हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माता, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 तथा राज्य में प्रवृत्त अन्य लागू विधियों के उपबंधों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में खेती हेतु भूमि अर्जित करेगा तथा अपने अधिकार में रखेगा।

- (ठ) प्राधिकृत क्रियाकलाप— इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, खेती संबंधी अनुज्ञप्ति का धारक निम्नलिखित सभी अथवा किसी भी क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए प्राधिकृत होगा—
- (i) पूर्णता बंद और घेराबंदी किए गए क्षेत्र में नियंत्रित वातावरण में कैनबिस के पौधों की खेती करना; अर्थात् ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में खुले क्षेत्र में खेती करना प्रतिबंधित होगा;
 - (ii) फसल की कटाई करना;
 - (iii) उपज का अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागार में भण्डारण करना; तथा
 - (iv) इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागार से उपज का विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई तक परिवहन करना।
- (ड) पदाभिहित आबकारी अधिकारी तथा उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति की नियुक्ति—
- (i) जिला आबकारी अधिकारी, इन नियमों के अनुसार के अधीन कैनबिस के पौधों की खेती के पर्यवेक्षण हेतु सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से निम्न श्रेणी का न होने वाले किसी आबकारी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।
 - (ii) कृषि विभाग का जिला नोडल अधिकारी, इन नियमों के अनुसार कैनबिस के पौधों के उत्पादों के औद्योगिक प्रयोजनों के लिए खेती के पर्यवेक्षण हेतु एक समुचित अधिकारी को पदाभिहित करेगा।
 - (iii) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी कृषक, ण (क)(i) और (ii) में उल्लिखित निरीक्षण प्राधिकारियों को, निरीक्षण हेतु मांग किए जाने पर, सभी आवश्यक संव्यवहार अभिलेख, वीडियो एवं सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग, लॉगबुक तथा तौल एवं मापन उपकरण उपलब्ध कराएगा। अनुज्ञप्तिधारी कृषक, कैनबिस (हेम्प) की खेती से संबंधित सभी वर्तमान एवं प्रगतिशील गतिविधियों की सूचना निरीक्षण प्राधिकारियों को देगा। निरीक्षण प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अनुज्ञप्ति—प्राप्त क्षेत्र तथा भण्डारगृह का नियमित रूप से कम-से-कम माह में एक बार निरीक्षण करें तथा इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
 - (iv) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी कृषक अपनी ओर से आवश्यक गतिविधियों के संचालन हेतु एक उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा। वह ऐसी नियुक्ति की सूचना जिला आबकारी अधिकारी को देगा, जो आवश्यक जांच के उपरांत उक्त नियुक्ति का अनुमोदन करेगा। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति को एक पहचान-पत्र जारी किया जाएगा, जिसे वह कार्यावधि के दौरान अनिवार्य रूप से अपने साथ रखेगा। ऐसा उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, शक्ति अथवा पद के दुरुपयोग, प्रभाव के व्यापार अथवा किसी भी विधि के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।
- (ढ) कैनबिस के पौधों की खेती के अधीन क्षेत्र का मापन एवं फसल कटाई प्रक्रिया:—

- (क) कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय आवेदक भूमि के मापन तथा खेती हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति की शुद्धता की पुष्टि करते हुए स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करेगा। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आवेदक की अनुज्ञप्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
- (ख) समस्त मापन मीट्रिक प्रणाली की इकाइयों में किए जाएंगे।
- (ग) आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का विवरण अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय 5(क)(i) और (ii) में उल्लिखित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन होगा। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता होने पर पदाभिहित आबकारी अधिकारी भूमि के मापन का सत्यापन तहसीलदार अथवा इस प्रयोजन हेतु विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य राजस्व अधिकारी से भी करा सकेगा।
- (घ) अनुज्ञप्तिधारी कृषक, बुवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के पंद्रह दिवस के भीतर उस संपूर्ण भूमि का विवरण घोषित करेगा, जिस पर उसके द्वारा कैनबिस के पौधे की खेती की गई है।
- (ङ) खेती पूर्ण होने के पश्चात्, किन्तु फसल कटाई से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी इस आशय का स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि उसने कैनबिस के पौधों की खेती केवल अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में ही की है तथा उसके पास इन नियमों में परिभाषित आवश्यक सुरक्षा तथा इस आदेश में विनिर्दिष्ट विशेषताओं क्षेत्र में भाण्डागार उपलब्ध है। वह इसकी समस्त जानकारी संबंधित सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी को उपलब्ध कराएगा, जो इस संबंध में अपनी रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- (च) यदि सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी यह पाता है कि अनुज्ञप्तिधारी कृषक ने अनुज्ञप्तिप्राप्त में स्वीकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में कैनबिस के पौधे की खेती की है अथवा लागू प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन किया है, तो वह प्रकरण को जिला प्रभारी के माध्यम से समहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। समहर्ता (आबकारी), आवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करेगा तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- (छ) अनुज्ञप्तिधारी कृषक कैनबिस के पौधों की उपज की कटाई तब तक नहीं करेगा, जब तक कि कटाई प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम इक्कीस दिवस पूर्व इस संबंध में प्राधिकृत कृषि अधिकारी एवं आबकारी अधिकारी को लिखित सूचना न दे दी गई हो तथा जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय के लिखित आदेश प्राप्त न कर लिए गए हों।

(ण) सुरक्षा उपाय:—अनुज्ञप्तिधारी कृषक यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सुरक्षा एवं संरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए:—

- (i) अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में कैनबिस के पौधों की खेती केवल पूर्णतः घिरे हुए (फेंसिंगयुक्त) एवं नियंत्रित वातावरण, अर्थात् ग्रीनहाउस अथवा पॉलीहाउस में ही की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में एक अथवा एकाधिक ग्रीनहाउस/पॉलीहाउस स्थापित कर सकेगा। अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर के बाहर खुले क्षेत्र में अथवा अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर के भीतर किसी रिक्त खुले क्षेत्र में बीजों की बुवाई अथवा कैनबिस फसल का उगाया जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- (ii) खेती एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र की परिधि के चारों ओर सभी दिशाओं से समुचित बाड़बंदी (फेंसिंग) तथा जियो-टैगिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अनुज्ञप्तिधारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश न हो।
- (iii) अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर में प्रवेश एवं निकास हेतु केवल एक ही प्रवेशा/निकास द्वार होगा।
- (iv) खेती का क्षेत्र एवं भंडारण क्षेत्र स्पष्ट रूप से पृथक एवं चिह्नित होंगे तथा भाण्डागार समुचित ताले के अधीन रहेगा।
- (v) खेती क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, निगरानी कैमरे अथवा सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे।
- (vi) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अनुज्ञप्तिप्राप्त खेती क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा वहां से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।
- (vii) अनुज्ञप्तिधारी कृषक, स्थल पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत प्रवेश अथवा अनधिकृत प्रवेश के प्रयास का अभिलेख अनुरक्षित करेगा, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे—
 - (क) घटना की तारीख एवं समय; तथा
 - (ख) घटना के प्रत्युत्तर में किए गए उपाय तथा उन उपायों को किए जाने की तारीख एवं समय।
- (viii) अनधिकृत प्रवेश के प्रत्येक प्रयास अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश की घटना की सूचना घटना घटित होने के चौबीस घंटे के भीतर जिला आबकारी अधिकारी को दी जाएगी। उक्त रिपोर्ट में घटना से संबंधित सभी आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे, जैसा कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित किया जाए। जिला आबकारी अधिकारी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- (ix) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति-प्राप्त परिसर के मुख्य बाह्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एक साइनबोर्ड लगाएगा, जिस पर निम्नलिखित विवरण रंगे हुए अक्षरों में अंकित होंगे—

- (क) "कैनबिस की खेती हेतु अनुज्ञप्ति-प्राप्त परिसर। प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध।"
- (ख) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, संपर्क विवरण, अनुज्ञप्ति की अवधि, जीपीएस निर्देशांक तथा उसके द्वारा स्थापित कैमरों की संख्या, हिन्दी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाओं में।
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित नारे अथवा पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।
- (त) कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) की फसल कटाई एवं तौल की प्रक्रिया—
- (i) अनुज्ञप्तिधारी कृषक, कैनबिस के पौधों की फसल कटाई से कम-से-कम इक्कीस दिन पूर्व उपर्युक्त खंड ड (i) और (ii) में उल्लिखित नामित अधिकारियों को लिखित रूप में सूचना देगा। फसल कटाई से अभिप्राय खेती किए गए क्षेत्र से कैनबिस पौधों का पूर्णतः उन्मूलन होगा। इसमें पौधों के स्वास्थ्य की उद्देश्य से की जाने वाली छंटाई, शाखाओं, तनों अथवा पौधों के भागों को आंशिक रूप से हटाना अथवा कीट, प्रतिकूल मौसम या अन्य कारणों से पूर्णतः नष्ट हो चुके अनुपयोगी पौधों को हटाना सम्मिलित नहीं होगा।
 - (ii) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अथवा उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति, फसल कटाई के दौरान प्रत्येक दिवस की कटाई का अभिलेख प्ररूप सीसी-2क में अनुरक्षित करेगा या अनुरक्षित करवाएगा, उक्त अभिलेख में हरे तथा सुखाए गए वानस्पतिक पदार्थ की पृथक-पृथक तौल का विवरण अंकित किया जाएगा।
 - (iii) अनुज्ञप्तिधारी कृषक अथवा उसका प्राधिकृत व्यक्ति निम्नलिखित अभिलेख प्रतिदिन अनुरक्षित करेगा तथा निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित किए जाने पर प्रस्तुत करेगा,—
 - (क) पौधों की संख्या, अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिगत कैनबिस पौधों की संख्यात्मक गणना।
 - (ख) प्रत्येक दिवस की हरी वानस्पतिक सामग्री की कटाई पूर्ण होने के उपरान्त, उसे अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार में रखने में पूर्व उसकी तौल करेगा तथा भाण्डागार को अनधिकृत प्रवेश से सुरक्षित रखने के लिए विधिवत बंद एवं सुरक्षित रखेगा।
 - (ग) प्रत्येक कटाई बैच के संबंध में फसल का कुल भार, हरी वानस्पतिक सामग्री का भार तथा सुखाई गई वानस्पतिक सामग्री का भार पृथक-पृथक अभिलेखित करेगा।
- (थ) कैनबिस के पौधों के भाण्डागार हेतु अनुज्ञप्ति-कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय, आवेदक के लिए अनिवार्य होगा कि वह कृषि विभाग के जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से भाण्डागार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करे। जिला नोडल अधिकारी अपनी संस्तुति सहित उक्त आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी अनुशंसा

सहित संबंधित क्षेत्र के समाहर्ता (आबकारी) को चिकित्सा अथवा वैज्ञानिक प्रयोजनों हेतु कैनबिस के पौधों के भण्डारण के लिए प्ररूप सीसी-एमसी-3 में, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क के भुगतान पर, प्रदान किए जाने के लिए अग्रेषित करेगा। उपर्युक्त अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर संबंधित क्षेत्र का समाहर्ता (आबकारी), कैनबिस के भण्डारण हेतु प्ररूप सीसी-एमसी-4 की अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा। कैनबिस के पौधों को सुरक्षित अभिरक्षा का पूर्ण दायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा। अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार कैनबिस पौधे के अधिकृत खेती क्षेत्र के भीतर ही स्थित होगा।

(द) परिसर की सुरक्षा एवं संरक्षा-अनुज्ञप्तिधारी कृषक,—

- (i) भाण्डागार का अभिकल्प इस प्रकार करेगा कि उसमें किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके तथा भाण्डागार में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का अभिलेख अनुरक्षित करेगा। भाण्डागार का नक्शा/आरेख संबंधित क्षेत्रीय समाहर्ता (आबकारी) द्वारा विधिवत अनुमोदित कराया जाएगा।
- (ii) कटाई की गई कैनबिस के पौधों के अभिलेख अनुरक्षित करेगा।
- (iii) यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल एवं भाण्डागार में प्रवेश केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो, जिनकी उपस्थिति उनके शासकीय कर्तव्यों की प्रकृति अथवा उपज की सुरक्षा, विक्रय अथवा पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक हो।
- (iv) अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागार में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।
- (v) परिसर में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, निगरानी कैमरे अथवा सीसीटीवी स्थापित करेगा।
- (vi) अनुज्ञप्तिधारी, अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर के मुख्य प्रवेशद्वार के ऊपर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एक साइनबोर्ड लगाएगा, जिस पर रंगीन अक्षरों में निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे,—
 - (क) "कैनबिस के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर । प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध"
 - (ख) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, संपर्क विवरण, अनुज्ञप्ति की अवधि, जीपीएस निर्देशांक, तथा उसके द्वारा स्थापित सीसीटीवी कैमरों की संख्या, हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी या दोनों भाषाओं में अंकित होगी।
 - (ग) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित जन-जागरूकता संबंधी स्लोगन अथवा पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

(ध) कैनबिस के पौधों की खेती एवं भाण्डागार की निगरानी,—कैनबिस के पौधों की खेती एवं भण्डारण भाण्डागार की निगरानी हेतु निरीक्षण करने

के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्.—

- (i) राज्य कर एवं आबकारी विभाग का ऐसा अधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो।
 - (ii) कृषि विभाग का ऐसा अधिकारी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ अथवा कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकारी के पद से नीचे के पंक्ति का न हो।
 - (iii) पुलिस विभाग का पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का अधिकारी, जो निरीक्षण के समय राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी या उससे उच्च पंक्ति के कम-से-कम एक अधिकारी की साथ होगा।
 - (iv) राजस्व विभाग का तहसीलदार या उससे उच्च पंक्ति का अधिकारी जो निरीक्षण के समय राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी या उससे उच्च पंक्ति का कम-से-कम एक अधिकारी साथ होगा।
- (न) कृषक द्वारा कैनबिस के पौधों के निपटान की रीति.—इन नियमों के अधीन चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस के पौधों (चरस एवं गांजा को उपवर्जित करके) की खेती करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक कृषक, कैनबिस पौधों की प्रत्येक फसल की कटाई के उपरांत, उन नियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उपज को इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिप्राप्त भाण्डागार में स्थानांतरित करेगा। वह कैनबिस के पौधों का निपटान निम्नलिखित रीति से करेगा,—
- (i) राज्य के भीतर किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माता को उपज का विक्रय करके परंतु यह है कि ऐसी कोई भी उपज, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्ररूप सीसी-टी में जारी अनुज्ञापत्र तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप सीसी-पी में जारी परिपत्र के बिना विनिर्माता तक परिवहित नहीं की जाएगी, अथवा
 - (ii) यदि परिस्थितियों ऐसी अपेक्षा करें, तो निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि द्वारा उसका विनाश कराके.—
- (क) कम्पोस्टिंग— पादप अपशिष्ट को कृषि अथवा उद्यानिकी उपयोग हेतु जैविक कम्पोस्ट अथवा मल्व में परिवर्तित करना।
 - (ख) अवायवीय अपघटन—ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नियंत्रित सूक्ष्मजीवी अपघटन द्वारा जैव-पिण्ड का प्रसंस्करण कर बायोगैस अथवा जैव उर्वरक का उत्पादन करना।
 - (ग) जैव-प्रसंस्करण— पादप अवशेषों का रूपांतरण औद्योगिक उपयोग की सामग्रियों, जैसे फाइबर बोर्ड, इन्सुलेशन सामग्री अथवा जैव-ईंधन में करना।
 - (घ) भूमि पर उपयोग—पर्यावरणीय विनियमों के अधीन विघटित जैविक पदार्थ का मृदा-संशोधक के रूप में भूमि पर उपयोग करना।

(ड) अग्नि द्वारा दहन अथवा अन्य किसी विधि से उसका विनष्टीकरण कराना।

अनुज्ञप्तिधारी कृषक इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व सूचना देगा, जो अपनी संस्तुति सहित प्रकरण समाहर्ता (आबकारी) को प्रेषित करेगा। समाहर्ता (आबकारी), जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर उक्त उपज के विनष्टीकरण के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करेगा। विनष्टीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का समुचित अभिलेखीकरण तथा वीडियोग्राफी की जाएगी। विनष्टीकरण के उपरांत, जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से समाहर्ता (आबकारी) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

- (प) विवरणियों का प्रस्तुतिकरण.—प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त कैनबिस कृषक तथा अनुज्ञप्तिधारी भण्डारणगार, प्रत्येक फसल चक्र की समाप्ति के एक माह के भीतर, विहित प्ररूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (फ) किसी उल्लंघन की दशा में, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के सभी उपबंध लागू होंगे।
- (3) अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण परिसरों की सुरक्षा एवं संरक्षा— प्रत्येक अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित प्रबंध सुनिश्चित करेगी, अर्थात्—
- (क) परिसर का अभिकल्प इस प्रकार किया जाएगा कि अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके।
- (ख) प्रत्येक परिसर को ऐसी भौतिक परिधि से घेरा जाएगा, जो किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोकने में सक्षम हो।
- (ग) परिसर की परिधि की पूरे समय दृश्य अभिलेखन उपकरणों द्वारा निगरानी की जाएगी, जिससे परिसर में किसी भी प्रयासित अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश का पता लगाया जा सके। ऐसे उपकरण, जिन परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जा रहा हो, उनमें किसी भी प्रयासित अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश तथा किसी भी अवैध गतिविधि का दृश्य अभिलेखन करने में सक्षम होंगे।
- (घ) परिसर की परिधि को ऐसे अतिक्रमण पहचान तंत्र द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, जो निरंतर क्रियाशील रहे तथा परिसर में किसी भी प्रयासित अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश तथा उक्त प्रणाली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के प्रयास अथवा वास्तविक छेड़छाड़ का पता लगाने में सक्षम हो उक्त अतिक्रमण पहचान तंत्र की भी पूरे समय निगरानी की जाएगी।
- (ड) प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण इकाई में प्रवेश करने वाले अथवा वहां से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का अभिलेख अनुरक्षित किया जाएगा।
- (च) परिसर में किसी भी प्रयासित अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश का अभिलेख अनुरक्षित किया जाएगा, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप में सम्मिलित होंगे—

- (i) घटना की तारीख एवं समय; तथा
 - (ii) घटना के प्रत्युत्तर में किए गए उपायों का विवरण, जिसमें ऐसे उपाय किए जाने की तारीख एवं समय भी विनिर्दिष्ट होगा;
- (छ) किसी भी प्रकार के प्रयासित अथवा वास्तविक अनधिकृत प्रवेश अथवा पहुँच की घटना की सूचना घटना घटित होने के चौबीस घंटे के भीतर जिला आबकारी अधिकारी को दी जाएगी। ऐसी सूचना में घटना से संबंधित वे सभी आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे, जिनकी अपेक्षा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जाए। जिला आबकारी अधिकारी अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (ज) जिस कक्ष अथवा कक्षों में कैनबिस के पौधों के उत्पाद, कच्चा कैनबिस अथवा कैनबिस तेल का भण्डारण किया जाता है, उन पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग का राजस्व ताला लगाया जाएगा।
- (झ) अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एक सूचना-पट्ट लगाएगा, जिस पर निम्नलिखित विवरण हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाओं में स्पष्ट एवं स्थायी अक्षरों में अंकित होंगे, अर्थात्:—
- (i) “कैनबिस उपज/उत्पाद के प्रसंस्करण एवं विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर। प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध।”
 - (ii) अनुज्ञप्तिधारक का नाम, संपर्क विवरण, अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि, जी.पी.एस. निर्देशांक तथा परिसर में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों की संख्या।
 - (iii) अनुज्ञप्तिधारक राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित नारे अथवा पोस्टर परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
- (4) विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले लेखे.—इन नियमों के अधीन कैनबिस का कब्जा रखने वाली प्रत्येक अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई—
- (क) समय-समय पर प्राप्त, उपयोग की गई तथा भण्डार में उपलब्ध कैनबिस उपज का लेखा इन नियमों के अधीन अनुरक्षण रजिस्टर में रखेगी। यह लेखा स्पष्ट, शुद्ध एवं दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा तथा ऐसा रजिस्टर (डिजिटल रजिस्टर सहित) आबकारी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित होगा। क्रय से संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि में क्रय की तिथि, मूल्य, उस अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक का नाम तथा पता, जिससे क्रय किया गया है, सहित सभी आवश्यक विवरण अंकित किए जाएंगे।
 - (ख) लेखा-पुस्तकों एवं अभिलेखों का अनुरक्षण इस प्रकार किया जाएगा कि उनसे इन नियमों के अधीन दायित्वों, उत्तरदायित्वों तथा अनुपालन का सत्यापन किया जा सके तथा अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान अथवा किसी धनवापसी या रियायत जिसका दावा किया गया हो अथवा प्राप्त की गई हो का सत्यापन संभव हो।

(ग) उपर्युक्त लेखों को लेखा-पुस्तक में की गई अंतिम प्रविष्टि की तिथि से कम-से-कम पाँच वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा तथा आबकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कैनबिस उपज की खपत तथा वर्ष के अंतिम दिन उपलब्ध भण्डार के संबंध में राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपेक्षित सूचना आबकारी अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि, इन नियमों के अधीन अनुरक्षित किए जाने वाले लेखों एवं अभिलेखों के अतिरिक्त, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, आदेश द्वारा, इन नियमों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य अभिलेखों के विनिर्दिष्ट प्ररूप में अनुरक्षण तथा ऐसी विवरणियों को प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दे सकेगा।

(5) अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन:- कोई भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, निजी प्रतिष्ठान अथवा प्ररूप सीसी-एम में कैनबिस उत्पादों के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारक, अनुसंधान एवं सीसी विश्लेषणात्मक परीक्षण के प्रयोजनार्थ प्ररूप सीसी-7 में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला प्रभारी को आवेदन कर सकेगा। जिला प्रभारी अपनी संस्तुतियों सहित उक्त आवेदन संबंधित समाहर्ता को अग्रेषित करेगा, जो अपनी संस्तुतियों सहित उसे राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, अर्थात्:-

(क) यदि आवेदक कोई व्यक्ति है, तो उसे किसी भी विधि के अधीन नैतिक अधमता भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, शक्ति अथवा पद के दुरुपयोग, प्रभाव के दुरुपयोग अथवा मादक द्रव्य से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया होना चाहिए।

(ख) यदि आवेदक कोई संस्था, शासकीय विभाग, निजी प्रतिष्ठान अथवा प्ररूप सीसी-एम में कैनबिस उत्पादों के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारक है, तो उसके सभी हस्ताक्षरकर्ता भागीदार अथवा हितधारक किसी भी विधि के अधीन नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, शक्ति अथवा पद के दुरुपयोग, प्रभाव के दुरुपयोग अथवा मादक द्रव्य से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं होने चाहिए।

(ग) अनुसंधान कार्य के संबंध में आवेदक प्रस्तावित अनुसंधान परिकल्पना की एक प्रति राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

(घ) चिकित्सीय और वैज्ञानिक परीक्षण के प्रयोजनार्थ औषधीय एवं वैज्ञानिक उपयोग हेतु कैनबिस की खेती के लिए क्षेत्र अथवा क्षेत्र राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा क्षेत्र सुसंगठित एवं भौगोलिक दृष्टि से संतत

होगा। कैनबिस की खेती केवल अधिसूचित क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में ही की जाएगी।

(6) अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना—

अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट शुल्क के संदाय पर, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं परीक्षण के प्रयोजनार्थ प्ररूप सीसी-आर में अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्:—

(क) यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय तथा अविक्रेय होगी।

(ख) अनुज्ञप्तिधारक अनुसंधान एवं परीक्षण के प्रयोजनार्थ खेती से संबंधित अपनी समस्त गतिविधियाँ केवल अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार ही संचालित करेगा।

(ग) अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के प्रयोजनार्थ कैनबिस की खेती का क्षेत्रफल दो हजार वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारक अनुसंधान एवं परीक्षण के प्रयोजनार्थ उत्पादित, प्राप्त तथा उपयोग की गई कैनबिस की प्रत्येक खेप का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारक परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात्, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त कर, परीक्षण हेतु उसे वितरित किसी भी लॉट अथवा बैच के कैनबिस के सभी नमूनों तथा उन नमूनों से प्राप्त समस्त कैनबिस का परीक्षण पूर्ण होने की तिथि से नब्बे दिवस के भीतर विनाश करेगा।

(च) खेती, अनुसंधान तथा भण्डारण क्षेत्रों की परिधि के चारों ओर समुचित घेराबंदी तथा भू-अंकन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर में किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रवेश न हो।

(छ) अनुज्ञप्तिधारक स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करेगा। उपर्युक्त उपबंधों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, परिस्थितियों के अनुसार, अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा निरस्त की जा सकेगी।

(ज) अनुज्ञप्ति का धारक निम्नलिखित गतिविधियाँ कर सकेगा, अर्थात्—

(i) कैनबिस की खेती करना;

(ii) कैनबिस (चरस एवं गांजा को उपवर्जित करके) का कब्जा रखना/धारित करना;

(iii) कैनबिस (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) का प्रसंस्करण करना;

(iv) अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट स्थलों के मध्य कैनबिस (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) का परिवहन करना, भेजना अथवा परिदान करना; तथा

- (v) वैज्ञानिक अथवा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए किसी भी विधि द्वारा कैनबिस (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के रासायनिक अथवा भौतिक गुणों में परिवर्तन करके उसका उत्पादन करना।

परन्तु यह कि, अनुज्ञप्तिधारक के कब्जे में विद्यमान किसी भी उपज अथवा उत्पाद का किसी भी प्रकार से विक्रय अनुज्ञेय नहीं होगा।

- (झ) इन नियमों के किसी भी उपबंध के उल्लंघन की दशा में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के सभी उपबंध लागू होंगे।

(7) कैनबिस उपज के परिवहन हेतु परमिट एवं परिपत्र.—

- (क) इन नियमों के अधीन कैनबिस उपज की प्राप्ति तथा उसके परिवहन के लिए कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति परमिट प्रदान किए जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।
- (ख) जिला आबकारी अधिकारी, आवश्यक समझी जाने वाली जांच करने के पश्चात् तथा इन नियमों से संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर, प्ररूप सीसी-टी में परमिट जारी कर सकेगा।
- (ग) परमिटधारक अपने परमिट में विनिर्दिष्ट कैनबिस उपज केवल इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिप्राप्त स्रोतों से ही प्राप्त करेगा।
- (घ) कैनबिस की प्रत्येक खेप के साथ संबंधित भाण्डागार (वेयरहाउस) के प्रभारी सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी अथवा राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी द्वारा प्ररूप सीसी-पी में जारी परिपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा।
- (ङ) कैनबिस (चरस एवं गांजा को उपवर्जित करके) का समस्त परिवहन, यथास्थिति, केवल जी.पी.एस. सक्षम यंत्रों के माध्यम से ही किया जाएगा।

(8) अनुज्ञप्ति में संशोधन:— प्ररूप सीसी-एम कैनबिस के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक, अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से सक्षम अनुज्ञप्ति प्रदाता प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात्, उपयुक्त आदेश पारित करेगा। अनुज्ञप्ति में संशोधन केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में ही किया जा सकेगा, अर्थात्—

- (क) उस स्थल अथवा स्थल के भीतर स्थित भवन के पते में परिवर्तन, जहां अनुज्ञप्ति के अधीन गतिविधि संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अथवा
- (ख) यथास्थिति, स्वामी, भागीदार, निदेशक, क्लब सोसायटी अथवा अन्य विधिक इकाई के नाम में परिवर्तन:

परन्तु यह कि, यदि अनुज्ञप्तिधारक स्थल योजना में ऐसा परिवर्तन करना चाहता है, जिसके कारण भौतिक सुरक्षा संबंधी उपायों में परिवर्तन अथवा अतिरिक्त

सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता हो, तो वह उक्त परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारक की पहचान.—

(क) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक, कैनबिस से संबंधित सभी कार्यों, जिनमें विज्ञापन, क्रय आदेश, प्रेषण दस्तावेज तथा चालान सम्मिलित हैं, में अपनी पहचान उसी नाम से करेगा, जो उसकी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है।

(ख) अनुज्ञप्तिधारक अथवा कंपनी के निदेशक, यथास्थिति, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जहा आवश्यक हो, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्या के रूप में अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

(10) कैनबिस की खेती, प्रसंस्करण एवं विनिर्माण पर प्रतिबंध:—कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार किए जाने के अतिरिक्त कैनबिस की खेती, प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण में संलग्न नहीं होगा।

(11) शास्ति संबंधी उपबंध—

(क) यदि इन नियमों के अधीन कोई अनुज्ञप्तिधारक इन नियमों में विनिर्दिष्ट लेखों एवं अभिलेखों का संधारण करने अथवा समय पर विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्यथा उपबंधित न होने की दशा में, वह बीस हजार रुपये से कम तथा पचास हजार रुपये से अधिक नहीं की शास्ति का भागी होगा।

(ख) इस नियम के पूर्वगामी उपबंध के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व समाहर्ता (आबकारी) द्वारा संबंधित अनुज्ञप्तिधारक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(12) विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई द्वारा विभिन्न कैनबिस उपज पर देय फीस.—

(क) प्ररूप सीसी-एम में अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई, अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक के भण्डारणगार से अपने परिसर तक कैनबिस उपज प्राप्त करने हेतु परमिट प्राप्त करने से पूर्व, सरकार को प्राप्त की गई कच्ची अथवा अर्ध-प्रसंस्कृत कैनबिस उपज पर पच्चीस रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्ति फीस का भुगतान करेगी।

(ख) इसके अतिरिक्त, विनिर्माण इकाई कैनबिस तथा अन्य सभी कैनबिस उत्पादों के उत्पादन पर, विधि के अधीन लागू अन्य सभी शुल्कों एवं अधिरोपणों के अतिरिक्त, शुल्क योग्य राशि के पंद्रह प्रतिशत के बराबर उत्पादन शुल्क सरकार को अदा करेगी। यह उत्पादन शुल्क संबंधित माह की मासिक विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व शासकीय कोषागार में जमा किया जाएगा।

(13) कैनबिस उपज के विनाश की प्रक्रिया.—

(क) जब इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई के कब्जे में विद्यमान कोई कैनबिस उपज अथवा उत्पाद

उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो ऐसी इकाई उसे विनाश के लिए तत्काल प्राधिकृत आबकारी अधिकारी को सुपुर्द करेगी। आबकारी अधिकारी इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से समाहर्ता (आबकारी) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समाहर्ता (आबकारी) उक्त उपज अथवा उत्पाद के विनाश के लिए दो आबकारी अधिकारियों तथा एक राजस्व अधिकारी की एक समिति गठित करेगा। विनाश की सम्पूर्ण प्रक्रिया का समुचित अभिलेखीकरण तथा वीडियो अभिलेखन किया जाएगा। विनाश के उपरांत समिति इस संबंध में अपना प्रतिवेदन समाहर्ता (आबकारी) को प्रस्तुत करेगी।

(ख) यदि अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माता, विनष्ट की गई उपज अथवा उत्पाद की मात्रा पर प्राप्ति शुल्क तथा उत्पादन शुल्क का भुगतान कर चुका हो, तो उसके आवेदन पर समाहर्ता (आबकारी), अपने द्वारा निर्धारित सीमा तक, उक्त प्राप्ति शुल्क एवं उत्पादन शुल्क की धन वापसी का आदेश पारित कर सकेगा।

(14) उत्पादन शुल्क का भुगतान तथा विवरणिया प्रस्तुत करना.—

प्रत्येक कैनबिस विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई माह के दौरान उत्पादित कैनबिस तेल अथवा निष्कर्षित टी.एच.सी. पर देय उत्पादन शुल्क का भुगतान करेगी। वह प्रत्येक अनुवर्ती माह के तीस दिवस के भीतर विहित प्ररूप में मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगी, जिसमें अपने द्वारा किए गए क्रय, उत्पादन तथा विक्रय का पूर्ण विवरण अंकित करेगी। जिस अनुज्ञप्तिधारक के पास एक से अधिक अनुज्ञप्तिया होंगी, वह प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए पृथक् विवरणी प्रस्तुत करेगा।”।

30—ख. अनुज्ञप्तियों के अनुदान एवं नवीकरण को नियंत्रित करने वाले विनियम.—

1. प्रत्येक अनुज्ञप्ति किसी निश्चित अनुज्ञप्तिधारक को किसी विनिर्दिष्ट परिसर के संबंध में प्रदान की जाएगी।
2. अनुज्ञप्ति केवल निम्नलिखित को प्रदान की जा सकेगी, अर्थात्—
 - (i) किसी व्यक्ति को;
 - (ii) भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित किसी कंपनी को;
 - (iii) हिमाचल प्रदेश सहकारी समितिया अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी सहकारी समिति को;
 - (iv) किसी साझेदारी फर्म को;
 - (v) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार को;
 - (vi) किसी पट्टाधारक को;
 - (vii) किसी सरकारी विभाग को; तथा
 - (viii) किसी सरकारी वचनबंध को।

3. किसी व्यक्ति को अथवा किसी निगमित निकाय की दशा में उसके किसी भी निदेशक या भागीदार को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी, यदि वह किसी भी विधि के अधीन नैतिक अधमता भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, शक्ति अथवा पद के दुरुपयोग, प्रभाव के दुरुपयोग अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो।
4. जब उपर्युक्त खंड 2 में निर्दिष्ट किसी कंपनी, सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, शासकीय विभाग अथवा शासकीय वचनबंध को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, तब अनुज्ञप्ति में ऐसे व्यक्ति का नाम अभिकर्ता के रूप में अंकित किया जाएगा, जो अनुज्ञप्तिधारक की ओर से कार्य करेगा तथा जो भारत के आपराधिक न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होगा। संबंधित कंपनी, सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, शासकीय विभाग अथवा शासकीय वचनबंध के आवेदन पर, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने अथवा उसका नवीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रतिनिधि अभिकर्ता को परिवर्तित कर सकेगा।
5. जब किसी ऐसे सांझेदारी फर्म को, जो किसी अधिनियम के अधीन निगमित नहीं है, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, तब उस सांझेदारी फर्म के सभी भागीदारों के नाम अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
6. सांझेदारी की दशा में, सभी मूल भागीदारों के लिखित आवेदन पर, अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी भागीदार को किसी भी समय जोड़ सकेगा अथवा हटा सकेगा।
7. सांझेदारी फर्म को प्रदत्त अनुज्ञप्ति, सांझेदारी के विघटन पर समाप्त होने योग्य होगी; तथापि, इससे सरकार को हुई किसी हानि के लिए तथा सांझेदारी फर्म द्वारा सरकार के प्रति उपगत सभी दायित्वों के निर्वहन के लिए भागीदारों का संयुक्त एवं पृथक् उत्तरदायित्व अप्रभावित रहेगा।
8. किसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण तब माना जाएगा, जब सक्षम प्राधिकारी उसकी वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसी अनुज्ञप्तिधारक को उसी परिसर के संबंध में उसे जारी रहने की अनुमति प्रदान करे, और जहां कोई अनुज्ञप्ति समर्पण, निरस्तीकरण, नवीकरण न किए जाने अथवा किसी अन्य कारण से समाप्त होने योग्य हो गई हो, अथवा जहां ऐसे परिसर या ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे पूर्व में अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई थी, अनुज्ञप्ति जारी किया जाना प्रस्तावित हो, वहां नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. नियम 33 का संशोधन.—उक्त नियमों में, नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“33. औषधीय अथवा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस उपज का कब्जा, परिवहन आदि.—

औषधीय अथवा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस का कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, क्रय, उपभोग अथवा उपयोग निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्,—

1. अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक द्वारा परिवहन.—कैनबिस की खेती हेतु अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक, इन नियमों के अधीन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी प्ररूप सीसी-टी में परिवहन परमिट

तथा संबंधित सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी अथवा राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी से सीसी-पी में परिपत्र प्राप्त करने के उपरान्त, अपने भाण्डागार से अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माता तक अपनी उपज (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) का परिवहन कर सकेगा। परिवहन के दौरान कैनबिस की सुरक्षित अभिरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक का होगा। जिला आबकारी अधिकारी परिवहन परमिट चार प्रतियों में तैयार करेगा। इनमें से एक प्रति आवेदक को प्रदान की जाएगी; दूसरी प्रति विनिर्माण इकाई के प्रभारी अधिकारी को प्रेषित की जाएगी; तीसरी प्रति, यथास्थिति, उस बंदरगाह अथवा उस स्थान पर स्थित आबकारी प्राधिकारी को भेजी जाएगी जहां डिपो स्थित है, तथा चौथी प्रति जिला आबकारी अधिकारी अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

2. अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक द्वारा विक्रय:— कोई भी अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषक इन नियमों में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अतिरिक्त कटाई की गई कच्ची अथवा अर्ध-प्रसंस्कृत कैनबिस उपज का निस्तारण नहीं करेगा।
3. व्यक्ति द्वारा कब्जा:— परिवहन के प्रयोजनार्थ, कोई भी व्यक्ति उस मात्रा से अधिक कैनबिस उपज का कब्जा नहीं रखेगा, जिसके परिवहन अथवा अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माता या प्रसंस्करण इकाई को आपूर्ति किए जाने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया है।
4. अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई द्वारा कैनबिस का परिवहन
 - (क) जिला आबकारी अधिकारी, किसी भी अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई को इन नियमों से संलग्न प्ररूप सीसी-टी में, परमिट में विनिर्दिष्ट कटाई की गई कैनबिस उपज के परिवहन हेतु परमिट प्रदान कर सकेगा।
 - (ख) खंड (i) के अधीन परमिट प्रदान करते समय जिला आबकारी अधिकारी परमिट चार प्रतियों में तैयार करेगा। इनमें से जिला आबकारी अधिकारी तीन प्रतियां अनुज्ञप्ति तैयार होगा, एक प्रति आवेदक को प्रदान की जाएगी; दूसरी प्रति विनिर्माण इकाई के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी; तीसरी प्रति, यथास्थिति, उस बंदरगाह अथवा उस स्थान के आबकारी प्राधिकारी को भेजी जाएगी जहां डिपो स्थित है; और चौथी प्रति जिला आबकारी अधिकारी अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।
 - (ग) अनुज्ञप्तिप्राप्त विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में प्ररूप सीसी-टी में जारी परिवहन परमिट में उस जिले के अनुज्ञप्तिप्राप्त कृषकों के नाम विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनसे कटाई की गई उपज प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
 - (घ) परमिट जारी करने वाला प्राधिकारी एक रजिस्टर संधारित करेगा, जिसमें उसके द्वारा जारी किए गए समस्त परमितों का पूर्ण अभिलेख रखा जाएगा।
 - (ङ) कटाई की गई कैनबिस की प्रत्येक खेप के साथ भाण्डागार के प्रभारी सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी अथवा राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी द्वारा प्ररूप सीसी-पी में जारी परिपत्र अनिवार्य रूप में संलग्न होगा। भाण्डागार का प्रभारी एएसटीइओ/एसटीइओ उक्त परिपत्र चार प्रतियों में तैयार करेगा, जिनमें से एक प्रति आवेदक को प्रदान की जाएगी, दूसरी प्रति विनिर्माण इकाई के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी, तीसरी प्रति, यथास्थिति, उस बंदरगाह उस स्थान के आबकारी प्राधिकारी को भेजी जाएगी जहां डिपो या स्थित है; चौथी प्रति भाण्डागार के प्रभारी एएसटीइओ/एसटीइओ अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

- (5) मार्ग में खेप का निरीक्षण.—राज्य कर एवं आबकारी विभाग का सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी या उससे उच्च श्रेणी का कोई भी अधिकारी, किसी भी समय परिवहनाधीन कैनबिस की किसी भी खेप का निरीक्षण कर सकेगा। यदि ऐसे निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी यह पाता है कि परिवहनाधीन कैनबिस की मात्रा इन नियमों के अधीन जारी परमिट एवं परिपत्र की शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप नहीं है, तो वह उक्त खेप को अभिरुद्ध करेगा तथा इसकी सूचना समाहर्ता आबकारी को देगा। समाहर्ता (आबकारी), परमिट एवं परिपत्र धारक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, उक्त खेप को समपहत कर सकेगा। इन निबंधनों एवं शर्तों के अधीन की गई ऐसी कार्यवाही, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए परमिट एवं परिपत्र धारक के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं मानी जाएगी।

6. नियम 33—क से 33—ज तक का अंतःस्थापन.—उक्त नियमों में, नियम 33 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

33—क. अनुज्ञप्ति का समर्पण, निलंबन एवं निरस्तीकरण.—

- (1) यदि इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई अनुज्ञप्तिधारक अपनी अनुज्ञप्ति का समर्पण करना चाहता है, तो वह अपनी ऐसी मंशा की लिखित सूचना अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को देगा। उक्त प्राधिकारी, आवश्यक समझी जाने वाली जांच करने के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारक से सूचना प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति निरस्त करेगा।
- (2) यदि इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई अनुज्ञप्तिधारक इन नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो उसे युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसकी अनुज्ञप्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी तथा उसके विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
- (3) जब इस नियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति इन नियमों के नियम 54(1) के अधीन निलंबित अथवा निरस्त कर दी जाती है, तब ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाला अनुज्ञप्तिधारक अपने कब्जे में विद्यमान समस्त कैनबिस उपज प्राधिकृत आबकारी अधिकारी को सुपुर्द करेगा। प्राधिकृत आबकारी अधिकारी इस संबंध में समाहर्ता (आबकारी) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा समाहर्ता (आबकारी), राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से उसका निस्तारण करेगा।

33—ख छूट: पूर्वगामी नियमों में निहित कोई भी उपबंध राज्य सरकार द्वारा कैनबिस के क्रय, कब्जे अथवा विक्रय पर लागू नहीं होगा।

33—ग अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसरों का निरीक्षण.—राज्य कर एवं आबकारी विभाग का सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी या उससे उच्च श्रेणी का कोई अधिकारी तथा उप निदेशक, कृषि द्वारा पदाभिहित कृषि विकास अधिकारी अथवा कृषि प्रसार अधिकारी या उससे उच्च श्रेणी का कोई अधिकारी, दिन अथवा रात्रि में किसी भी समय तथा अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह कम-से-कम एक बार, निम्नलिखित अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसरों में प्रवेश कर उनका निरीक्षण कर सकेगा—

(क) खेती एवं भाण्डागार क्षेत्र;

(ख) प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण इकाई;

(ग) अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण क्षेत्र।

यदि उपर्युक्त अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसरों में किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

- 33—घ समपहत वस्तुओं अथवा सामग्री का निस्तारण.—अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन समपहत किए गए, मादक औषधि से भिन्न सभी वाहन, वस्तुएं अथवा अन्य सामग्री का, जहां अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, समाहर्ता (आबकारी) अथवा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से निस्तारण किया जाएगा।
- 33—ङ देयों की भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूली.—इन नियमों के अधीन देय कोई भी परमिट शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क, शास्ति अथवा अन्य कोई देय राशि, हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।
- 33—च अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन.—अनुज्ञप्तिधारक तथा परमिटधारक अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए इन नियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करेंगे। अधिनियम अथवा इन नियमों के किसी भी उपबंध का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारक अथवा परमिटधारक के विरुद्ध अधिनियम तथा इन नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 33—छ व्यक्तिगत उपयोग पर प्रतिबंधः— अनुज्ञप्तिधारक तथा परमिटधारक अपने खेत में उगाए गए कैनबिस पौधे से औषधीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए अनुमत भाग के अतिरिक्त किसी अन्य भाग का उपयोग, उपभोग, विक्रय अथवा परिवहन नहीं करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय करने की अनुमति देंगे। अनुज्ञप्तिधारक अपने खेत में उगाए गए पौधे के किसी भी भाग का भण्डारण, परिवहन अथवा निस्तारण इन नियमों के उपबंधों के अनुसार करेगा।
- 33—ज सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.—अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उनके अधीन किए गए किसी आदेश के अंतर्गत सद्भावपूर्वक किए गए अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति, जो इस अधिनियम, नियमों या आदेश के अधीन कोई शक्ति का प्रयोग कर रहा हो अथवा कोई कर्तव्य या दायित्व निर्वहन कर रहा हो, के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, आरंभ अथवा संचालित नहीं की जाएगी।”।

7. नियम 34—क से 34—ग तक का अंतःस्थापन.—उक्त नियमों में, नियम 34 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

- “34—क (क) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन करेगी, जो गैर—मादक प्रयोजनों हेतु कैनबिस की खेती, भण्डारण, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण, परिवहन तथा अनुसंधान के विनियमन से संबंधित प्रक्रियाओं, जैसे—बीज बैंक की स्थापना, बीज वितरण, उपज की खरीद, औद्योगिक एवं औषधीय इकाइयों की स्थापना, शुल्क/उपकर का निर्धारण, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, समितियों का गठन, व्यवसाय सुगमता हेतु प्रक्रिया पुनः अभिकल्पन आदि के संबंध में निर्णय लेने हेतु एकल खिडकी प्रणाली उपलब्ध कराएगी तथा संबंधित विभागों को अनुशंसा/सुझाव प्रस्तुत करेगी।

(ख) राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित होंगे—

क्रम संख्या	पदनाम	पद
1.	हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रशासनिक सचिव	अध्यक्ष
2.	हिमाचल प्रदेश सरकार, कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव	सदस्य
3.	हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव	सदस्य
4.	ए.डी.जी.पी. सी.आई.डी एवं अध्यक्ष, ए.एन.टी.एफ.	सदस्य
5.	आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी हिमाचल प्रदेश	सदस्य सचिव
6.	निदेशक, उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
7.	निदेशक, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
8.	निदेशक, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
9.	निदेशक (आयुष)—एवं—अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
10.	निदेशक, सी.एस. के. कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश तथा डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय, नौणी, हिमाचल प्रदेश अथवा उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11.	राज्य औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हिमाचल प्रदेश	सदस्य

राज्य सरकार, उचित कृत्य के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाने पर अधिसूचना द्वारा उप-नियम (क) में उल्लिखित प्राधिकारी में किसी सदस्य को सम्मिलित अथवा हटाने का आदेश दे सकेगी। राज्य स्तरीय समीक्षा समिति प्रगति की समीक्षा हेतु प्रत्येक छह माह में कम-से-कम एक बार बैठक आयोजित करेगी।

34—ख राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक जिला स्तरीय समिति का गठन करेगी, जो क्षेत्र स्तर पर खेती की निगरानी करेगी — हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेगी, क्षेत्रीय स्तर पर कैनबिस नियमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी, तथा राज्य स्तरीय समीक्षा समिति को सुझाव/अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

जिला स्तरीय समिति में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित होंगे—

1.	जिला दण्डाधिकारी—	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक—	सदस्य
3.	उप निदेशक, कृषि सदस्य—	सचिव
4.	जिला आबकारी अधिकारी—	सदस्य
5.	उप निदेशक, उद्यान विभाग—	सदस्य
6.	प्रभागीय वन अधिकारी—	सदस्य
7.	जिला राजस्व अधिकारी—	सदस्य
8.	औषधि निरीक्षक—	सदस्य
9.	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी—	सदस्य

जिला स्तरीय समीक्षा समिति अनुपालन, जारी की गई अनुज्ञप्तियों तथा राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाने वाली अनुशंसाओं की समीक्षा हेतु कम-से-कम त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेगी।

34—ग (क) कैनबिस नियमों के सुचारु कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विनिर्माण इकाई के लिए एक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की तैनाती की जा सकेगी। प्रत्येक पांच कृषक अनुज्ञप्तिधारकों के लिए एक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी/राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की तैनाती की जा सकेगी।

(ख) प्रभावी निगरानी हेतु प्रत्येक पांच कृषक/उत्पादक अनुज्ञप्तियों के लिए एक होमगार्ड/पुलिस कर्मी और कार्यबल की तैनाती की जा सकेगी।

8. **नियम 69 के स्थान पर प्रतिस्थापन.**—नियम 69 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्, —

“69. अपील, (1) अपील निम्नलिखित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी—

(क) जब आदेश किसी आबकारी अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, तब समाहर्ता (आबकारी) के समक्ष;

(ख) जब आदेश समाहर्ता (आबकारी) द्वारा पारित किया गया हो, तब राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त के समक्ष।

परन्तु यह कि

(i) जब प्रथम अपील में मूल आदेश की पुष्टि कर दी जाती है, तब उसके विरुद्ध कोई अन्य अपील नहीं होगी; तथा

(ii) जब ऐसा कोई आदेश समाहर्ता (आबकारी) द्वारा संशोधित अथवा निरस्त किया जाता है, तो आगे की अपील, यदि कोई हो, में राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।”

9. **नियम 70 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 70 के खंड (क) में अंक “30” के स्थान पर अंक “60” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. **नियम 72 का संशोधन.**—नियम 72(1) में शब्द “वित्त आयुक्त या” का लोप किया जाएगा।

11. **नियम 74 के पश्चात् इन नियमों में संलग्न अनुसूची—1 अन्तस्थापित की जाएगी।**

12. **प्ररूप एमडी—एक्स के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्**

“प्ररूप सीसी—एस 1, प्ररूप सीसी—एस, प्ररूप सीसी—एस आर—1, प्ररूप सीसी—1 प्ररूप सीसी —2, प्ररूप सीसी—2क, प्ररूप सीसी—3, प्ररूप सीसी —4, प्ररूप सीसी—5, प्ररूप सीसी—एम, प्ररूप सीसी—एम सी—1, प्ररूप सीसी—एम सी—2 प्ररूप सीसी —एम सी —3, प्ररूप सीसी—एम सी —4, प्ररूप सीसी —7, प्ररूप सीसी—आर, प्ररूप सीसी—टी, प्ररूप सी सी—पी,”:—

"अनुसूची-I"

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति के प्रकार	फीस
1.	सीसी-एस (बीज प्रदायकर्ता के लिए अनुज्ञप्ति)	₹25000 / -
	नवीकरण	₹25000 / -
2.	सीसी-2 (कृषक अनुज्ञप्ति) अर्थात्: भांग की खेती (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) हेतु और चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों हेतु वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹3,00,000 / - प्रति बीघा
	चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों हेतु कृषकों की अनुज्ञप्ति के लिए नवीकरण वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹3,00,000 / - प्रति बीघा
3.	सीसी-4 भांग (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के भाण्डागार हेतु अनुज्ञप्ति	₹10,000 / -
4.	सीसी-एम (विनिर्माण अनुज्ञप्ति) अर्थात् चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों हेतु भांग (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के प्रसंस्करण/विनिर्माण के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹2,00,00,000 / -
	नवीकरण	₹2,00,00,000 / -
	सीसी-एम सी-2 (विनिर्माता की कृषक अनुज्ञप्ति) अर्थात्: भांग की खेती (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) हेतु चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹10,00,000 / - प्रति बीघा
	नवीकरण	₹10,00,000 / - प्रति बीघा
	सीसी-एमसी-4, भांग के (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) भाण्डागार हेतु अनुज्ञप्ति	₹10,000 / -
5.	सीसी-आर, भांग (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के अनुसंधान और विप्लेषणात्मक परीक्षण हेतु अनुज्ञप्ति	₹1,00,000 / -
6.	सीसी-टी, कटाई की गई कैनबिस (भांग) के अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति	₹2,000 / -

प्ररूप सीसी-एस 1

[नियम 29(2) देखें]

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन बीजों का क्रय, भण्डारण एवं आपूर्ति प्रदाय हेतु प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र।

सेवा में

जिला नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला

सत्यापित
फोटोग्राफ
चिपकाएं

महोदय/महोदया,

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी नियम, 1989 के अधीन कैनबिस बीजों के क्रय, भण्डारण एवं आपूर्ति प्रदाय हेतु प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता की अनुज्ञप्ति।

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. स्थायी पता.....
4. प्रस्तावित दुकान का पता.....
5. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा कि उसे किसी अज्ञातमानतीय अपराध के अधीन अभियोजित किया गया है न ही उसके विरुद्ध विधि न्यायालय में कोई मामला लम्बित है या निगमित निकाय इसके कोई निदेशक या भागीदार किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वत, धोखाधड़ी, शक्तियों या कृत्यों के दुरुपयोग, प्रभावयुक्त व्यापार अन्तर्वलित हो, दोष सिद्ध नहीं ठहराया गया हो, अथवा कि आवेदक ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 आवेदन करने की तारीख के पश्चात् वर्गीकरण वर्षों के दौरान किए गए अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है। यदि कोई व्यक्ति या निदेशक अथवा नियमित निकाय का निदेशक या भागीदार नियमित रूप से पुर्ननिवेदन के किसी शासकीय कार्यक्रम में लगा हुआ हो तो यह उपबन्ध लागू नहीं होगा।

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पता

तारीख

मोबाइल नम्बर

प्ररूप सीसी-एस
[नियम 29(2)देखें]

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन कैनबिस (भांग) के प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता के लिए अनुज्ञप्ति।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारक का नाम

सुपुत्र

निवासी

राज्य

स्थान

तहसील

जिला

को निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर ₹ की अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर कैनबिस (भांग) बीज विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह अनुज्ञप्ति से तक विधिमान्य होगी।
2. यह अनन्तरणीय होगी।
3. अनुज्ञप्ति अधिनियम और तद्वद्दीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी आदेशों के प्रावधानों का पालन करेगा।
4. समाहर्ता (आबकारी) उक्त नियमों 33-क के अनुसार अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा।
5. इस अनुज्ञप्ति का धारक प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता पूर्वोक्त नियमों के अधीन प्रारूप सीसी-2, सीएच-2, सीसी-एमसी-2, सीएच-एम-सी-2 और सीसी-आर में अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्तियों से अन्यथा अनुज्ञप्तिधारियों को बीज का विक्रय करने हेतु प्राधिकृत नहीं होगा।
6. इस अनुज्ञप्ति का धारक प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता अपने परिसरों में केवल उन्ही बीजों का ही भण्डारण करेगा जिनकी बाबत प्राधिकृत प्रयोगशाला से विप्लेषण का प्रमाणपत्र और भारत के बाहर से आयातित बीजों की दशा में आयात के दस्तावेजों के साथ प्राप्त प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है। प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता सुनिश्चित करेगा कि आयायित बीज और भारत में उत्पादित बीज स्पष्टता वर्गीकृत किए गए हैं। पृथक्कीकृत किए गए हैं और पृथक्कृत: भण्डारित किए गए हैं। अनुज्ञप्ति धारी वैध परिवहन अनुज्ञा-पत्र (परमिट) के बिना अपनी उपज के किसी भी भाग का परिवहन नहीं करेगा।
7. प्राधिकृत बीज प्रदायकर्ता बीजों के उपापन के सम्बन्ध में अभिलेख रखेगा और समय-समय पर प्राप्त विक्रीत और स्टॉक में रखे बीजों के लेखे इन नियमों के अधीन आयुक्त द्वारा विहित किए जाने वाले रजिस्टर में अनुरक्षित करेगा और मांग पर उन्हें आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्रारूप सीसी-एस आर-1

[नियम 29(2)]

कैनबिस (भांग) बीज का स्टॉक रजिस्टर
प्राप्त बीज की मात्रा का ब्यौरा

तारीख	दिन के प्रारम्भ में मात्रा प्रारम्भिक अधिशेष	क्रम संख्या	मात्रा	जिससे प्राप्त हुआ तारीख और समय सहित व्यक्ति का नाम और पता	प्रेषण नोट बिल नम्बर तारीख	बीज की मात्रा की बाबत प्रयोगशाला प्रमाणपत्र की रिपोर्ट	स्टॉक की ग्राम/ किलोग्राम में कुल मात्रा

बिक्रीत/वितरित/उपयुक्त बीजों की मात्रा के ब्यौरे।

क्रम संख्या	मात्रा	जिस बिक्रीत/उपयुक्त किए गए व्यक्ति का नाम और पता तथा परिसर की अवस्थिति भी दी जाए	तारीख और समय के साथ जारी किए गए प्रेषण नोट/बीजक के साथ परिवहन की पद्धति तथा मान संख्या	समाप्त होने वाले दिन की समाप्ति पर स्टॉक की मात्रा	आद्याक्षर

टिप्पणी:— मात्रा ग्रामों/किलोग्राम इत्यादि में उपदर्शित की जाएगी।

दिन-प्रतिदिन आधार पर रिकार्ड का अनुरक्षण किया जाएगा और प्रविष्टियां स्थापनों पर प्रत्येक उस दिन का की जाएगी जब वे कार्य के लिए खुले हैं, इस बात को विचार में लाए बिना कि उनमें कोई संव्यवहार होता है या नहीं को की जाएगी और प्रविष्टियां दिन समाप्त होने से पूर्व प्रत्येक दिन की जाएगी तथा प्रभारी रजिस्टर में अपने आद्याक्षर करेगा।

प्रविष्टियां की जाएगी कि वे कार्य के लिए खुली है उस बात को विचार में लिए बिना कि इसमें कोई संव्यवहार हुआ है या नहीं और प्रविष्टियां प्रत्येक दिन के लिए दिन समाप्त होने से पूर्व पूर्ण कर ली गई हैं तथा प्रभारी रजिस्टर में आद्याक्षर करेगा।

रजिस्टर में (अनवरत) पृष्ठ संख्यांक होंगे।

प्ररूप सीसी-1 (नियम 29 देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियमों, 1989 के अधीन चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन।

सेवा में,

जिला नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला

सत्यापित
फोटोग्राफ
चिपकाए

महोदय/महोदया,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी नियम, 1989 के अधीन कैनबिस की खेती के लिए, अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. पता
4. भूमि के ब्यौरे जहां पर कैनबिस की खेती की जानी है

5. खसरा एवं खतौनी संख्या
6. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र
7. गोदाम के ब्यौरे
8. अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा.....रुपये का (कोष संख्या) और हिम एवं जी.आर.एल. संख्या.....
9. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा कि उसे न तो किसी अजामानतीय अपराध के अधीन अनियोजित किया गया हो न ही उसके विरुद्ध विधि न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज/उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पता

तारीख

मोबाइल नम्बर

प्ररूप सीसी-2
(नियम 29 देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयाजनों के लिए कैनबिस (भांग) (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारक का नाम

सुपुत्र श्री निवासी राज्य स्थान

तहसील जिला भूमि का ब्यौरा भूमि का क्षेत्र खसरा संख्या.....

खतौनी संख्या..... जीपीएस निर्देशांक.....को निम्नलिखित निबधनों शर्तों पर

रुपये की अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर कैनबिस (भांग) चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती करने की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है—

1. यह अनुज्ञप्ति से तक विधिमान्य रहेगी।
2. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय होगी।
3. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी विनियमों का पालन करेंगे।

4. समाहर्ता (कलैक्टर) नियम 33-क के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी कैनबिस या उसके किसी भाग का उपयोग हो तो अपने निजी उपयोग के लिए करेगा न किसी अन्य व्यक्ति को इसके किसी भाग का उपयोग करना अनुज्ञात करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम और इन नियमों के अनुसार अपने उत्पादों का समुचित अभिलेख अनुरक्षित करेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी उसके उत्पाद के किसी भाग के विधिमान्य परिवहन अनुज्ञप्तियों के बिना परिवहित नहीं करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञाप्त परिसरों खेतों से अन्यथा किसी अन्य खेत में कैनबिस (भांग चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती नहीं करेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अधीन उपबंधित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करेगा।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
जारी करने वाला प्राधिकारी।

प्ररूप सीसी-2 क
(नियम 29 और 30 क देखें)

कैनबिस के पौधों की कटाई का अभिलेख

अनुज्ञप्तिधारी खेतीहर द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले हरित वानस्पतिक सामग्री के तारीखवार अभिलेख

बैच संख्या	तारीख	समय	भार (किलोग्राम में)	पदाभिहीत आबकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के पश्चात् टिप्पणी, यदि कोई हो

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पदाभिहीत आबकारी अधिकारी द्वारा मापे जाने के पश्चात् अनुरक्षित किए जाने वाले सूखी वानस्पतिक सामग्री के अभिलेख

बैच संख्या	तारीख	समय	भार (किलोग्राम में)	अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	पदाभिहीत आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप सीसी-3
[नियम 29 (9) देखें]

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (भांग, चरस और गांजा को अपवर्जित करके) के भाण्डागार के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

सेवा में

जिला नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला

अनुप्रमाणित
फोटोग्राफ
चिपकाएं

श्रीमान/श्रीमती,

कृपया उपरोक्त नियमों के अधीन कैनबिस के गोदाम के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. पता
4. भाण्डागार के ब्यौरे जहां पर कैनबिस भण्डारित किया जाना है
5. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र
6. रुपये की अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या तारीख और हिम एवं जी.आर.एन. संख्या.....)
7. खेतीहर के अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया)

आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अभियोजित किया गया हो न ही उसके विरुद्ध विधिक न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक आषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज / उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
तारीख	मोबाइल नम्बर

“प्ररूप सीसी-एस 4”
[नियम 29 (9) देखें]

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के भाण्डागार के लिए अनुज्ञप्ति ।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारी का नाम

प्ररूप सीसी-2 में अनुज्ञप्ति संख्या.....

परिसर का विवरण जहां विक्रय और परिवहन के लिए कैनबिस का भण्डारण किया जाएगा.....

.....

.....

श्री.....

पुत्र.....

पता.....

को निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर कैनबिस (भाग) (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के थोक भण्डारण की अनुज्ञप्ति जारी की जाती है.—

1. यह अनुज्ञप्ति..... से तक विधिमान्य होगी
2. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय होगी
3. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करेगा।
4. वह भण्डारित कैनबिस का कोई भाग न तो स्वयं उपयोग करेगा और न ही अन्य व्यक्तियों को इसका कोई भाग उपयोग करना अनुज्ञप्त करेगा।
5. जब तक इस बाबत क्षेत्र के समाहर्ता (कलैक्टर) द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाती, अनुज्ञप्तिधारी कैनबिस का कोई भाग किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को अंतरित नहीं करेगा
6. अनुज्ञप्त परिसर में रखे स्टॉक का अनुज्ञप्तिधारी उचित अभिलेख और रजिस्टर अनुरक्षित करेगा
7. अनुज्ञप्तिधारी तोल और माप के लिए मानक उपकरण रखेगा
8. उक्त अधिनियम और नियमों के उल्लंघन की किसी दशा या क्षेत्र के समाहर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
हिमाचल प्रदेश
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप सीसी-5
[नियम 30 (क) देखें]

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस के प्रसंस्करण या विनिर्माण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

सेवा में

जिला प्रभारी

जिला.....

सत्यापित
फोटोग्राफ
चिपकाएं

महोदय/महोदया,

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी नियम, 1989 के अधीन चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस के प्रसंस्करण या विनिर्माण अनुज्ञाप्ति जारी करने की कृपा करें।

1. आवेदक का नाम और पदनाम
2. पिता का नाम
3. इकाई का नाम
4. पता
5. अनुज्ञाप्ति फीस का विवरण रुपए.....(टी0 आर0 कोष संख्या, तारीख और हिम जी आर एन संख्या).....
6. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के लिए अभियोजित किया गया है न ही उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई मामला लम्बित है और इस आशय का भी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तद्धीन बनाए नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रसंस्करण विनिर्माण और अकेले ही उत्तरदायी होगा।

स्थान	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
तारीख	मोबाइल नम्बर

प्ररूप सीसी-एम
(नियम 30-क देखें)

अनुज्ञाप्ति के लिए प्रसंस्करण/विनिर्माण

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) के प्रसंस्करण या विनिर्माण अनुज्ञाप्ति।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञाप्तिधारक का नाम

पता

निम्नलिखित निबधनों शर्तों के अनुसार कैनबिस उत्पाद के प्रसंस्करण या विनिर्माण अनुज्ञाप्ति प्ररूप: सीसी-एम के रूप में अनुज्ञाप्ति.....को प्रदान किया जाता है.—

1. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय है
2. अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों में अधिकथित परिसर की सुरक्षा तथा अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी आयुक्त से प्ररूप सीसी-टी में परमिट अभिप्राप्त करने के पश्चात केवल अनुज्ञप्त कृषक से ही कैनबिस उपापत और परिवहन करेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अध्याधीन बनाए गए नियमों के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अनुपालना करेगा।
5. अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।
6. वह इन नियमों के अधीन यथा विहित सुरक्षा और अभिरक्षा उपायों का सख्ती से अनुसरण करेगा।

जारी करने की तिथि:

आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप सीसी-एमसी-1
(नियम 3 क देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन विनिर्माण इकाई को चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

सेवा में

जिला नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला

सत्यापित
फोटोग्राफ
चिपकाएं

महोदय/महोदया,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी नियम, 1989 के अधीन कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. पता
4. भूमि का ब्यौरा जिस पर कैनबिस की खेती की जानी है.....
5. खसरा एवं खतौनी संख्या.....

6. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र.....
7. भाण्डागार के ब्यौरे.....
8. अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा.....रुपये (कोष संख्या) और हिम एवं जी.आर.एल. संख्या
9. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा उसे न तो किसी अजमानतीय अपराध के अधीन अभियोजित किया गया है न ही उसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज/उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पता

तारीख

मोबाइल नम्बर

प्ररूप सीसी-एमसी-2

(नियम 30 क देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन विनिर्माण इकाई को चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारक का नाम

सुपुत्र श्री.....निवासी.....राज्य.....स्थान.....

तहसील.....जिला.....भूमि का ब्यौरा.....भूमि का क्षेत्र.....खसरा संख्या.....

खतौनी संख्या.....जीपीएस निर्देशांक.....को निम्नलिखित निबंधनों शर्तों पर.....रुपये की अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर कैनबिस (भांग, चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती करने की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है—

1. यह अनुज्ञप्ति से तक विधिमानय रहेगी।
2. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय होगी।
3. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी विनियमों का पालन करेंगे।
4. समाहर्ता (कलैक्टर) नियम 33-क के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा।

5. अनुज्ञाप्तिधारी कैनबिस या उसके किसी भाग का उपयोग हो तो अपने निजी उपयोग के लिए करेगा न किसी अन्य व्यक्ति को इसके किसी भाग का उपयोग करना अनुज्ञात करेगा।
6. अनुज्ञाप्तिधारी अधिनियम और इन नियमों के अनुसार अपने उत्पादों का समुचित अभिलेख अनुरक्षित करेगा।
7. अनुज्ञाप्तिधारी उसके उत्पाद के किसी भाग के विधिमान्य परिवहन अनुज्ञाप्तियों के बिना परिवहित नहीं करेगा।
8. अनुज्ञाप्तिधारी, अनुज्ञाप्त परिसरों, खेतों से अन्यथा किसी अन्य खेत में कैनबिस (भांग, चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती नहीं करेगा।
9. अनुज्ञाप्तिधारी इन नियमों के अधीन उपबंधित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करेगा।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप सीसी-एमसी-3
(नियम 30 क देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 विनिर्माण इकाई से चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) के भाण्डागार के लिए अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन।

सेवा में

जिला नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला नाम

सत्यापित
फोटोग्राफ
चिपकाए

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त नियमों के अधीन कैनबिस के गोदाम के लिए अनुज्ञाप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. पता.....
4. भाण्डागार के ब्यौरे जहां पर कैनबिस भण्डारित किया जाना है
5. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र
6. रुपये की अनुज्ञाप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या, तारीख और हिम एवं जी.आर.एन. संख्या.....
7. खेतीहर के अनुज्ञाप्ति के ब्यौरे (अनुज्ञाप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया)

आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अभियोजित किया गया हो न ही उसके विरुद्ध विधिक न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक आषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज/उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पता

तारीख

मोबाइल नम्बर

प्ररूप सीसी-एमसी-4

[नियम 30 (क) देखें]

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन विनिर्माण इकाई चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) के भण्डारण/भाण्डागार के लिए अनुज्ञप्ति ।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारी का नाम

प्ररूप सीसी-एमसी-2 में अनुज्ञप्ति संख्या.....

परिसर का विवरण जहां विक्रय और परिवहन के लिए कैनबिस का भण्डारण किया जाएगा

.....

.....

.....

श्री

पुत्र

पता

को निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर कैनबिस (भांग) (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के थोक भण्डारण की अनुज्ञप्ति जारी की जाती है—

1. यह अनुज्ञप्ति..... से तक विधिमान्य होगी।
2. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय होगी

3. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करेगा।
4. वह भण्डारित कैनबिस का कोई भाग न तो स्वयं उपयोग करेगा और न ही अन्य व्यक्तियों को इसका कोई भाग उपयोग करना अनुज्ञप्त करेगा।
5. जब तक इस बाबत क्षेत्र के समाहर्ता (कलैक्टर) द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाती, अनुज्ञप्तिधारी कैनबिस का कोई भाग किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को अंतरित नहीं करेगा।
6. अनुज्ञप्त परिसर में रखे स्टॉक का अनुज्ञप्तिधारी उचित अभिलेख और रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी तोल और माप के लिए मानक उपकरण रखेगा।
8. उक्त अधिनियम और नियमों के उल्लंघन की किसी दशा या क्षेत्र के समाहर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
हिमाचल प्रदेश
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्ररूप सीसी-7
(नियम 30 क देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) के अनुसंधान और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए आवेदन।

सेवा में

जिला प्रभारी
जिला नाम

सत्यापित
फोटोग्राफ
चिपकाएं

महोदय/महोदया,

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस(चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के अनुसंधान और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए अनुज्ञप्ति कृपया जारी करें।

1. आवेदक/संस्थान/प्रसंस्करण इकाई का नाम
2. पिता का नाम (यदि व्यक्ति व्यक्ति है)
3. पता
4. अनुज्ञप्ति फीस का विवरण एम जी आर एन संख्या).....रुपये (टी आर कोष संख्या, तारीख और एच आई।

5. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा कि उसे न तो किसी अजमानतीय अपराध के अधीन (मुकद्दमा) (अभियोजित) किया गया है और न ही उसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में कोई मामला लंबित है और उस प्रभाव तक का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुसंधान करने के लिए एकल रूप से उत्तरदायी होगा (यदि आवेदक व्यैक्तिक है तो लागू होगा)।

6. आवेदक द्वारा दायर की जाने वाली प्रकल्पना की प्रति

स्थान	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
तारीख	मोबाइल नम्बर

प्रारूप सीसी-आर
(नियम-30 क)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम 1989 के अधीन चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के अनुसंधान और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए अनुज्ञप्ति।

रजिस्टर संख्या.....

अनुज्ञप्तिधारक का नाम

परिसर का पता

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अनुसार चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस के अनुसंधान और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह अनुज्ञप्ति.....से.....तक विधिमान्य रहेगी
2. यह अनुज्ञप्ति अहस्तान्तरणीय होगी
3. अनुज्ञप्तिधारी केवल स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तद्धीन बनाए गये नियमों के अनुसार अनुसंधान और परीक्षण के लिए कृषि से संबंधित अपने क्रियाकलापों का संचालन करेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी अनुसंधान और परीक्षण के प्रयोजन के लिए उत्पादित, प्राप्त और उपयोग किए जाने वाले कैनबिस के परेषण के लिए अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी, समाहर्ता के पूर्वानुमोदन से, कैनबिस के किसी लॉट या बैच के समस्त नमूने जो उन्हें वितरित किये गये हैं और उन नमूनों से अभिप्राप्त समस्त कैनबिस को परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात् 90 दिन के भीतर समस्त नष्ट कर देगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान क्षेत्र में कोई अनधिकृत पहुंच नहीं है।
7. उपरोक्त अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में समाहर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

जारी करने की तिथि:

समाहर्ता (आबकारी)
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्रारूप सीसी-टी
(नियम-33 देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम 1989 के अधीन चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति ।

(चार प्रतियों में दायर किया जाए)

क्रम संख्या

दिनांक

प्रेषक (को) का नाम और पता

प्रेषिति (तियों) का नाम और पता

श्री निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार भाग (कैनबिस) के परिवहन के लिए..... से तक प्राधिकृत है।

वाहन का ब्यौरा.....

परिवहन की जा रही परेषण के ब्यौरे,.....

परिवहन का मार्ग (रूट).....

बंडलों/पैकेजों की संख्या.....

कुल वजन.....

यह अनुज्ञप्ति हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन निम्नलिखित निर्बंधनों और शर्तों पर जारी की जा रही है।

1. परेषण परिवहन के दौरान नहीं खोला जायेगा।
2. अनुज्ञप्ति..... से तक विधिमान्य रहेगी
3. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उक्त नियमों के उपबंधों का कोई भी उल्लंघन उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन वारंट कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

जारी करने की तिथि:

आदेश द्वारा
उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी
जारी करने वाला प्राधिकारी

प्रारूप सीसी-पी
(नियम-33 देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम 1989 के अधीन चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए कैनबिस के परिवहन के पास।

(चार प्रतियों में दायर किया जाए)

क्रम संख्या

दिनांक

प्रेषक (कों) का नाम और पता

प्रेषिति (तियों) का नाम और पता

श्री.....निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार कैनबिस (भांग) (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के परिवहन के लिए..... से..... तक प्राधिकृत है।

वाहन का ब्यौरा.....

परिवहन की जा रही परेषण के ब्यौरे.....

परिवहन का मार्ग (रूट).....

बडलों/पैकेजों की संख्या.....

कुल वजन.....

यह अनुज्ञप्ति हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर जारी की जा रही है।

1. परेषण परिवहन के दौरान नहीं खोला जायेगा
2. अनुज्ञप्ति..... से तक विधिमान्य रहेगी
3. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उक्त नियमों के उपबंधों का कोई भी उल्लंघन उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन वारंट कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

जारी करने की तिथि:

ए.एस.टी.ई.ओ / एसटीई.ओ
जारी करने वाला प्राधिकारी

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (राज्य कर एवं आबकारी),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

[Authoritative English Text of this Department Notification Number EXN-F-(10)-8/2021-Vol-I Dated 16-07-2026 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th July, 2026

No. EXN-F-(10)-8/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by Section 10 read with Section 78 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 notified *vide* this department's notification No. EXN-14-7/75-Pt-II, Dated 1st June, 1989 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 30th of December, 1989, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2026.

(2) These rules shall extend to the whole state of Himachal Pradesh

(3) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 2.—In rule 2 of the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 (hereinafter referred to as the "said rules"):—

(a) after clause (1), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(1-A) “Agriculture Officer” means Deputy Director Agriculture (DDA)/District Agriculture Officer (DAO) of the District or any officer nominated by the Department of Agriculture for the purpose of implementation of these Rules;

(1-B) "Authorized Laboratory" means any State government laboratory or any laboratory authorized by the State Government or any other National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) Accredited Laboratory within the State or outside the State, or any State or Centre Government scientific institute laboratory equipped with State of the Art instruments in which scientific or technological research experiments and measurement may be performed to test the potency of seed, dried botanical material, flower and other material pertaining to cannabis;

(1-C) "Authorized Seed Supplier" means a person or an organization who has been granted a license in Form CC-S by Collector (Excise);

(1-D) "Agriculturist" means a land owner who cultivates land personally in an estate situated in Himachal Pradesh in accordance with the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act 1972;”

(b) for clause (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) “Collector (Excise)” means any officer appointed by the State Government, under sub-section (2) of Section 5 of the H. P. Excise Act, 2011;”

(c) for clause (4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) "District Excise Officer" means Deputy Commissioner State Taxes and Excise/ District-in-charge, appointed by the Government under section 6 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011;"

(d) after clause (4), the following shall be inserted, namely:—

“(4-A) “District Nodal Officer” means any officer of the Department of Agriculture notified by the State Government;

(4-B) “District Level Review Committee” means the Committee constituted under rule 34-B;

(4-C) “Designated Area” means such secured area wherein the licensee can perform any one or all of the activities related to cultivation, extraction, processing, product manufacturing, warehouse, drying/curing/packaging/ waste disposal area etc. for medical, scientific and commercial use of the Cannabis (excluding Charas & Ganja);

(4-D) "dried botanical material" means the cannabis plant (excluding Charas & Ganja) or any of its part that has been dried after harvest;

(4-E) "dutiabale amount" means the sale value of manufactured cannabis product exclusive of any taxes;

(4-F) “State Drug Controller” means the authority appointed by the State Government and “Director Ayush-cum-Licensing Authority” appointed by the State Government for the purpose of Ayurveda, Yoga, Unani, Sidha and Homoeopathy systems of medicines as per the Drug and Cosmetics Act, 1940 and Rules made thereunder.”

(e) for clause (5), the following shall be substituted, namely:—

"(5) "Commissioner of State Taxes and Excise" means the officer appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011.”.

(f) for clause (6), the following shall be substituted, namely:—

"(6) "Excise Officer" means and includes every officer invested with the powers of an Excise Officer under the Himachal Pradesh Excise Act, 2011;”.

(g) after clause (6), the following shall be inserted, namely:—

“6-A “Essential Narcotic Drug” means any narcotic drug notified by the Central Government for the Medical and Scientific Purposes, which can be used for drug manufacturing;”.

(h) after clause (7), the following shall be inserted, namely:—

- "(7-A) "Feminized seed" means those cannabis seeds that are specially bred through the process of feminization to eliminate male chromosomes so as to produce only female plants;
- (7-B) "Indigenous seed" means those cannabis seeds that are grown/found in Himachal Pradesh and are native to a particular region or ecosystem of the State, traditionally used and preserved by the local indigenous communities over generations. These seeds have adapted naturally to the local environment, climate and soil conditions, often embodying the biodiversity and agricultural heritage of that area;
- (7-C) "Green botanical material" means the cannabis plant (excluding Charas & Ganja) or a part thereof that has been freshly harvested;".
- (i) after clause (9), the following shall be inserted, namely:—
- "(9-A) "licensed cultivator" means any agriculturist or partnership of agriculturists or lease holder or self-help groups or Farmer Producer Organization (FPO) or any other Association or Society formed for the purpose of management of post-harvest operation or for meeting the requirement of minimum land holding for cultivation or any Government university/research institute or any State Government Department which has obtained license in Form CC-2 under these rules for growing cannabis(excluding Charas & Ganja) for the purpose of sale to the licensed manufacturer within State;".
- (j) after clause (10), the following shall be inserted, namely:—
- "(10-A) "licensed manufacturer" means any person, company, corporation, public undertaking, a body corporate, a cooperative society or other society, club, firm, Hindu Undivided family or other association of person which has obtained a license in Form CC-M under these rules for possession, processing and sale of cannabis based products or its derivative for medical and scientific purpose;".
- (k) after clause (11), the following shall be inserted, namely:—
- "(11-A) "medical purpose" of cannabis (excluding Charas & Ganja) means all activities related to the use of cannabis for manufacture of drugs containing cannabis as per the prescription of a registered medical practitioner, when the same has been manufactured under license issued by the appropriate regulatory authority under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, be it under the allopathy system of medicine, or the AYUSH systems of medicine;".
- (l) after clause (14), the following shall be inserted, namely:—
- "(14-A) "scientific purpose" of cannabis (excluding Charas & Ganja) means use of cannabis for scientific research and includes research on various known and unknown phytochemicals found in cannabis cannabinoids including but not limited to CBD (Cannabidiol), CBDA, THC(Tetrahydrocannabinol), THCa, CBG(Cannabigerol), CBN(Cannabinol), Terpenes, Flavonoids as well as research on cultivation, breeding, experiments, tests, trials and studies carried out in house laboratory, research institutes, universities, hospitals, commercial undertakings and industrial concerns;

(14-B) "State" means the State of Himachal Pradesh;".

(m) after clause 15, the following shall be inserted, namely:—

“(15-A) “State Level Review Committee” means the Committee constituted under rule 34-A;”.

3. Amendment of rule 29.— For rule 29 of the said rules, the following shall be substituted, namely;—

"29. Cultivation of the cannabis plant.—The cultivation of the cannabis plant shall be subject to the following conditions and restrictions, namely:—

- (1) **Procurement of seeds.**—For cultivation of cannabis for medical & scientific purpose or cannabis for industrial purpose, the seeds shall be procured by the licensed cultivator from authorized seed suppliers who shall arrange the seeds locally (indigenously) or within the State or from other States subject to the fulfillment of the condition that the seeds imported from other States and the seeds procured within the State (including local/indigenous seeds), the Cultivator Licensee shall furnish to District Nodal Officer of the Department of Agriculture of concerned district, atleast 21 days prior to the cultivation of those seeds, documents pertaining to the purchase of the seeds including a certificate of analysis issued by the authorized seed supplier from the NABL lab or any other Government authorized lab specifying the strength and concentration of cannabinoids including type of seed (Cannabis), Feminized or otherwise, range of cannabinoid profiles, including variable levels of THC and CBD.
- (2) **License for authorized seed supplier.**—Any person intending to obtain license of Authorized Seed Supplier for purchase, storage and supply of cannabis plants seeds to the licensed cultivator under these rules shall apply to the concerned District Nodal Officer of the Department of Agriculture in Form CC-S1 who shall further forward the application alongwith recommendations to District Excise Officer who shall further forward the same to the Collector (Excise) concerned alongwith recommendations. The License shall be granted by the Collector (Excise) of the concerned zone for a period of one year in Form CC-S on payment of license fee as specified in Schedule- I appended to these rules. The license shall be subject to renewal on payment of renewal fee as specified under Schedule-I appended to the rules:

Provided that the Authorized Seed Supplier holding license in Form CC-S shall not be authorized to sell seeds to licensees other than the licensees holding license in Form CC-2, CH-2, CC-MC-2, CH-MC-2 and CC-R under these rules:

Provided further that the Authorized Seed Supplier holding license in form CC- S shall store in his premises only those seeds in respect of which the certificate of analysis has been obtained from the Authorized Laboratory. The Authorized Seed Supplier will ensure that the seeds imported locally or within the State or within the Country are clearly classified, segregated and stored separately based on seed type *i.e.* Industrial or medical use, feminized or otherwise. Further, at the time of purchase of seeds, the authorized seed supplier shall mandatorily issue certificate of analysis pertaining to quality of seeds sold to the purchaser:

Provided further that the Authorized Seed Supplier shall keep all the records pertaining to the procurement of seeds and maintain accounts of seeds received, sold and held in stock from time to time in a register in Form CC-SR-1 and produce them before the Excise Officer and Agriculture Officer on demand. All the related licenses for authorized seed supplier shall be non-transferrable and non-saleable. In case of any violation, all the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the relevant rules framed thereunder shall apply.

(3) Application for grant of License for cultivation.—

- (a) The area/areas for cultivation of cannabis for medical and scientific purpose shall be notified by the State Taxes and Excise Department. This area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. Any person intending to obtain license for cultivation under these rules in the notified areas may apply to the concerned District Nodal Officer of the Department of Agriculture in Form CC-1 for cultivation of cannabis for medical or scientific purpose who shall further forward the application to Collector (Excise) concerned alongwith recommendations. The Collector (Excise) shall, on receipt of application and recommendations from the District Excise Officer, grant the license for cultivation of cannabis for medical & scientific purpose in form CC-2 on payment of such license fee as specified in Schedule-I appended to these rules subject to the fulfillment of following conditions:—
 - (i) The landholding proposed for cultivation individually or collectively shall not be less than three acres in a geographically contiguous area. The limit of minimum area shall not apply to Government Departments and research institutes/universities;
 - (ii) The applicant shall submit a self-certified undertaking confirming the accuracy of the land measurement and the location of the land holding proposed for cultivation. In case of any discrepancy, the applicant's license shall be cancelled immediately.
 - (iii) The applicant shall submit copy of the purchase agreement with the manufacturer alongwith application for cultivator license. This agreement is required to safeguard the interest of cultivator and to ensure that a buy-back mechanism shall be in place beforehand so that the crop grown by the Cultivator mandatorily be purchased by the manufacturer. No stand-alone license shall be issued to the cultivator. Both the cultivator and manufacture licensee shall be jointly responsible for their activities/ operations. In case of any deviation from the terms and condition of the Cannabis rules, license shall be cancelled alongwith appropriate action as per the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and rules thereof.
 - (iv) the applicant shall submit the plan of the landholding alongwith its Global Positioning System (GPS) co-ordinates, Geo Tagging, designated area for warehouse alongwith the application;
 - (v) the applicant shall have a warehouse in place prior to start of harvest cycle for storage of the harvest of the cannabis sown under the

provisions of these rules, which satisfies the security measures as specified under these rules; and

- (vi) the applicant shall furnish a security of the amount in the shape of Fixed Deposited Receipt(FDR) pledged /Bank Guarantee in favor of District Excise Officer equivalent to the amount of annual license fee.
- (b) No license for cultivation and harvesting of cannabis plant shall be granted unless the applicant satisfies the following conditions:—
 - (i) if the applicant is an individual or group or association of farmers, he shall be an agriculturist(s) or a lease holder;
 - (1) if the applicant is a cooperative society, it should be registered under the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968; and
 - (2) self-help group shall be of farmers of Himachal Pradesh;
 - (ii) The applicant should not be convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute.
 - (iii) it should have an on-site or in-house testing facility approved by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories to test the potency of the dried botanical material or should have an arrangement with any authorized laboratory as defined under this Rule.
- (c) The Collector (Excise) may, on the recommendations of the District Nodal Officer of the Department of Agriculture and District Excise Officer, grant or refuse grant a license to the applicant. In case of refusal to grant license, the Collector (Excise) shall record in writing the reasons for doing so.
- (d) The license shall be granted for a period of one year and can be renewed subject to the payment of renewal fee as specified in Schedule-I appended to the rules. This license shall be non-transferable and non-saleable. However, in the case of demise of license holder, the license may be allowed to be transferred to legal heir.
- (e) It has an on-site or in-house testing facility approved by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) to test the potency of the dried botanical material, or has an arrangement with an authorized Laboratory as specified under clause (1-B) of rule 2 of these rules.
- (f) In case of any violation, all the provisions of the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act and the relevant rules framed thereunder shall apply.
- (4) **Authorized activities.**—Subject to the provisions of these rules, a licensed cultivator shall be authorized to conduct all or part of the following activities under these rules:—

- (a) Cultivation of cannabis strictly in closed, fenced area and in controlled environment *i.e.* in greenhouses or polyhouses; Cultivation in open area is strictly prohibited.
- (b) Harvesting;
- (c) Storage of produce in licensed warehouse; and
- (d) Transportation of the produce from the licensed warehouse to the manufacturing or processing unit, in accordance with the procedure laid down under these rules.

(5) Appointment of designated Excise Officer and responsible persons in charge.—

- (a) (i) the District Excise Officer shall designate an Excise Officer not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer to supervise the cultivation of cannabis as per these rules;
- (ii) The District Nodal Officer of the Department of Agriculture shall designate an appropriate Officer to supervise the cultivation of cannabis as per these rules;
- (b) each licensed cultivator shall provide and furnish to the inspecting authorities mentioned in 5(a)(i) and (ii) above all requisite transaction records, video and security camera recordings, logbooks and weights and measurement scales on request for inspection. The licensed cultivator shall inform the inspecting authorities about all current and ongoing developments with respect to the cultivation of cannabis and it shall be the duty of the inspecting authorities to conduct regular inspection atleast once in a month of the licensed area and the warehouse and make reports on the same; and
- (c) each licensed cultivator may appoint a responsible person-in-charge who will be authorized to conduct such activities. He shall inform the District Excise Officer about the appointment of such responsible person-in-charge who shall approve such appointment after conducting necessary enquiry. An identity card will be issued by the District Excise Officer to responsible person-in-charge who shall compulsorily carry the identity card during working hours. Such responsible person-in-charge should not be convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute.

(6) Measurement of area under cannabis plant cultivation and harvesting process:—

- (a) The applicant while applying for cultivator license shall submit a self-certified undertaking confirming the accuracy of the land measurement and the location of the landholding proposed for cultivation. In case of any discrepancy, the applicant's license shall be cancelled immediately;
- (b) all measurements shall be carried out in metric units;

- (c) the land details submitted by applicant shall be subject to cross check by the designated officers mentioned at 5(a) (i) and (ii) above at any time during the tenure of the license; In case of any discrepancy, suitable action to be taken as per provisions of Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and Rules framed thereunder. Further, if required, the designated Excise Officer may get the land measurement verified by the Tehsildar or any other Revenue Officer duly authorized in this behalf;
 - (d) the licensed cultivator shall declare the details of the entire landholding on which cannabis has been cultivated by him within a fortnight after completion of the sowing process;
 - (e) after cultivation, but prior to harvesting, the licensee shall produce a self-certified undertaking confirming that he has cultivated the cannabis plant in the licensed area only and has a warehouse in place alongwith relevant security features as defined under these rules in the designated area and furnish the details of same to the concerned Assistant State Taxes & Excise Officer (ASTE0)/ State Taxes & Excise Officer (STE0) who shall further make a report to the District Excise Officer;
 - (f) if the Assistant State Taxes and Excise Officer finds that the licensed cultivator has cultivated the cannabis plant beyond the licensed area and has violated any of the applicable provisions, then the Assistant State Taxes and Excise Officer shall forward the case to the Collector (Excise) through District-In-Charge. The Collector (Excise) after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant and in case of any violation shall cancel the license immediately and also take action as per provisions of Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and Rules framed thereunder;
 - (g) the licensed cultivator shall not harvest the produce of cannabis unless information in this regard has been sent to the authorized Agriculture Officer and Excise Officer in writing atleast twenty-one days before the harvest is to begin and written orders to that effect have been obtained from the District Excise Officer;
- (7) **Safety measures.**—The licensed cultivator shall ensure that the safety and security measures as provided below are complied with:—
- (a) The cultivation of cannabis in the licensed area should be strictly in closed, fenced area and in controlled environment *i.e.* in greenhouses or polyhouses. Licensee based on his requirement can establish single or multiple green house or polyhouse in licensed area. Sowing of seeds/ growing of cannabis crop in open area outside the licensed premises and vacant open area within the licensed premises is strictly prohibited;
 - (b) there shall be proper fencing and geo tagging from all sides around the perimeter of the licensed area for cultivation and warehousing so as to ensure that there is no unauthorized access to the licensed premises;
 - (c) there shall be single entry or exit point to the licensed premises;

-
- (d) cultivated area and warehousing area shall be clearly defined and warehousing shall be under proper locks;
 - (e) install any IT based system, surveillance cameras or CCTVs in the Cultivation area.
 - (f) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed cultivation area;
 - (g) maintain record of any attempted or actual unauthorized access to the site, which shall invariably contain among other things—
 - (i) the date and time of the occurrence; and
 - (ii) the measures taken in response to it and the date and time when the same were taken;
 - (h) any incidence attempted or actual access shall be reported to the District Excise Officer within twenty-four hours of the occurrence of the incident. The report shall include all necessary details of the incident as may be asked by the District Excise Officer who shall take action as per the provision of Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules framed thereunder.
 - (i) The licensee shall maintain conspicuously above the main outdoor of the licensed premises, a signboard exhibiting in painted letters:—
 - (i) The words “Licensed premises for Cannabis cultivation. Entrance strictly prohibited”;
 - (ii) Licensee name, contact details, period of license, No. of CCTV installed, GPS co-ordinates held by him in Hindi or English or both;
 - (iii) The licensee shall display slogans or posters prominently as and when required by the State Taxes & Excise Department.
- (8) Procedure for harvesting and weighing of cannabis plant (excluding charas & ganja):—**
- (a) The licensed cultivator shall inform in writing to the designated Officers mentioned at 5(a)(i) and (ii) above atleast twenty-one days prior to the harvest of crop. Harvesting shall be the complete removal of the plant from the cultivated area. It shall not include pruning, partial removal of branches, stems, and portions of the plant for the purpose of plant health, the removal of unusable plants due to pests, weather, or other events causing total plant failure.
 - (b) The licensed cultivator or his authorized person shall, during harvest time, maintain or cause to be maintained a record of each day's harvest of cannabis plants, with weighment in Form CC-2A taken for both green and dried botanical material.

- (c) The licensed cultivator or any person authorized by him shall maintain following records on daily basis and shall produce the same before the inspecting authority as and when required:—
- (i) Plant count, *i.e.* the numerical count of the individual cannabis plants
 - (ii) After completing the day's harvest of the green botanical material, take its weighment before placing it in the licensed warehouse and keep the warehouse properly locked to prevent unauthorized access.
 - (iii) The weight of the harvest and the weight of the green botanical material as well as that of the dried botanical material of every batch harvested.
- (9) License for warehousing of cannabis.**—The applicant while applying for Cultivator license shall mandatorily apply for warehouse license through District Nodal Officer of Department of Agriculture who shall forward the application alongwith recommendations to District Excise Officer who shall further forward the same to the Collector (Excise) of the concerned Zone for grant of license for warehousing of cannabis for medical or scientific purposes in Form CC-3 on payment of application fees specified in Schedule-I appended to these rules. The Collector (Excise) of the zone on recommendation of the aforesaid authorities may grant license in Form CC-4 for warehousing of cannabis. The responsibility for safe custody of cannabis shall lie entirely on the licensee. The licensed warehouse shall be located strictly inside the authorized cultivation area of cannabis.
- (10) Safety and security of the premises.**—The licensed cultivator shall,—
- (a) design the warehouse in such a manner that it prevents unauthorized access and maintain the record of people accessing the warehouse and the drawing of warehouse shall be duly approved by the concerned Zonal Collector (Excise);
 - (b) maintain the record of harvested cannabis;
 - (c) ensure that the access to the site and the warehouse is restricted only to those persons whose presence in the area is essential either by nature of their official duties or in connection with the safety, sale or supervision of the produce;
 - (d) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed warehouse;
 - (e) install any IT based system, surveillance cameras or CCTV in the premises;
 - (f) The licensee shall maintain conspicuously above the main outdoor of the licensed premises, a signboard exhibiting in painted letters:—
 - (i) The words “Licensed premises for Cannabis storage. Entrance strictly prohibited”;
 - (ii) Licensee name, contact details, period of license, GPS co-ordinates, No. of CCTV cameras installed held by him in Hindi or English or both;

- (iii) The licensee shall display slogans or posters prominently as and when required by the Department of State Taxes & Excise.

(11) Monitoring of cultivation and warehousing.—The following Officers of the State Government are authorized to conduct inspections for monitoring the cultivation and warehousing of cannabis:—

- (a) Officer of Department of State Taxes & Excise not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer.
- (b) Officer of Department of Agriculture not below the rank of (SMS or other officer) as may be notified by the Department of Agriculture.
- (c) Officer of Police Department not below the rank of Dy. S.P. who shall be accompanied by atleast an officer of the State Taxes & Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer.
- (d) Officer of Revenue Department not below the rank of Tehsildar who shall be accompanied by atleast an officer of the State Taxes & Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer.

(12) Manner of disposal of cannabis by the cultivator.—Every cultivator who possesses license for cultivation of cannabis plant (excluding Charas & Ganja) for medical and scientific purposes under these rules shall, after each harvest of cannabis, transfer the produce to the licensed warehouse authorized for the purpose as per the procedure specified in these rules. He shall dispose of cannabis in the following manner:—

- (a) by selling the produce to a licensed manufacturer within the State provided that no such produce shall be transported to the manufacturer without the Permit in form CC-T issued by District Excise Officer and Pass in form CC-P issued by competent authority; or
- (b) if the circumstances so warrant, by getting the same destroyed by following methods:—
 - (i) **Composting**—Conversion of plant waste into organic compost or mulch for agricultural or horticultural use.
 - (ii) **Anaerobic Digestion**—Processing of bio-mass to produce biogas or bio-fertilizer through controlled microbial digestion in the absence of oxygen.
 - (iii) **Bio-processing**—Transformation of plant residues into industrial inputs such as fibreboard, insulation, or bio-fuels.
 - (iv) **Land Application**—Application of decomposed organic material to soil as a soil amendment, subject to environmental regulations.
 - (v) By getting the same destroyed by burning or otherwise.

The licensed cultivator shall give prior intimation to the District Excise Officer in this regard who shall report to the Collector (Excise). The

Collector (Excise) shall, on receipt of the recommendations from the District Excise Officer pass appropriate orders for destruction of that produce. The whole process of destruction shall be properly documented and video graphed. After the destruction, a report shall be submitted to the Collector (Excise) through the District Excise Officer.

(13) Filing of returns.—Every licensed cannabis cultivator and warehousing licensee shall file returns in the prescribed form within one month of completion of each year.”.

4. Insertion of rule 30-A and 30-B.—In the said rules, after rule 30, the following rules 30(A) and 30(B) shall be inserted, namely:—

"30(A) Processing and manufacturing of cannabis products for medical and scientific purposes.—The processing and manufacturing of cannabis for medical and scientific purposes shall be subject to the following conditions.—

- (1) License for processing or manufacturing of cannabis products.**—The applicant shall apply to the District Excise Officer who shall forward the application alongwith recommendations to Collector (Excise) of concerned zone who shall further forward the application alongwith recommendations to the Commissioner of State Taxes and Excise for grant of license for processing or manufacturing of cannabis products in Form CC-5. The Commissioner shall, on receipt of application and recommendations from the Collector (Excise), grant the license for processing or manufacturing of cannabis product in form CC-M on payment of such license fee as specified in Schedule-I appended to these rules subject to following conditions.—
 - (a) the licensee shall submit security of Rs. five lakh in the shape of FDR pledged or Bank Guarantee in favor of the Commissioner of State Taxes and Excise;
 - (b) the license shall be renewed annually on payment of renewal fee specified in Schedule-I appended to these rules;
 - (c) in each manufacturing unit, there shall be posted an Assistant State Taxes and Excise Officer/ STEO, in-charge of the unit;
 - (d) all the cannabis produce transported *vide* permit in Form CC-T, from the licensed warehouse to the processing or manufacturing unit, shall be delivered in the presence of Assistant State Taxes and Excise Officer, in-charge of unit authorized in this behalf. No consignment shall be received by the Excise Officer if it is not accompanied by the transport permit in form CC-T issued by the District Excise Officer and pass in form CC-P issued by the ASTEO/ STEO in-charge of the warehouse;
 - (e) immediately on arrival of consignment at the manufacturing or processing unit, the Excise Officer shall verify the quantity of the cannabis produce by way of weighment in the presence of the manager of the concerned unit or any other person authorized by the licensee in this regard;

-
- (f) all such cannabis produce so received shall be stored in a store-room known as "Cannabis Store Room". The Excise Officer-in-charge of the manufacturing unit shall make necessary entries in the stock register;
- (g) for the purpose of extraction or use in the manufacturing process, only such quantity of the cannabis produce shall be removed from the cannabis store-room, in respect of which written permission has been granted by the Excise Officer in-charge of the unit on application of the licensee. Necessary entries shall be made by the Excise Officer in the issue register as prescribed under the rules;
- (h) all the finished products shall be transferred to the "Finished Goods Store" and the details of the same shall be provided to the Excise Officer on daily basis who shall record the quantity so transferred in the register as prescribed;
- (i) the Cannabis store-room, Manufacturing or Processing Area, Finished Goods Store and Office of the Excise Officer shall be clearly demarcated in the licensed premises of the unit.
- (j) Minimum capital investment required for setting up of manufacturing unit in the State shall be Rs. 100 Crore.
- (k) A State cess/levy @ 3% (2% towards milk cess/levy and 1% towards environment cess/levy) of the annual turnover from cannabis business shall be levied on manufacturing units. The proceed shall be transferred to the Animal Husbandry Department and Department of Environment, Science Technology & Climate Change, Himachal Pradesh.
- (l) All the related licensees shall be non-transferrable and non-saleable.
- (m) In case of any violation, all the provisions of the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and the relevant rules framed thereunder shall apply.
- (2) **License for Cultivation of Cannabis by Manufacturing unit.**—The area/ areas for cultivation of cannabis for medical & scientific purpose shall be notified by the State Taxes and Excise Department. The area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. Any applicant having license in form CC-M intending to obtain license for cultivation under these rules in the notified areas may apply to the concerned District Nodal Officer of the Department of Agriculture in Form CC-MC-1 for cultivation of cannabis for medical or scientific purpose who shall further forward the application alongwith recommendations to the District Excise Officer who shall further forward the application to Collector (Excise) concerned alongwith recommendations. The Collector (Excise) shall, on receipt of application and recommendations from the District Excise Officer, grant the license for cultivation of cannabis for medical & scientific purpose in form CC-MC-2 on payment of such license fee as specified in Schedule-I appended to these rules subject to the fulfillment of following conditions:—

- (a) the landholding proposed for cultivation by the manufacturing unit shall not be less than three acres in a geographically contiguous area;
- (b) the applicant shall submit a self-certified undertaking confirming the accuracy of the land measurement and the location of the landholding proposed for cultivation. In case of any discrepancy, the applicant's license shall be cancelled immediately;
- (c) in case of any deviation from the terms and condition of the these rules, license shall be cancelled alongwith appropriate action as per the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and rules thereof;
- (d) the applicant shall submit the plan of the landholding alongwith its Global Positioning System (GPS) co-ordinates, Geo Tagging, designated area for warehouse alongwith the application;
- (e) the applicant shall have a warehouse in place prior to start of harvest cycle for storage of the harvest of the cannabis sown under the provisions of these rules, which satisfies the security measures as specified under these rules;
- (f) the applicant shall furnish a security of the amount in the shape of Fixed Deposited Receipt(FDR) pledged /Bank Guarantee in favor of District Excise Officer equivalent to the amount of annual license fee of cultivation license;
- (g) the applicant should not be convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute;
- (h) it should have an on-site or in-house testing facility approved by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories to test the potency of the dried botanical material or should have an arrangement with any authorized laboratory as defined under clause 1-B of rule 2 of these rules;
- (i) The Collector (Excise) may, on the recommendations of the District Nodal Officer of the Department of Agriculture and District Excise Officer, grant or refuse grant a license to the applicant. In case of refusal to grant license, the Collector (Excise) shall record in writing the reasons for doing so;
- (j) The license shall be granted for a period of one year and can be renewed subject to the payment of renewal fee as specified in Schedule-I appended to the rules. This license shall be non-transferable and non-saleable. However, in the case of demise of license holder, the license may be allowed to be transferred to legal heir;
- (k) The licensed manufacturer who has applied for a cultivation license shall acquire and hold land for cultivation in Himachal Pradesh in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, and other applicable laws of the State.

- (l) Authorized activities:—Subject to the provisions of these rules, a licensed cultivator shall be authorized to conduct all or part of the following activities under these rules:—
 - (i) Cultivation of cannabis strictly in closed, fenced area and in controlled environment *i.e.* in greenhouses or polyhouses; Cultivation in open area is strictly prohibited;
 - (ii) Harvesting;
 - (iii) Storage of produce in licensed warehouse; and
 - (iv) Transportation of the produce from the licensed warehouse to the manufacturing or processing unit, in accordance with the procedure laid down under these rules.
- (m) Appointment of designated Excise Officer and responsible persons in charge:—
 - (i) the District Excise Officer shall designate an Excise Officer not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer to supervise the cultivation of cannabis as per these rules;
 - (ii) The District Nodal Officer of the Department of Agriculture shall designate an appropriate Officer to supervise the cultivation of cannabis as per these rules;
 - (iii) each licensed cultivator shall provide and furnish to the inspecting authorities mentioned in m (i) and (ii) above all requisite transaction records, video and security camera recordings, logbooks and weights and measurement scales on request for inspection. The licensed cultivator shall inform the inspecting authorities about all current and ongoing developments with respect to the cultivation of cannabis and it shall be the duty of the inspecting authorities to conduct regular inspection atleast once in a month of the licensed area and the warehouse and make reports on the same; and
 - (iv) each licensed cultivator may appoint a responsible person-in-charge who will be authorized to conduct such activities. He shall inform the District Excise Officer about the appointment of such responsible person-in-charge who shall approve such appointment after conducting necessary enquiry. An identity card will be issued by the District Excise Officer to responsible person-in-charge who shall compulsorily carry the identity card during working hours. Such responsible person-in-charge should not be convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute.
- (n) Measurement of area under cannabis plant cultivation and harvesting process.—

- (i) the applicant while applying for cultivator license shall submit a self-certified undertaking confirming the accuracy of the land measurement and the location of the landholding proposed for cultivation. In case of any discrepancy, the applicant's license shall be cancelled immediately;
- (ii) all measurements shall be carried out in metric units;
- (iii) the land details submitted by applicant shall be subject to cross check by the designated officers mentioned at m (i) and (ii) above at any time during the tenure of the license; In case of any discrepancy, suitable action to be taken as per provisions of Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and Rules framed thereunder. Further, if required, the designated Excise Officer may get the land measurement verified by the Tehsildar or any other Revenue Officer duly authorized in this behalf.
- (iv) the licensed cultivator shall declare the details of the entire landholding on which cannabis has been cultivated by him within a fortnight after completion of the sowing process;
- (v) after cultivation, but prior to harvesting, the licensee shall produce a self-certified undertaking confirming that he has cultivated the cannabis plant in the licensed area only and has a warehouse in place alongwith relevant security features as defined under these rules in the designated area and furnish the details of same to the concerned Assistant State Taxes & Excise Officer (ASTE0) / State Taxes & Excise Officer (STE0) who shall further make a report to the District Excise Officer;
- (vi) if the Assistant State Taxes and Excise Officer finds that the licensed cultivator has cultivated the cannabis plant beyond the licensed area and has violated any of the applicable provisions, then the Assistant State Taxes and Excise Officer shall forward the case to the Collector (Excise) through District In-charge. The Collector (Excise) after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant and in case of any violation shall cancel the license immediately and also take action as per provisions of Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and Rules framed thereunder.
- (vii) the licensed cultivator shall not harvest the produce of cannabis unless information in this regard has been sent to the authorized Agriculture Officer and Excise Officer in writing atleast twenty-one days before the harvest is to begin and written orders to that effect have been obtained from the District Excise Officer ; and
- (o) Safety measures.—The licensed cultivator shall ensure that the safety and security measures as provided below are complied with:—
 - (i) The cultivation of cannabis in the licensed area should be strictly in closed, fenced area and in controlled environment *i.e.* in

greenhouses or polyhouses. Licensee based on his requirement can establish single or multiple green house or polyhouse in licensed area. Sowing of seeds/ growing of cannabis crop in open area outside the licensed premises and vacant open area within the licensed premises is strictly prohibited;

- (ii) there shall be proper fencing and geo tagging from all sides around the perimeter of the licensed area for cultivation and warehousing so as to ensure that there is no unauthorized access to the licensed premises;
- (iii) there shall be single entry or exit point to the licensed premises;
- (iv) cultivated area and warehousing area shall be clearly defined and warehousing shall be under proper locks;
- (v) install any IT based system, surveillance cameras or CCTVs in the Cultivation area;
- (vi) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed cultivation area;
- (vii) maintain record of any attempted or actual unauthorized access to the site, which shall invariably contain among other things:—
 - (A) the date and time of the occurrence; and
 - (B) the measures taken in response to it and the date and time when the same were taken;
- (viii) any incidence attempted or actual access shall be reported to the District Excise Officer within twenty-four hours of the occurrence of the incident. The report shall include all necessary details of the incident as may be asked by the District Excise Officer who shall take action as per the provision of Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules framed thereunder.
- (ix) The licensee shall maintain conspicuously above the main outdoor of the licensed premises, a signboard exhibiting in painted letters:—
 - (a) The words “Licensed premises for Cannabis cultivation. Entrance strictly prohibited”;
 - (b) Licensee name, contact details, period of license, No. of CCTV installed, GPS co-ordinates held by him in Hindi or English or both;
 - (c) The licensee shall display slogans or posters prominently as and when required by the State Taxes & Excise Department.

- (p) Procedure for harvesting and weighing of cannabis plant (excluding charas & ganja):—
- (i) The licensed cultivator shall inform in writing to the designated Officers mentioned at m (i) and (ii) above atleast twenty-one days prior to the harvest of crop. Harvesting shall be the complete removal of the plant from the cultivated area. It shall not include pruning, partial removal of branches, stems, and portions of the plant for the purpose of plant health, the removal of unusable plants due to pests, weather, or other events causing total plant failure.
 - (ii) The licensed cultivator or his authorized person shall, during harvest time, maintain or cause to be maintained a record of each day's harvest of cannabis plants, with weighment in Form CC-2A taken for both green and dried botanical material.
 - (iii) The licensed cultivator or any person authorized by him shall maintain following records on daily basis and shall produce the same before the inspecting authority as and when required:
 - (A) Plant count, *i.e.* the numerical count of the individual cannabis plants.
 - (B) After completing the day's harvest of the green botanical material, take its weighment before placing it in the licensed warehouse and keep the warehouse properly locked to prevent unauthorized access.
 - (C) The weight of the harvest and the weight of the green botanical material as well as that of the dried botanical material of every batch harvested.
- (q) License for warehousing of cannabis.—The applicant while applying for Cultivator license shall mandatorily apply for warehouse license through District Nodal Officer of Department of Agriculture who shall forward the application alongwith recommendations to District Excise Officer who shall further forward the same to the Collector (Excise) of the concerned Zone for grant of license for warehousing of cannabis for medical or scientific purposes in Form CC-MC-3 on payment of application fees specified in Schedule-I appended to these rules. The Collector (Excise) of the zone on recommendation of the aforesaid authorities may grant license in Form CC-MC-4 for warehousing of cannabis. The responsibility for safe custody of cannabis shall lie entirely on the licensee. The licensed warehouse shall be located strictly inside the authorized cultivation area of cannabis.
- (r) Safety and security of the premises.— The licensed cultivator shall:—
- (i) design the warehouse in such a manner that it prevents unauthorized access and maintain the record of people accessing the warehouse and the drawing of warehouse shall be duly approved by the concerned Zonal Collector (Excise);

-
- (ii) maintain the record of harvested cannabis;
 - (iii) ensure that the access to the site and the warehouse is restricted only to those persons whose presence in the area is essential either by nature of their official duties or in connection with the safety, sale or supervision of the produce;
 - (iv) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the licensed warehouse; and
 - (v) install any IT based system, surveillance cameras or CCTV in the premises.
 - (vi) The licensee shall maintain conspicuously above the main outdoor of the licensed premises, a signboard exhibiting in painted letters:—
 - (A) The words “Licensed premises for Cannabis storage. Entrance strictly prohibited”;
 - (B) Licensee name, contact details, period of license, GPS co-ordinates, No. of CCTV cameras installed held by him in Hindi or English or both;
 - (C) The licensee shall display slogans or posters prominently as and when required by the Department of State Taxes & Excise.
 - (s) Monitoring of cultivation and warehousing.—The following Officers of the State Government are authorized to conduct inspections for monitoring the cultivation and warehousing of cannabis:—
 - (i) Officer of Department of State Taxes & Excise not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer.
 - (ii) Officer of Department of Agriculture not below the rank of (SMS or other officer) as may be notified by the Department of Agriculture.
 - (iii) Officer of Police Department not below the rank of Dy. S.P. who shall be accompanied by atleast an officer of the State Taxes & Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer.
 - (iv) Officer of Revenue Department not below the rank of Tehsildar who shall be accompanied by atleast an officer of the State Taxes & Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer.
 - (t) Manner of disposal of cannabis by the cultivator.—Every cultivator who possesses license for cultivation of cannabis plant (excluding Charas & Ganja) for medical and scientific purposes under these rules

shall, after each harvest of cannabis, transfer the produce to the licensed warehouse authorized for the purpose as per the procedure specified in these rules. He shall dispose of cannabis in the following manner:—

- (i) by selling the produce to a licensed manufacturer within the State provided that no such produce shall be transported to the manufacturer without the Permit in form CC-T issued by District Excise Officer and Pass in form CC-P issued by competent authority; or
- (ii) if the circumstances so warrant, by getting the same destroyed by following methods:—
 - (A) **Composting**— Conversion of plant waste into organic compost or mulch for agricultural or horticultural use.
 - (B) **Anaerobic Digestion**— Processing of biomass to produce biogas or bio-fertilizer through controlled microbial digestion in the absence of oxygen.
 - (C) **Bio-processing**— Transformation of plant residues into industrial inputs such as fibreboard, insulation, or bio-fuels.
 - (D) **Land Application**— Application of decomposed organic material to soil as a soil amendment, subject to environmental regulations.
 - (E) By getting the same destroyed by burning or otherwise.

The licensed cultivator shall give prior intimation to the District Excise Officer in this regard who shall report to the Collector (Excise). The Collector (Excise) shall, on receipt of the recommendations from the District Excise Officer pass appropriate orders for destruction of that produce. The whole process of destruction shall be properly documented and video graphed. After the destruction, a report shall be submitted to the Collector (Excise) through the District Excise Officer.

- (u) Filing of returns— Every licensed cannabis cultivator and warehousing licensee shall file returns in the prescribed form within one month of completion of each year.
- (v) In case of any violation, all the provisions of the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act and the relevant rules framed thereunder shall apply.
- (3) **Safety and security of the manufacturing licensed premises.**—The licensed manufacturing or processing unit shall:—
 - (a) design the site in such a manner that it prevents unauthorized access;
 - (b) surround each site by a physical barrier that prevents unauthorized access;

- (c) arrange to monitor the perimeter of the site at all times by visual recording devices to detect any attempted or actual unauthorized access to the site. The devices shall, in the condition under which they are used, be capable of making a visual recording of any attempted or actual unauthorized access and illicit conduct;
 - (d) secure the perimeter of the site by an intrusion detection system that operates at all times and allows for the detection of any attempted or actual unauthorized access to the site and any attempted or actual tampering with the system. The intrusion detection system referred to above, shall be monitored at all times;
 - (e) maintain a record of the identity of every individual entering or exiting the processing or manufacturing unit;
 - (f) maintain record of any attempted or actual unauthorized access to the site, which shall invariably contain among other things,—
 - (i) the date and time of the occurrence; and
 - (ii) the measures taken in response to it specifying the date and time when these were taken;
 - (g) any unauthorized incidence of access attempted or actual access shall be reported to the District Excise Officer within twenty four hours of occurrence of the incidence. The report shall include all necessary details of the incidence as may be asked by the District Excise Officer who shall take action as per the provision of the Act and these rules; and
 - (h) The room(s) where the cannabis products, raw cannabis, cannabis oil is stored shall bear the revenue lock of the Department of State Taxes and Excise.
 - (i) The licensee shall maintain conspicuously above the main out door of the licensed premises, a signboard exhibiting in painted letters.—
 - (i) The words “Licensed premises for processing and manufacturing of Cannabis produce/ products. Entrance strictly prohibited”;
 - (ii) Licensee name, contact details, period of license, GPS co-ordinates, number of CCTV cameras installed by him in Hindi or English or both;
 - (iii) The licensee shall display slogans or posters prominently as and when required by the State Taxes & Excise Department.
- (4) Accounts to be maintained by manufacturing or processing unit.—**A licensed manufacturing or processing unit possessing cannabis under these rules shall:—
- (a) keep accounts of cannabis produce received, used and held in stock by it from time to time in a register maintained under these rules. The

accounts shall be written clearly, correctly and updated on daily basis in the register (digital register) authenticated by the Excise Officer. All the transactions pertaining to purchase shall indicate all the data including date of purchase, value, name and the address of the licensed cultivator from whom the purchase has been made;

- (b) books and records shall be maintained in such a manner that gives sufficient information for the verification of liabilities, obligations and compliance under these rules and for the license fees paid or the amount of any refund or rebate the person has claimed and received;
- (c) preserve the said accounts for not less than five years from the date of the last entry in the accounts book and shall produce them at the time of inspection by the Excise Officer, if demanded; and
- (d) furnish to the Excise Officer or any other officer duly authorized by him in this behalf, within a fortnight after the end of each financial year, any information regarding consumption of cannabis produce during the preceding year, the stocks held by him on the last day of the year in the form to be specified by the Commissioner of State Taxes and Excise under these rules:

Provided that in addition to the accounts and records required to be maintained under these rules, the Commissioner of State Taxes and Excise may, by order, direct the maintenance of such records in such form and submission of such returns as he may consider necessary for the purpose of these rules.

(5) Application for grant of license for research and analytical testing.—

Any individual or institution or Government department or private establishments or the licensee who has been granted license in Form CC-M for the processing or manufacturing of cannabis products may apply for license in Form CC-7 for research and analytical testing, to the concerned District In-charge who shall forward the application alongwith recommendations to Collector concerned who shall further forward the application alongwith recommendations to the Commissioner of State Taxes and Excise. The applicant shall satisfy the following conditions in order to be eligible for grant of this license:—

- (a) if the applicant is an individual, he should not have been convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any drug-related offence under the any statute;
- (b) If the applicant is an institution or Government department or private establishments or the licensee who has been granted license in Form CC-M for the processing or manufacturing of cannabis products, all signatories/ partners/ stakeholders should not have been convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any drug-related offence under the any statute.

-
- (c) the applicant should also submit a copy of hypothesis to the Commissioner of State Taxes and Excise in respect of research work to be conducted.
- (d) The area/areas for cultivation of cannabis for medical & scientific purpose for research and analytical testing shall be notified by the State Taxes and Excise Department. The area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. The cultivation of cannabis shall be strictly in the notified area/ areas only.
- (6) Grant of license for research and analytical testing.**—The license shall be granted in Form CC-R on the payment of fees as specified in Schedule-I appended to these rules, by the Commissioner of State Taxes and Excise for the purpose of scientific research and testing subject to the following conditions:—
- (a) this license shall be non-transferable and non-saleable;
- (b) the licensee shall conduct his activities related to cultivation for research and testing only in accordance with the provisions of the Act, and rules framed there under;
- (c) the area for cultivation of cannabis for research and analytical testing should not be more than two thousand square meters;
- (d) the licensee shall maintain records of the consignments of cannabis produced, procured and used for the purpose of research and testing.
- (e) the licensee shall destroy all samples of cannabis of a lot or batch that have been distributed to them, and all cannabis obtained from those samples, within ninety days after completing the testing of the samples, with prior approval of the Commissioner of State Taxes and Excise;
- (f) there shall be proper fencing and geo tagging from all sides around the perimeter of the site for cultivation, research and storage areas so as to ensure that there is no unauthorized access to the licensed premises;
- (g) the licensee shall abide by the provisions of the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and rules framed thereunder. The license may be suspended or cancelled, as the case may be in case of any violation of the aforesaid provisions.
- (h) a holder of the license may conduct the following activities,—
- (i) cultivate cannabis;
- (ii) possess cannabis (excluding charas & ganja);
- (iii) process cannabis (excluding charas & ganja);
- (iv) transport, send or deliver cannabis (excluding charas & ganja) between the sites that are set out by the license; and

- (v) produce cannabis (excluding charas & ganja) by altering its chemical or physical properties by any means for scientific or research purposes:

Provided that the sale of any produce in the possession of licensee in any manner shall not be permissible.

- (i) In case of any violation, all provisions of the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and the relevant rules framed thereunder shall apply.

(7) Permit and Pass for transportation of cannabis produce.—

- (a) For pro-curement of cannabis produce under these rules and its transportation any authorized person may apply to the District Excise Officer for grant of permit.
- (b) The District Excise Officer, after making such enquiries, as he considers necessary, may issue a permit in Form CC-T on payment of fees as specified in Schedule-I.
- (c) The permit holder shall obtain the cannabis produce mentioned in his permit only from the licensed sources under these rules.
- (d) Every consignment of cannabis shall be accompanied by a pass in Form CC-P issued by the concerned ASTEO/STEO incharge of the warehouse.
- (e) All the transportation of cannabis (excluding Charas & Ganja) as the case may be strictly through GPS enabled vehicle.

(8) Amendment of license.—Any holder of a license for Processing/ Manufacturing of cannabis in form CC-M may submit an application to the concerned authority through concerned District Excise Officer for an amendment to the license. The License granting authority shall after recording in writing the reasons for doing so pass appropriate orders. The License shall only be amended in respect of following changes:—

- (a) change in the address of the site or building within the site, where the activity is authorized; or
- (b) change in the name of proprietor, partner, director, club, society etc. as the case may be:

Provided that the holder of a license who proposes to make a change in the site plan that would require physical security measures to be carried out, shall obtain the approval of the Commissioner of State Taxes and Excise before applying for making the said change.

(9) Identification of holder of a license.—

- (a) A holder of a license shall include his name, as specified in the license, by which he shall identify himself in relation to cannabis, including advertising, purchase orders, shipping documents and invoices.

- (b) The licensee or the Directors of the company shall submit identity proof in the form of Aadhar Card, PAN Card and Director Identification Number (DIN) issued by Ministry of Corporate Affairs wherever required.

(10) Prohibition on cultivation, processing and manufacturing of cannabis.—

No person shall engage himself in the cultivation, processing, manufacturing of cannabis except in accordance with the conditions of the license granted under these rules.

(11) Penalty provisions.—

- (a) If any licensee under these rules fails to maintain the accounts and records (including timely filing of returns) as specified under these rules, he shall be liable, except as otherwise provided under the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules framed there under, for penalty which shall not be less than Rupees twenty thousand subject to the maximum of Rupees fifty thousand.
- (b) The penalty under the foregoing provision of this rule shall be imposed by the Collector (Excise) after providing reasonable opportunity of being heard.

(12) Fee on different cannabis produce to be paid by the manufacturing or processing unit:—

- (a) The manufacturing or a processing unit having license in Form CC-M before obtaining permit for procurement of cannabis produce from the licensed warehouse of cultivator to its own premises shall pay to the Government, a procurement fee of Rupees twenty-five per kg on the procured raw or semi processed cannabis produce.
- (b) Further, the manufacturing unit shall pay to the Government, a production Fee equal to fifteen percent of dutiable amount, on the production of cannabis oil and all other cannabis products, which shall be in addition to all other duties and levies as applicable under the law. This production fee shall be deposited into the Government treasury before the filing of monthly return for that particular month.

(13) Procedure for destruction of cannabis produce.—

- (a) When any cannabis product or produce in possession of any licensed manufacturing or processing unit, authorized under these rules, is found to be unfit for use, such unit shall forthwith deliver such product/produce to the authorized Excise Officer for destruction who shall report to the Collector (Excise) through the District Excise Officer. The Collector (Excise) shall, on receipt of report from the District Excise Officer constitute a Committee consisting of two Excise Officers and one Revenue Officer for destruction of that produce. The whole process of destruction shall be properly documented and videographed. After the destruction, the Committee shall submit a report regarding the same to the Collector (Excise).

- (b) The Collector (Excise) may, on receipt of application from the licensed manufacturer who has paid procurement fee and production fee on the quantity of produce or products so destroyed, order for refund of such amount of procurement fee and production fee as may be determined by him.

(14) Payment of production fee and filing of returns.—Every cannabis manufacturing or processing unit shall pay production fee on the cannabis oil/ THC extracted during the month. He shall file monthly returns in prescribed form within thirty days of succeeding month wherein he shall submit details of his purchases, production and sale. A licensee who possesses more than one license shall file separate returns for each license.

30 (B) Regulations governing the grant and renewal of licenses.—

- (1) Every license shall be granted to a certain licensee in respect of specified premises.
- (2) A license may only be granted to.—
 - (i) an individual;
 - (ii) a body incorporated under the Indian Companies Act;
 - (iii) a society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act;
 - (iv) a partnership firm;
 - (v) Hindu undivided family;
 - (vi) Lease holder;
 - (vii) Government Department; and
 - (viii) a Government Undertaking.
- (3) No license will be granted to an individual or in case of body corporate to any of its directors or partners if they have been convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under any statute.
- (4) When a license is granted to a Company or Society of Hindu undivided family or Government Department or Government Undertaking referred to in clause 2 above it must show the name of an individual as agent acting on behalf of the licensee, who is amenable in full to the Criminal Courts in India. On the application of the Company or Society or Hindu undivided family or Government Department or Government Undertaking, the representative licensee may be changed by the authority competent to grant or renew the license as the case may be.

- (5) When a license is granted to a partnership firm not incorporated under any Act, all the individuals comprising the partnership of firm shall be specified in the license.
- (6) In case of partnership, on the application in writing of all the original partners a partner may at any time be added or removed, by the authority competent to renew the license.
- (7) A license granted to a partnership firm becomes determinable by the dissolution of the partnership firm subject to the liability of the partners jointly and severally for any loss caused to Government thereby and for the performance of all obligations to Government incurred by the partnership firm.
- (8) A license is said to be renewed when the competent authority allows it to continue after the period of its expiry to the same licensee in respect of the same premises; and whenever a license has become liable to be determined by reason of surrender, cancellation or non-renewal or other causes, or where it is proposed to issue a license in respect of premises or persons not previously licensed, a new license is required.”.

5. Amendment of rule 33.—In the said rules, for rule 33, the following shall be substituted, namely:—

"33. Possession, transportation etc. of cannabis produce for medical or scientific purposes.—Possession, transportation, inter-State import, inter- State export, purchase, consumption or use of cannabis for medical or scientific purposes shall be subject to following terms and conditions,—

- (1) **Transportation by licensed cultivator.**—A licensed cultivator of cannabis may transport his produce (excluding Charas & Ganja) from the warehouse to the licensed manufacturer under these rules after obtaining transport permit in Form CC-T from the concerned District Excise Officer and pass in form CC-P from the concerned ASTEO/STEO. The responsibility for safe custody of cannabis during transportation shall lie entirely on the licensed cultivator. The District Excise Officer shall prepare the permit in quadruplicate. One copy shall be delivered to the applicant, second copy shall be sent to the office in-charge of the manufactory, the third copy shall be sent to the Excise Authority at the port or at the place where the Depot is situated as the case may be, and the fourth copy shall be retained by the District Excise Officer.
- (2) **Sale by licensed cultivator.**—No licensed cultivator shall dispose of harvested raw or semi processed cannabis produce except as provided under these rules.
- (3) **Possession by an individual.**—For the purpose of transport, no person shall possess cannabis produce in excess of the quantity which he has been authorized to transport, to be supplied to the licensed manufacturer or processor.

(4) Transport of cannabis by a licensed manufacturing or processing unit.—

- (a) The District Excise Officer may grant to any licensed manufacturing or processing unit a permit in Form CC-T appended to these rules for the transport of harvested cannabis as specified in the permit.
- (b) While granting a permit under clause (1) the District Excise Officer shall prepare the permit in quadruple. The District Excise Officer shall prepare the permit in quadruplicate. One copy shall be delivered to the applicant, second copy shall be sent to the office in-charge of the manufactory, the third copy shall be sent to the Excise Authority at the port or at the place where the Depot is situated as the case may be, and the fourth copy shall be retained by the District Excise Officer.
- (c) This permit for transport in favour of licensed manufacturing or processing unit in Form CC-T shall specify therein the names of the licensed cultivators of a particular District from where the harvested produce is proposed to be procured.
- (d) The permit issuing authority shall maintain a register in which complete record of permits, which have been issued by it, shall be maintained.
- (e) Every consignment of harvested cannabis shall be accompanied by a pass in form CC-P issued by ASTEO/ STEO in-charge of the warehouse. The ASTEO/ STEO in-charge of the warehouse shall prepare the pass in quadruplicate. One copy shall be delivered to the applicant, second copy shall be sent to the office in-charge of the manufactory, the third copy shall be sent to the Excise Authority at the port or at the place where the Depot is situated as the case may be, and the fourth copy shall be retained by the ASTEO/ STEO in-charge of the warehouse.

(5) Inspection of consignment in transit.—Any officer of the State Taxes and Excise Department not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer may, at any time, examine any consignment of cannabis in transit. If, on such examination, such officer finds that the quantity of cannabis in transit does not correspond to the terms and conditions of the permit & pass issued under these rules, the consignment shall be detained and reported to the Collector (Excise) who shall, after giving reasonable opportunity of being heard to the holder of the permit & pass, confiscate the same. Action taken under these terms and conditions shall not operate as a bar to the prosecution of the holder of permit and pass for commission of any offence under the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 and the rules framed thereunder.”.

6. Insertion of rule 33-A to 33-H.—In the said rules, after rule 33 the following rules shall be inserted, namely:—

"33-A. Surrender, suspension & cancellation of License.—

- (1) If any licensee who has been granted license under these rules, intends to surrender his license, he shall give a notice of his intention in writing to the license granting authority. Such authority shall cancel the license within fifteen

days of the receipt of notice from the licensee, after making such inquiry as he may deem fit.

- (2) If any licensee who has been granted license under these Rules, violates any of the provisions of these Rules, the license shall be immediately cancelled after giving opportunity of being heard and further action shall be taken as per the provisions of the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act and Rules framed thereunder.
- (3) When a license under this rule is cancelled or suspended under rule 54(1) of these rules then the licensee who was holding such license shall hand over all cannabis produce in his possession to the authorized Excise Officer, who shall report in this regard to the Collector (Excise) and the Collector (Excise) shall dispose of the same in the manner as may be specified by the Commissioner of State Taxes and Excise.

33-B. Exemption.—Nothing in the foregoing rules shall apply to the purchase, possession or sale of cannabis by the State Government.

33-C. Inspection of licensed premises.—Any Officer of the Department of State Taxes and Excise not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer and any Officer nominated by the Deputy Director Agriculture not below the rank of ADO/ AEO may enter and inspect at any time by day or by night, mandatorily at least once in a month in the following licensed premises:

- (a) Cultivation & warehousing area
- (b) Processing or manufacturing unit
- (c) Research and Analytical Testing area

In case of any violation in the above-mentioned licensed premises, the authority concerned shall take appropriate action in consonance with the provisions of Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act and rules framed thereunder.

33-D. Disposal of confiscated items or articles.—All conveyances, articles or things other than a narcotic drug, confiscated under the Act or these rules except as otherwise provided under the Act, shall be disposed of by the Collector (Excise) or District Excise Officer in the manner to be specified by the Commissioner of State Taxes and Excise.

33-E. Realization of dues as arrears of land revenue.—Any permit fee, license fee, penalty or any other dues payable under these rules may be recovered as arrears of land revenue under the provisions of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

33-F. Compliance of the provisions of the Act.—The licensee and the permit holder shall comply with the provisions of the Act and these rules framed thereunder. Non-compliance of any of the provisions of the Act and rules shall lead to an action against the licensee or the permit holder under the Act and these rules.

33-G. Restriction on personal use.—The licensee and the permit holder shall neither use, consume, sell or transport any part of cannabis plant other than the permitted part for the medical and scientific purposes extracted from the cannabis plant grown in his field nor shall allow any other person to sell, use or consume the same. The licensee shall store, transport or dispose of any part of the plant grown in his field as per the provisions of these rules.

33-H. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall be filed, made or initiated against the State Government or any officer of the State Government or any other person exercising any power or discharging any functions or duties, for anything done or intended to be done in good faith under the Act and these rules or order made thereunder.”.

7. **Insertion of rule 34-A to 34-C.**— In the said rules, after rule 34, the following rules shall be inserted, namely:—

“**34-A.** (a) The State Government shall by notification establish a State Level Review Committee which would provide single window system for taking decision with regard to the processes involved in regulating the cultivation, warehousing, manufacturing & processing, transportation, research of cannabis for non-narcotic purposes viz. setting up of seed banks, seed disbursal, procurement of produce and setting up of Industrial and Pharma Units, fixation of fees/ levies, appoint of consultants, Constitution of Committees, process reengineering for ease of doing business etc and making recommendation/ suggestions to the concerned departments.

(b) The State level Review Committee shall comprise of the following officers:

Sl. No.	Designation	Post
1.	Administrative Secretary, Department of State Taxes & Excise, Government of H.P.	Chairman
2.	Administrative Secretary, Agriculture and Farmers Welfare, Government of H.P.	<i>Member</i>
3.	Administrative Secretary, Revenue Department, GoHP	<i>Member</i>
4.	ADGP CID-cum-Chairman-ANTF	<i>Member</i>
5.	Commissioner of State Taxes and Excise, H.P.	Member Secretary
6.	Director, Department of Horticulture, H.P.	<i>Member</i>
7.	Director, Department of Agriculture, H.P.	<i>Member</i>
8.	Director, Department of Industries, H.P.	<i>Member</i>
9.	Director (Ayush)-cum-licensing authority for Ayurvedic and Unani Services, H.P.	<i>Member</i>
10.	Director, CSK Agriculture university, Palampur, H.P. and Dr. Y.S. Parmar University at Nauni H.P. or nominee	<i>Member</i>
11.	State Drug Controller, Food Safety and Drug Administration, H.P.	<i>Member</i>

The State Government may by notification appoint or delete any member(s) to the authority mentioned in sub rule (a) as it may deem fit for the proper

discharge of functions. The State Level Review Committee shall hold a meeting at once in six months to review the progress.

- 34-B.** The State Government shall by notification establish a District Level Committee which would monitor the cultivation at field level, coordination with stakeholders, facilitate in implementation of cannabis rules at the field level and give suggestions/ recommendations to State level Review Committee.

The District Level Committee comprising of the following officers:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. District Magistrate | Chairman |
| 2. Superintendent of Police | |
| 3. Deputy Director Agriculture | Member Secretary |
| 4. District Excise Officer | |
| 5. Deputy Director Horticulture | |
| 6. Divisional Forest Officer | |
| 7. District Revenue Officer | |
| 8. Drug Inspector | |
| 9. District Ayurvedic Officer | |

The District level review committee shall hold meetings at least quarterly to review the compliances, license issued and recommendations to the State Level Committee.

- 34-C.** (a) For smooth implementation of Cannabis Rules, one Assistant State Taxes and Excise Officer / STEO may be posted/deputed for each manufacturing unit and for every five cultivator licensees, one Assistant State Taxes and Excise Officer / STEO may be posted.
- (b) Further, for effective monitoring, one Home Guard/ Police personnel and other manforce may be deployed per five cultivator/ grower license.”.

8. Substitution for rule 69.—For the rule 69, the following rule shall be substituted, namely:—

“69. Appeal- (1) An appeal shall lie to:—

- (a) The Collector (Excise) when the order is made by an Excise Officer
- (b) The Commissioner of State Taxes and Excise when the order is made by a Collector (Excise):

Provided that:

- (i) when an original order is confirmed on first appeal, a further appeal shall not lie; and
- (ii) when any such order is modified or reversed by the Collector (Excise), the order made by Commissioner of State Taxes and Excise on further appeal, if any, shall be final.

9. Amendment of rule 70.—In rule 70 of the said rules, in clause (a), for the figure "30", the figure "60" shall be substituted.

10. Amendment of rule 72.—In rule 72(1) the words "The Financial Commissioner or" shall be omitted.

11. After rule 74, the Schedule-I appended to these rules, shall be inserted.

12. After Form MD-X, the following forms shall be inserted, namely:—

"Form CC-S1, Form CC-S, Form CC-SR-1, Form CC-1, Form CC-2, Form CC-2A, Form CC-3, Form CC-4, Form CC-5, Form CC-M, Form CC-MC-1, Form CC-MC-2, Form CC-MC-3, Form CC-MC-4, Form CC-7, Form CC-R, Form CC-T, Form CC-P".

"Schedule –I"

Sl. No.	Type of License	Fees
1.	CC-S (License for seed supplier)	Rs. 25,000/-
	Renewal	Rs. 25,000/-
2.	CC-2 (Cultivators License) i.e. annual license for cannabis cultivation (excluding charas & ganja) for Medical and Scientific Purposes	Rs 3,00,000/- per bigha
	Renewal Fees for cultivators License for Medical and Scientific Purposes	Rs. 3,00,000/- per bigha
3.	CC-4 (License for warehousing of Cannabis (excluding charas & ganja))	Rs. 10,000/-
4.	CC-M (Manufacturing License) i.e. annual License for Processing/ Manufacturing of Cannabis (excluding charas & ganja) for medical and Scientific purpose.	Rs. 2,00,00,000/-
	Renewal	Rs. 2,00,00,000/-
	CC-MC-2 (Manufacturer Cultivation License) i.e. annual license for cannabis cultivation (excluding charas & ganja) for Medical and Scientific Purposes	Rs.10,00,000/- per bigha
	Renewal	Rs.10,00,000/- per bigha
	CC-MC-4 (License for warehousing of Cannabis (excluding charas & ganja))	Rs.10,000/-
5.	CC-R (License for Research and Analytical Testing of Cannabis (excluding Charas & ganja))	Rs. 1,00,000/-
6.	CC-T (Transport permit of harvested cannabis for medical and scientific purpose as specified in the permit)	Rs. 2000/-

"Form CC-S1"
[See rule 29(2)]

Application for granting license of authorized supplier of cannabis seeds for purchase, storage and supply of cannabis seeds under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Rules, 1989.

To

The District Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name _____

Attested Photograph

Sir/Madam

Kindly issue license of authorized supplier of cannabis seeds for purchase, storage and supply of cannabis seeds under Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

1. Name of Applicant
2. Father's name
3. Permanent Address
4. Address of proposed shop
5. Affidavit to be filed by the applicant that he has not been convicted, or in case of body corporate, any of its Directors or partners have not been convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 during the previous 10 years from the date of application. This provision shall not apply if the person, or the Director or partner of the body corporate, is regularly engaged in a governmental program of reinsertion;

Place:-
Date:

Signature:
Name:
Address:
Mobile No:

Form CC-S
[See rule 29(2)]

License for authorized seed supplier of cannabis under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

Register No..

Name of Licensee.....

s/o r/o.....

State

Place

Tehsil

Distt.

is granted license to sell cannabis seed on payment of license fee of Rs.....on the following terms and conditions:—

1. This license shall remain valid *w.e.f.* to.....
2. The License shall be non-transferable
3. The licensee shall abide by the provisions of the Act and rules framed thereunder
4. The Collector may cancel the license as per rule 33-A of the above rules.
5. The authorized seed supplier holding this license shall not be authorized to sell seeds to licensees other than the licenses holding license in form CC-2, CH-2, CC-MC-2, CH-MC-2 and CC-R under the rules *ibid.*
6. The authorized seed supplier holding this license shall store in his premises only those seeds in respect of which the certificate of analysis has been obtained from the authorized laboratory and in case of seeds imported from outside India, the certificate received alongwith the import documents. The Authorized seed supplier will ensure that the imported seeds and the seeds produced in India are clearly classified, segregated and stored separately.
7. The authorized seed supplier shall keep all the record pertaining to the procurement of seeds and maintain accounts of seeds received, sold and held in stock from time to time in a register to be prescribed by the Commissioner under these rules and produce them before the Excise Officer on demand.

Date of Issue:**Collector (Excise)
Issuing Authority****Form CC-SR-1**

[Rule 29 (2)]

Stock Register of Cannabis Seed
Detail of Quantity of Seed received

Date	Quantity in hand at the beginning of the day opening balance	Sl. No.	Quantity	From whom received Name and date Address of the person to be given alongwith date & time	Consignment note bill No.	Lab certificate quantity report regarding quantity of the Seeds	Total with the stocks in gm/kgs.

Details of quantity of the Seeds sold/distributed/consumed

Sl. No.	Quantity	To whom sold/consumed Name and Address of the person & location of the premises to be given.	Consignment note/invoice issued alongwith date & time with mode of transportation & Vehicle No.	Quantity in hand at the close of the day Closing.	Initial
---------	----------	--	---	---	---------

Note.—The quantity shall be indicated in Grams/Kilograms etc.

The record shall be maintained on day-to-day basis and entries shall be made for each day at the establishments that are open for work irrespective of whether there are any transactions or not and entries shall be completed for each day before the close of the day and in-charge shall initial shall put his initials in the register.

The pages of the register shall contain running numbers.

"Form CC-1"
[See rule 29]

Application for license for cultivation of cannabis (excluding charas & ganja) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 for medical or scientific purposes.

To

The District Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name _____

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for cultivation of cannabis under **Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.**

1. Name of Applicant.....
2. Father's name.....
3. Address.....
4. Detail of Land on which cannabis is to be cultivated
5. Khasra and Khatauni No.....
6. Area of Land alongwith GPS Coordinates.....

7. Detail of warehouse.....
8. Detail of license fee of Rs(Tr No, date and
HIMGRN No).....
9. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce/ by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules made thereunder.

Place:-**Date:****Signature:****Name:****Address:****Mobile No:****Form CC-2**

[See rule 29]

License for cultivation of cannabis (excluding charas & ganja) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 for medical or scientific purposes.

Register No.

Name of Licensee.....

s/o.....

r/o.....

State.....

Place.....

Tehsil.

Distt.

Detail of Land (Area of Land)

Khasra No.....

Khatauni No.....

GPS Coordinates.....

.....is granted license to cultivate cannabis on payment of license fee of Rs..... on the following terms and conditions:—

1. This license shall remain valid *w.e.f.* to.....
2. The License shall be non-transferable.
3. The licensee shall abide by the rules and regulations framed under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985.
4. The Collector may cancel the license under the rule 33-A.
5. The licensee shall neither use cannabis or any part of it for personal use nor allow any other person to use any part of it.
6. The licensee shall maintain proper records of his produce as per the Act and these rules.
7. The licensee shall not transport any part of its produce without valid transportation permit.
8. The licensee shall not cultivate cannabis in any field other than the licensed premises/field.
9. The licensee shall strictly follow the safety measures as provided under these rules.

Date of Issue:**Collector (Excise)
Issuing Authority**

FORM CC-2A
 (See rule 29 & 30-A)

RECORD OF HARVEST OF CANNABIS PLANT

DATE WISE RECORDS OF GREEN BOTANICAL MATERIAL TO BE MAINTAINED BY
THE LICENSED CULTIVATOR

Batch No.	Date	Time	Weight in Kg	Remarks after inspection by designated Excise Officer, if any

**RECORDS OF DRIED BOTANICAL MATERIAL
TO BE MAINTAINED BY LICENSEE AFTER WEIGHMENTS BY DESIGNATED EXCISE
OFFICER**

Batch No.	Date	Time	Weight in Kg	Signature of Licensee authorized representative	Signature of the designated Excise Officer

Form CC-3
[See rule 29(9)]

Application for license for warehousing of cannabis (excluding charas & ganja) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 for medical or scientific purposes.

To

The District Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name _____

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for warehousing of cannabis under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

1. Name of Applicant.....
2. Father's name.....
3. Address
4. Detail of warehouse in which cannabis is to be stored.....
5. Area of Land alongwith GPS Coordinates.....
6. Detail of license fee of Rs...../- (Tr No., date and HIMGRN No.)
7. Detail of Cultivator license (License No. and Date on which issued).....

Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non- bailable offence nor any case is pending against him in any Court of Law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce / by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 and rules *ibid*.

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address:

Mobile No:

Form: CC-4
[See rule 29 (9)]

License for storage/warehouse of cannabis (excluding charas & ganja) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules 1989, for medical or scientific purposes.

Name of Licensee

Register No.

License number in form CC-2.....

Detail of the premises where cannabis is to be stored for further sale and transportation.....

.....

Sh.....

s/o.....

r/o.....is granted license for wholesale storage of cannabis on the following terms and conditions:—

1. This License shall remain valid w.e.f.....to.....
2. License shall be non-transferable.
3. The licensee shall abide by the rules and regulations framed under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
4. He shall neither use any part of stored cannabis himself nor allow other persons to use any part of it.
5. The licensee shall not transfer any part of cannabis to other licensee unless permission has been granted by the Collector of the zone in this regard.
6. The licensee shall maintain proper record and register of the stock lying in the licensed premises.
7. The licensee shall keep standard instruments for weight and measurement.
8. The license may be cancelled by the Collector of the zone in case of any violation of the above Act and the rules *ibid*.

Date of Issue:

**Collector (Excise)
Issuing Authority**

Form CC-5
[See rule 30(A)]

Application for license for processing or manufacturing of cannabis products under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 for medical or scientific purposes.

To

The District In-charge,
District Name

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for the processing/manufacturing of cannabis products for medical and scientific purposes under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989,

1. Name and Designation of Applicant.....

2. Father's name.....
3. Name of Unit.....
4. Address.....
5. Detail of license fee of Rs/(Tr No., date and HIMGRNNo.).....
6. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to process/manufacture and dispose off the produce by products as per the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules framed thereunder.

Place:**Date:****Signature:****Name:****Address:****Mobile No:**

Form: CC-M
[See rule 30(A)]

License for Processing/Manufacturing

License for processing/manufacturing of cannabis for medical and scientific purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

Register No.....

Name of Licensee.....

Address.....

The License in Form CC-M is granted to.....to process and manufacture cannabis products in accordance with the following terms and conditions:—

1. The License is non-transferable.
2. The Licensee shall ensure safety and security of the premises as laid down in these rules.
3. The licensee shall procure and transport cannabis only from the licensed cultivator after having obtained permit in form CC-T from the Collector.
4. The licensee shall abide by the rules and regulations framed under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rules framed thereunder.
5. The license may be cancelled by the Excise Commissioner in case of any violation of the rules and regulations framed under the Act after affording reasonable opportunity of being heard.

6. He shall strictly follow the safety and security measures as prescribed under these rules.

Date of Issue:

**Commissioner of State Taxes and Excise
Issuing Authority**

Form CC-MC-1
[See rule 30-A]

Application for license for cultivation of cannabis (excluding charas & ganja) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 to manufacturing unit for medical or scientific purposes.

To

The District Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name _____

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for cultivation of cannabis under **Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.**

1. Name of Applicant.....
2. Father's name.....
3. Address.....
4. Detail of Land on which cannabis is to be cultivated
5. Khasra and Khatauni No.....
6. Area of Land alongwith GPS Coordinates
7. Detail of warehouse.....
8. Detail of license fee of Rs(Tr. No., date and HIMGRN No.).....
9. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce/ by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules made thereunder.

Place:
Date:

Signature:
Name:
Address:
Mobile No:

Form CC-MC-2
(See rule 30-A)

License for cultivation of cannabis (excluding charas & ganja) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 to manufacturing unit for medical or scientific purposes.

Register No.

Name of Licensee.....

s/o.....

r/o.....

State.....

Place.....

Tehsil.

Distt.

Detail of Land (Area of Land)

Khasra No.....

Khatauni No.....

GPS Coordinates.....

is granted license to cultivate cannabis on payment of license fee of Rs..... on the following terms and conditions:—

1. This license shall remain valid *w.e.f.* to.....
2. The License shall be non-transferable.
3. The licensee shall abide by the rules and regulations framed under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985.
4. The Collector may cancel the license under the rule 33-A.
5. The licensee shall neither use cannabis or any part of it for personal use nor allow any other person to use any part of it.
6. The licensee shall maintain proper records of his produce as per the Act and these rules.
7. The licensee shall not transport any part of its produce without valid transportation permit.

8. The licensee shall not cultivate cannabis in any field other than the licensed premises/field.
9. The licensee shall strictly follow the safety measures as provided under these rules.

Date of Issue:**Collector (Excise)
Issuing Authority**

Form CC-MC-3
 (See rule 30A)

Application for license for warehousing of cannabis (excluding charas & ganja) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 to manufacturing unit for medical or scientific purposes.

To

The District Nodal Officer,
 Department of Agriculture
 District Name _____

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for warehousing of cannabis under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

1. Name of Applicant.....
2. Father's name.....
3. Address
4. Detail of warehouse in which cannabis is to be stored.....
5. Area of Land alongwith GPS Coordinates.....
6. Detail of license fee of Rs...../- (Tr. No., date and HIMGRN No.)
7. Detail of Cultivator license (License No. and Date on which issued).....
 Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non- bailable offence nor any case is pending against him in any Court of Law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce / by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rules *ibid*.

Place:
Date:

Signature:
Name:
Address:
Mobile No:

Form: CC-MC-4
(See rule 30-A)

License for storage/warehouse of cannabis (excluding charas & ganja) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 to manufacturing unit for medical or scientific purposes.

Name of Licensee

Register No.

License number in form CC-MC-2.....

Detail of the premises where cannabis is to be stored for further sale and transportation
.....

.....

Sh.....

s/o.....

r/o.....is granted license for wholesale storage of cannabis on the following terms and conditions:—

1. This License shall remain valid *w.e.f.*.....to.....
2. License shall be non-transferable.
3. The licensee shall abide by the rules and regulations framed under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
4. He shall neither use any part of stored cannabis himself nor allow other persons to use any part of it.
5. The licensee shall not transfer any part of cannabis to other licensee unless permission has been granted by the Collector of the zone in this regard.
6. The licensee shall maintain proper record and register of the stock lying in the licensed premises.
7. The licensee shall keep standard instruments for weight and measurement
8. The license may be cancelled by the Collector of the zone in case of any violation of the above Act and the rules *ibid.*

Date of Issue:

**Collector (Excise)
Issuing Authority**

Form CC-7
(See rule 30-A)

Application for research and analytical testing of cannabis for scientific purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

To

The District In-Charge,
District Name

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for the research and analytical testing of cannabis for medical and scientific purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

1. Name of Applicant/Institute/processing unit
2. Father's name (if individual)
3. Address
4. Detail of license fee of Rs/(Tr. No., date and HIMGRN No.)
5. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible for conducting research as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules made thereunder (Applicable in case applicant is an individual).
6. Copy of hypothesis to be filed by the applicant.

Place:
Date:

Signature:
Name:
Address:
Mobile No:

Form: CC-R
(See rule 30-A)

License for research and analytical testing of cannabis for scientific purpose under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

Register No.

Name of Licensee.....

Address of the premises

License for Research and Analytical testing of the cannabis for medical and scientific purpose is granted to.....as per the following terms and conditions:—

1. This License shall be valid *w.e.f.* to
2. This License shall be non-transferable.
3. The Licensee shall conduct his activities related to cultivation for research and testing only in accordance with the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rules framed thereunder.
4. The licensee shall maintain records of the consignments of cannabis produced, procured and used for the purpose of research and testing.
5. The licensee shall destroy all samples of cannabis of a lot or batch that have been distributed to them, and all cannabis obtained from those samples, within 90 days after completing the testing of the samples, with prior approval of the Collector.
6. The Licensee shall ensure that there is no un-authorized access in the research area.
7. The license may be suspended or cancelled by the Collector in case of any violation of the above act, rules and rules framed there under.

Date of Issue:

Commissioner of State Taxes and Excise
Issuing Authority

Form CC-T
(See rule 33)

Permit for transportation of cannabis for medical and scientific purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 .
(to be filed in quadruplicate)

Sr. No.....

Date.....

Name and address of consigner(s).....

Name and address of consignee(s).....

Sh..... is authorized to transport cannabis from.....to
....., as per the following details:

Detail of Vehicle.....

Detail of consignment being transported

Route of transportation

Number of bundles/packages.....

Total Quantity required.....

This permit is being issued under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 on the following terms and conditions:—

1. The consignment shall not be opened during the course of transportation.
2. The permit shall be valid *w.e.f.* to
3. Any violation of the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules *ibid* shall invite/warrant action under the said Act and rules.

Date of Issue:

Deputy Commissioner of State Taxes & Excise
District In-charge,
Issuing Authority

Form CC-P
(See rule 33)

Pass for transportation of cannabis for medical and scientific purposes under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

(to be filed in quadruplicate)

Sr. No.....

Date.....

Name and address of consigner(s).....

Name and address of consignee(s).....

Sh..... is authorized to transport cannabis from.....to
, as per the following details:

Detail of Vehicle.....

Detail of Permit

Detail of consignment being transported

.....

.....

Route of transportation

Number of bundles/packages.....

Total weight at the time of dispatch.....

This pass is being issued under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 on the following terms and conditions:—

1. The consignment shall not be opened during the course of transportation.
2. The pass shall be valid *w.e.f.* to
3. Any violation of the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules *ibid* shall invite/warrant action under the said Act and rules.

Date of Issue:

**ASTEO/ STEO, In-charge
Issuing Authority**

By order,

Sd/-
Secretary (State Taxes and Excise).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.)

Veena Sharma w/o Sh. Roshan Lal Sharma, resident of Village Jawah, P.O. Thuran, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.)-174 034 . . *Applicant.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Veena Sharma w/o Sh. Roshan Lal Sharma, resident of Village Jawah, P.O. Thuran, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.)-174 034 has preferred an application to the undersigned for correction of her name & date of birth in her Aadhar Card Record. She further submitted that her correct name is Veena Sharma w/o Sh. Roshan Lal Sharma instead of Beena Devi w/o Sh. Roshan Lal and her correct date of birth 11-06-1966 instead of 1966. In this connection she supported her husband's all army service records.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby Informed that any person having any objection for correction in name & date of birth as mentioned above may submit his objection in writing within (30) thirty days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of this court on this 06th day of July, 2026.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.)

Rachna d/o Sh. Mahender Singh, r/o Village Chambi, P.O. Chambi, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) presently w/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Bharoli Khurd, P.O. Bharoli Kalan, Sub-Tehsil Kalol, Distt. Bilaspur (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Rachna d/o Sh. Mahender Singh, r/o Village Chambi, P.O. Chambi, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) presently w/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Bharoli Khurd, P.O. Bharoli Kalan, Sub-Tehsil Kalol, Distt. Bilaspur (H.P.) has preferred an application to the undersigned for correction of her name & date of birth in her Aadhar Card Record. She further submitted that her correct name is Rachna instead of Kanchan and her correct date of birth 24-07-1984 instead of 01-01-1986. In this connection she supported her Gram Panchayat Pariwar Register record.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby Informed that any person having any objection for correction in name & date of birth as mentioned above may submit his objection in writing within (30) thirty days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of this court on this 03rd day of July, 2026.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.)

Kamala Devi w/o Sh. Piare Lal, resident of Village Poli, P.O. Thuran, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.)-174 034 . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Kamala Devi w/o Sh. Piare Lal, resident of Village Poli, P.O. Thuran, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.)-174 034 has preferred an application to the undersigned for correction of her name & date of birth in her Aadhar Card Record. She further submitted that her correct name is Kamala Devi w/o Sh. Piare Lal instead of Kamla Devi w/o Sh. Payare Lal and her correct date of birth 01-01-1961 instead of 1959. In this connection she supported her husband's all C.R.P.F. Service record and also Gram Panchayat Pariwar Register records.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby Informed that any person having any objection for correction in name & date of birth as mentioned above may submit his objection in writing within (30) thirty days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of this court on this 09th day of July, 2026.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).*

**In the Court of Swati Dogra, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Barsar,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rohit Kumar s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Village Lakhoh, P.O. Balh Bihal, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Shipali d/o Sh. Sanjay Kumar, r/o Village Jhamrani, P.O. & Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Rohit Kumar and Mrs. Shipali have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 09-07-2026.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 10-08-2026. In case no objection is received by 10-08-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 09-07-2026.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Swati Dogra, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Barsar, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Jaswant Singh, r/o Village & P.O. Kanoh, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Neha d/o Sh. Rasid Ali, r/o Village Bamiana, P.O. Razipur, Tehsil Aoula, District Bareilly (U.P.).

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Rajesh Kumar and Mrs. Neha have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating theree in that they have solemnized their marriage on 12-07-2026.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person haveing any objection regarding this marriage may file his/her objection personally or in writing, before this court on or before 14-08-2026. In case no objection is received by 14-08-2026 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 13-07-2026.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Divisional Barsar,
District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate Excercising the Power of Marriage Officer
Nadaun, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sanjeev Kumar age 45 years s/o Sita Ram, r/o Village Beru, P.O. Putrial, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Rekha age 50 years d/o Inder Lal, r/o Village Purana Dariwal, P.O. Dariwal, Tehsil & District Gurdaspur, Panjab .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice for registration of marriage Under special marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnize their marriage on date 13-04-2024 at Village Beru, P.O. Putrial, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and they areliving as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this office on or before 21-08-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 21-08-2026 at 11-00 A.M will not be entertained by this office and the marriage will be registered as per the law prescribed.

Issued on date 01-07-2026 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate Exercising the Power of Marriage Officer
Nadaun, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Rishi Kumar age 33 years s/o Manohar Lal, r/o Village Jasai, P.O. Jansoo, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Babita Dhiman age 38 years d/o Mukesh Chand, r/o Village Salyal, P.O. Karaur, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.). .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section u/s 5 of special marriage Act, 1976.

Rishi Kumar & Babita Dhiman have filed an application u/s 5 Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 29-08-2026 at 11.00 A.M. In case no objection is received by 29-08-2026 at 11-00 A.M it will not be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of this court on 01-07-2026.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर
16 / 2026

किस्म मुकद्दमा :
इन्द्राज जन्म तिथि

दायर तिथि :
14-07-2026

अगामी तारीख पेशी / सुनवाई :
29-07-2026

श्री चंदन ठाकुर पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी गांव दाडला, डाकघर भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री चंदन ठाकुर पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी गांव दाडला, डाकघर भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार/सूचना/मुश्त्री मुनादी आदि।

श्री चंदन ठाकुर पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी गांव दाडला, डाकघर भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन पत्र शपथ—पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख है कि श्री चंदन ठाकुर पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी गांव दाडला, डाकघर भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 18-05-1983 को हुआ है, जो कि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत दाडला के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी अपना जन्म तिथि व घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत दाडला के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री चंदन ठाकुर पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी गांव दाडला, डाकघर भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 18-05-1983 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत दाडला के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-07-2026 को इस अदालत में प्रातः 11 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 18-05-1983 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत दाडला के रिकार्ड में दर्ज करने आदेश पारित कर दिए जाएंगे तथा बाद में किसी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 14-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर :
7059130/2026/ONLINE

दायर तिथि :
30-06-2026

अगामी तारीख पेशी :
29-07-2026

श्री अशवनी कुमार पाठक पुत्र दीनानाथ पाठक, निवासी महाल मिहाडपुरा, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम 1954.

दिनांक 30-06-2026 को प्रार्थी श्री अशवनी कुमार पाठक पुत्र दीनानाथ पाठक, निवासी महाल मिहाडपुरा, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना—पत्र

हिमाचल प्रदेश भू अधिनियम, 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर के अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके सभी दस्तावेजों में अश्वनी कुमार पाठक हैं। जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम अशवनी है, जोकि अशवनी उर्फ अशवनी कुमार पाठक राजस्व विभाग में दर्ज/दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर कारवाई करते हुए आरंभिक जांच व छानवीन फिल्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाए गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग अशवनी उर्फ अशवनी कुमार पाठक दोनों नामों से जानते हैं।

इस बारे आम जनता को बजरिया इश्तहार/मुस्त्री-मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी श्री अशवनी कुमार पाठक पुत्र दीनानाथ पाठक, निवासी महाल मिहाडपुरा, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व विभाग में अशवनी उर्फ अशवनी कुमार पाठक दर्ज/दुरुस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-07-2026 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी उपरोक्तक का नाम राजस्व रिकार्ड में अशवनी उर्फ अशवनी कुमार पाठक दर्ज/दुरुस्त तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरांत कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार/मुस्त्री-मुनादी आज दिनांक 14-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**In the Court of Executive Magistrate-cum-Naib-Tehsildar Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Piar Chand

Versus

General Public

Notice to General Public.

Piar Chand s/o Sh. Runk, r/o Village & Post Office Maharal, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of his date of birth which has taken place on 12-02-1965 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Maharal. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if any person is having any objection regarding the entry of date of birth of the applicant which is 12-02-1965, they can file their objections either in writing or through their counsel within a period of 30 days from the date of issue of this notice, if no objection is received from any person regarding the date of birth which is 12-02-1965 the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 14-07-2026.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर : 7059129/2026/ONLINE दायर तिथि : 30-06-2026 अगामी तारीख पेशी : 30-07-2026

इरा वर्मा पुत्री अनिल कुमार वर्मा, निवासी महाल दरयाल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954.

इरा वर्मा पुत्री अनिल कुमार वर्मा, निवासी महाल दरयाल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश भू अधिनियम, 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर के अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम उसके सभी दस्तावेजों में अनिल कुमार वर्मा है। जबकि राजस्व विभाग में उसके पिता का नाम अनिल कुमार दर्ज है, जोकि अनिल कुमार वर्मा राजस्व विभाग में दर्ज/दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई करते हुए आरंभिक जांच व छानबीन फिल्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाए गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थिया के पिता को सभी लोग अनिल कुमार उर्फ अनिल कुमार वर्मा दोनों नामों से जानते हैं।

इस बारे आम जनता को बजरिया इश्तहार/मुस्त्री-मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया इरा वर्मा पुत्री अनिल कुमार वर्मा, निवासी महाल दरयाल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के पिता का नाम राजस्व विभाग में अनिल कुमार उर्फ अनिल कुमार वर्मा दर्ज/दुरुस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-07-2026 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया उपरोक्त के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अनिल कुमार उर्फ अनिल कुमार वर्मा दर्ज/दुरुस्त तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरांत कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार/मुस्त्री-मुनादी आज दिनांक 15-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर : 7059124/2026/ONLINE दायर तिथि : 12-06-2026 अगामी तारीख पेशी : 30-07-2026
श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी महाल दरयाल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954.

दिनांक 12-06-2026 को प्रार्थी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी महाल दरयाल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना—पत्र हिमाचल प्रदेश भू अधिनियम, 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर के अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके सभी दस्तावेजों में रामस्वरूप वर्मा है। जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम रामस्वरूप दर्ज है, जोकि रामस्वरूप उर्फ रामस्वरूप वर्मा राजस्व विभाग में दर्ज/दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र पर कार्रवाई करते हुए आरंभिक जांच व छानबीन फिल्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाए गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थिया के सभी लोग रामस्वरूप उर्फ रामस्वरूप वर्मा दोनों नामों से जानते हैं।

इस बारे आम जनता को बजरिया इश्तहार/मुस्त्री—मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी महाल दरयाल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का नाम राजस्व विभाग में रामस्वरूप उर्फ रामस्वरूप वर्मा दर्ज/दुरुस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-07-2026 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी उपरोक्त का नाम राजस्व रिकार्ड में रामस्वरूप उर्फ रामस्वरूप वर्मा दर्ज/दुरुस्त तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरांत कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार/मुस्त्री—मुनादी आज दिनांक 15-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**In the Court of Dr. Vikas Sukla, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

1. Ankaj Kumar aged 27 years s/o Late Sh. Amar Singh, r/o Village Bhadeen, P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Lakshmi Kumari aged 21 years d/o Sh. Sanjay Gupta, r/o Village Osaon, P.O. Osaon Thana Kachhwa Osawan, Rohtas (Bihar)-821 309 . . Applicants.

Versus

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Ankaj Kumar aged 27 years s/o Late Sh. Amar Singh, r/o Village Bhadeen, P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Lakshmi Kumari aged 21 years d/o Sh. Sanjay Gupta, r/o Village Osaon, P.O. Osaon Thana Kachhwa Osawan, Rohtas (Bihar)-821 309 have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnized their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-08-2026. The objections received after 11-08-2026 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-07-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(SH. VIKAS SUKLA, H.A.S.),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नं०	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर :	तारीख पेशी :
806474 / 2026	नाम दुरुस्ती	20-03-2026	27-07-2026

श्री बिधि सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, पुत्र महन्त वासी गांव नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

वादी।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती under section 37 (1) 1954 श्री बिधि सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, पुत्र महन्त वासी गांव नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री बिधि सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, वासी गांव नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका नाम मोहाल नलाही के राजस्व अभिलेख में बिधि चन्द पुत्र मुन्शी राम पुत्र महन्त दर्ज है जबकि उसका सही नाम बिधि सिंह पुत्र मुन्शी राम पुत्र महन्त है। लिहाजा इसे महाल नलाही के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके बिधि सिंह पुत्र मुन्शी राम पुत्र महन्त किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 27-07-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी का नाम मोहाल नलाही के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 13-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नं0 :
02/NT/2025

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

तारीख दायर :
24-01-2025

तारीख पेशी :
17-08-2026

बलबीर सिंह

बनाम

प्रकाश चन्द आदि।

इशतहार

उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा किस्म तकसीम हुकमन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विचारधीन है जिसमें प्रतिवादीगण सर्व श्री 5. समीर सिंह पुत्र सीमा देवी, 6. कैसर सिंह पुत्र पृथ्वी चन्द वासी मोहाल लौंगणी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) है।

उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है इसलिए उन्हें बजरिया अखबार इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 17-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवे अन्यथा आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नं0 :
30/NT/2021

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

तारीख दायर :
09-08-2021

तारीख पेशी :
17-08-2026

सन्तोष आदि

बनाम

प्रदीप कुमार आदि।

इशतहार

उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा किस्म तकसीम हुकमन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विचारधीन है जिसमें प्रतिवादीगण सर्व श्री 2. भारती पुत्री अन्जु बाला, 4. कर्ण सिंह पुत्र देव राज, 5. अरुण सिंह पुत्र देव राज व 6. कमलेश कुमारी विधवा देव राज वासी मोहाल सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) हैं।

उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है इसलिए उन्हें बजरिया अखबार इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 17-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवे अन्यथा आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नं0 :
31/NT/2021

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

तारीख दायर :
09-08-2021

तारीख पेशी :
17-08-2026

सन्तोष आदि

बनाम

प्रदीप कुमार आदि।

इशतहार

उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा किस्म तकसीम हुकमन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विचारधीन है जिसमें प्रतिवादीगण सर्व श्री 2. भारती पुत्री अन्जु बाला, वासी मोहाल सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) है।

उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है इसलिए उन्हें बजरिया अखबार इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 17-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवे अन्यथा आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0

मुकद्दमा नं0 : 97/2025

खाता नम्बर — 15

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 03-09-2026

1. टेक सिंह पुत्र विधिया, 2. तीता सिंह उपनाम लेख राज पुत्र विधिया, निवासीगण महाल पंतेहड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 सायल।

बनाम

1. गगन सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह, 2. विपन सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह, 3. सम्पत सिंह पुत्र स्वर्णा देवी, 4. अनिल संगोत्रा पुत्र स्वर्णा देवी, 5. जसवन्त सिंह पुत्र भीम सिंह, 6. कुलवन्त सिंह पुत्र भीम सिंह, 7. अंकाक्ष कटोच पुत्र विरेन्द्र कटोच, 8. मोहित सिंह पुत्र कृष्ण सिंह, 9. मोंटी पटियाल पुत्र रमेश सिंह, 10. कुमारी गोल्डी पुत्री कान्तो देवी, 11. देश राज पुत्र मिलाप चन्द, निवासीगण महाल पंतेहड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रतिवादीगण।

विषय.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 15 खतौनी नं0 30 ता 32 खसरा कित्ता-09, रकबा तदादी 00-73-04 हैक्ट0 महाल पंतेहड़ पटवार वृत्त ननाओं, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 वमुजव जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गए किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं। अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है।

अतः अब इस इशतहार राजपत्र हि0प्र0 व मुश्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 03-09-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 96/2025

खाता नम्बर — 10

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 03-09-2026

1. टेक सिंह पुत्र विधिया, 2. टीटा सिंह उपनाम लेख राज पुत्र विधिया, निवासीगण महाल पंतेहड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 सायल।

बनाम

1. गगन सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह, 2. विपन सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह, 3. सुरजीत सिंह पुत्र शमशेर सिंह, 4. नवीन सिंह पुत्र शमशेर सिंह, 5. राजीव कुमार उपनाम राजीव पटियाल पुत्र शमशेर सिंह, 6. सिमरो देवी विधवा शमशेर सिंह, 7. रणजीत सिंह पुत्र साली उपनाम सालीग्राम, 8. राज कुमारी पुत्री साली उपनाम सालीग्राम, 9. कुशमलत्ता पुत्री पाला, 10. सम्पत सिंह पुत्र स्वर्णा देवी, 11. अनिल संगोत्रा पुत्र स्वर्णा देवी, 12. जसवन्त सिंह पुत्र भीम सिंह, 13. कुलवन्त सिंह पुत्र भीम सिंह, 14. कुमारी गोल्डी पुत्री कान्ता देवी, 15. देश राज पुत्र मिलाप चन्द, 16. अंकाक्ष पुत्र विरेन्द्र सिंह, 17. सुमना देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह, 18. मोहित सिंह पुत्र कृष्ण सिंह, 19. मोंटी पटियाल पुत्र रमेश सिंह, निवासीगण महाल वल्ला, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 प्रतिवादीगण।

विषय.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं० 10 खतौनी नं० 10 ता 13 खसरा कित्ता-06, रकबा तादादी 00-08-53 हैक्ट० महाल पन्तेहड़ पटवार वृत्त ननाओं, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 वमुजव जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गए किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं। अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है।

अतः अब इस इशतहार राजपत्र हि0प्र0 व मुश्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 03-09-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 94/2025
खाता नम्बर — 11

किस्म मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 03-09-2026

1. टेक सिंह पुत्र विधिया, 2. तीता सिंह उपनाम लेख राज पुत्र विधिया, निवासीगण महाल पन्तेहड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 सायल।

बनाम

1. कुमारी गोल्डी पुत्री कान्तो देवी, 2. सम्पत सिंह पुत्र स्वर्णा देवी, 3. अनिल संगोत्रा पुत्र स्वर्णा देवी, निवासीगण महाल पन्तेहड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 प्रतिवादीगण।

विषय.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं० 11 खतौनी नं० 14 ता 15 खसरा कित्ता-05, रकबा तादादी 00-05-55 हैक्ट० महाल पन्तेहड़ पटवार वृत्त ननाओं,

तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 वमुजव जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गए किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं। अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है।

अतः अब इस इशतहार राजपत्र हि0प्र0 व मुश्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 03-09-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

1. Janak Kumar aged 34 years s/o Sh. Desh Raj, r/o Village Kalri, P.O. Phakloh, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

2. Reeta Kumari aged 34 years d/o Sh. Balvinder Singh, r/o Village Upper Balwal, P.O. Tyambal, Tehsil Dadasiba, Distt. Kangra (H.P.)
.. Applicants.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 10-03-2025 at r/o Upper Balwal, P.O. Tyambal, Tehsil Dadasiba, Distt. Kangra, H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 22-08-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 22-08-2026 at 11.00 A.M., will not entertain by this office and then the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this day 9th day of July, 2026 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra(H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

1. Vishal aged 28 years s/o Sh. Girdhari Lal, r/o Village Banghar, P.O. & Sub-Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.).

2. Priyanka aged 25 years d/o Sh. Subhash Kumar, r/o Village Bagehar, P.O. & Sub-Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

.. *Respondent.*

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 19-06-2026 at Shri Mahakali Maa Kamakhya Devi Temple Bharmarth, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 08-09-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 08-09-2026 at 11.00 A.M., will not entertain by this office and then the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this day 13th day of July, 2026 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra(H.P.).*

**In the Court of Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Raja Ka Talab,
District Kangra (H.P.)**

File No. /TEH/2026

Date of Institution : 14-07-2026

Case Titled : Correction of name

Name of applicant:—Sanjay Kishan Kaul s/o Sh. Manmohan Kishan, r/o Village Baroh, P.O. & Tehsil Raja ka Talab, District Kangra (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

The General Public

. . Respondent.

Notice to General Public

Whereas, Sanjay Kishan Kaul s/o Sh. Manmohan Kishan, r/o Village Baroh, P.O. & Teshil Raja ka Talab, District Kangra (H.P.) has filed an application before the undersigned in which he has stated that his correct name according to Gram Panchayat record, Aadhar Card, Bank record, Mark List etc. is Sanjay Kishan Kaul s/o Sh. Manmohan Kishan but due to clerical mistake his name has been wrongly entered in Revenue record of Mohal Baroh, Patwar Circle Larth bearing Khata No. 28.

The enquiry of the application filed by the applicant was conducted through field revenue agencies and after receiving report from the field revenue agencies, it has been observed that the applicant's correct name is Sanjay Kishan Kaul s/o Sh. Manmohan Kishan but the name of the applicant is recorded in revenue record is Sanjay Kishan s/o Sh. Manmohan Kishan.

Now, therefore, in pursuance of section 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954, proclamation is hereby issued to the General public concerned that objection in this regard for the correction of the name of Sanjay Kishan s/o Sh. Manmohan Kishan shall be heard by the undersigned on 30-07-2026 in his court at Raja Ka Talab. Any person having any objection to make in the matter may due so on the said date and place in person or through legal practitioner or through recognised agent. In case of non appearance proceedings will be taken *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 14-07-2026.

Seal.

Sd/-

*Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.).*

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

गोविन्द कुमार पुत्र रुप सिंह, निवासी गांव हाडा, डा0 व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेरे धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954।

प्रार्थी श्री गोविन्द कुमार पुत्र रुप सिंह, निवासी गांव हाडा, डा0 व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती हेतु गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का नाम महाल हाडा व फतेहपुर के राजस्व रिकॉर्ड में रुप लाल दर्ज है। परन्तु प्रार्थी के आधार कार्ड, पंचायत रिकॉर्ड व स्कूल रिकार्ड में उनका नाम रुप सिंह दर्ज है। प्रार्थना-पत्र के अनुसार रुप लाल व रुप सिंह दोनों एक ही

व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी महाल हाडा व फतेहपुर के राजस्व कागजात में अपने पिता का नाम रुप लाल उर्फ रुप सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम को महाल हाडा में दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे असागतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रुप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के पिता का नाम महाल हाडा व फतेहपुर के राजस्व रिकॉर्ड में रुप लाल उर्फ रुप सिंह दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

आज दिनांक ----- को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0

मुकद्दमा नं0 : 100/2025
खाता नम्बर — 14

किस्म मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 03-09-2026

1. टेक सिंह पुत्र विधिया, 2. टीटा सिंह उपनाम लेख राज पुत्र विधिया, निवासीगण महाल पंतेहड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 सायल।

बनाम

1. गगन सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह, 2. विपन सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह, 3. कुलदीप सिंह पुत्र पाला, 4. सरोज देवी पुत्री पाला, 5. सुदर्शना देवी पुत्री पाला, 6. कान्ता देवी पुत्री पाला, 7. कुशमलता पुत्री पाला, 8. सम्पत सिंह पुत्र स्वर्णा देवी, 9. अनिल संगोत्रा पुत्र स्वर्णा देवी, 10. जसवन्त सिंह पुत्र भीम सिंह, 11. कुलवन्त सिंह पुत्र भीम सिंह, 12. विन्ता देवी पुत्री भीम सिंह, 13. सुरेश देवी पुत्री भीम सिंह, 14. कुमारी गोल्डी पुत्री कान्ता देवी, 15. देश राज पुत्र मिलाप चन्द, 16. अंकाक्ष पुत्र विरेन्द्र सिंह, 17. सुमना देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह, 18. मोहित सिंह पुत्र कृष्ण सिंह, 19. मोटी पटियाल पुत्र रमेश सिंह, निवासीगण महाल वल्ला, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रतिवादीगण।

विषय.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 14 खतौनी नं0 23 ता 29 खसरा कित्ता-14, रकबा तादादी 00-07-28 हैक्ट0 महाल पन्तेहड़, पटवार वृत्त ननाओं, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 वमुजव जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गए किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है।

अतः अब इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुश्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 03-09-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असागतन या वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0

मुकद्दमा नं0 : 101/2025
खाता नम्बर — 16

किस्म मुकद्दमा : तकसीम
तारीख पेशी : 03-09-2026

1. टेक सिंह पुत्र विधिया, 2. तीता सिंह उपनाम लेख राज पुत्र विधिया, निवासीगण महाल पंतेहड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 सायल।

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र अजुध्या देवी, 2. जगरूप सिंह पुत्र अजुध्या देवी, 3. गगन सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह, 4. विपन सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह, 5. सुरजीत सिंह पुत्र शमशेर सिंह, 6. नवीन सिंह पुत्र शमशेर सिंह, 7. राजीव कुमार पुत्र शमशेर सिंह, 8. सिमरो देवी विधवा शमशेर सिंह, 9. राज कुमारी पुत्री साली उपनाम सालीग्राम, 10. कुलदीप सिंह पुत्र पाला, 11. सरोज देवी पुत्री पाला, 12. सुदर्शना देवी पुत्री पाला, 13. कुशमलत्ता पुत्री पाला, 14. सम्पत सिंह पुत्र स्वर्णा देवी, 15. अनिल संगोत्रा पुत्र स्वर्णा देवी, 16. जसवन्त सिंह पुत्र मिलाप चन्द, 17. कुलवन्त सिंह पुत्र मिलाप चन्द, 18. कुमारी गोल्डी पुत्री मिलाप चन्द, 19. देश राज पुत्र मिलाप चन्द, 20. अंकाक्ष पुत्र विरेन्द्र सिंह, 21. सुमन देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह, 22. मोहित पुत्र कृष्ण सिंह, 23. मोंटी पटियाल पुत्र रमेश सिंह, निवासीगण महाल पन्तेहड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रतिवादीगण।

विषय.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 16 खतौनी नं0 38 खसरा किता-02, रकबा तादादी 00-00-43 हैक्ट0 महाल पन्तेहड़, पटवार वृत्त ननाओं, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 वमुजव जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गए किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं। अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है।

अतः अब इस इशतहार राजपत्र हि0प्र0 व मुश्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 03-09-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकदमा रशीना पुत्री रुलिया खान, वासी गांव उप्परली बढल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेरे धारा 13 (3) जन्मतिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966।

प्रार्थिया रशीना पुत्री रुलिया खान, वासी गांव उप्परली बढल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 23-05-1975 है, के पंजीकरण हेतु अद्योहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन के तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकदमा प्रीतो देवी पुत्री हरी राम, वासी गांव बढल ठोर, डाकघर ठोर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेरे धारा 13 (3) जन्मतिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966।

प्रार्थिया प्रीतो देवी पुत्री हरी राम, वासी गांव बढल ठोर, डाकघर ठोर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जो कि 15-12-1954 है, के पंजीकरण हेतु अद्योहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जो कि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन के तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 07 / 2026

तारीख पेशी : 12-07-2026

श्रीमती नीता देवी पुत्री राम लोक, गांव हरदीपपुर, डाकघर लगडू, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

1. आम जनता गांव हरदीपपुर, डाकघर लगडू, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
2. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत हरदीपपुर प्रतिवादी।

विषय.—हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अर्न्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

श्रीमती नीता देवी पुत्री राम लोक, गांव हरदीपपुर, डाकघर लगडू, ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर के अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 17-02-1984 को हुआ है, परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत हरदीपपुर में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत हरदीपपुर को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 12-07-2026 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करे। गैर हाजिरी की सूरत में नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 16-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री ललित कुमार, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 7016133/2026

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 26-08-2026

सीमा रानी पुत्री श्री नन्द लाल, गांव व डाकघर मोलग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

सीमा रानी पुत्री श्री नन्द लाल, गांव व डाकघर मोलग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 01-01-1972 को गांव व डाकघर मोलग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ग्राम पंचायत मोलग में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश के कारण मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे घरवालों ने व किसी भी परिवार के सदस्य ने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मोलग के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मोलग को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्ट्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सीमा रानी पुत्री श्री नन्द लाल, गांव व

डाकघर मोलग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के जन्म दिनांक 01-01-1972 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-08-2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत मोलग को पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर मोहर अदालत से आज दिनांक 14-07-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री ललित कुमार, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 7016132/2026

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 26-08-2026

सुरेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव लुगट, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा,
हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

सुरेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव लुगट, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 05-07-1971 को गांव लुगट, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ग्राम पंचायत मझेड़ा में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश के कारण मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे घरवालों ने व किसी भी परिवार के सदस्य ने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझेड़ा के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मझेड़ा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्ट्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव लुगट, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के जन्म दिनांक 05-07-1971 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-08-2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत मझेड़ा को पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर मोहर अदालत से आज दिनांक 14-07-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : 07 Misc /NT / 2026

श्रीमती नरिन्दर कौर पत्नी श्री प्रितपाल सिंह, पुत्री संगारा सिंह, निवासी गांव मिलवां, डाकघर उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969।

प्रार्थिया श्रीमती नरिन्दर कौर पत्नी श्री प्रितपाल सिंह, पुत्री संगारा सिंह, निवासी गांव मिलवां, डाकघर उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1979 को गांव मिलवां, डाकघर उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी, जिसे वह ग्राम पंचायत मिलवां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असातन या वकालतन दिनांक 15-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत मिलवां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री वलदेव सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र कूड़ा, निवासी गांव मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र बाबत इन्तकाल नं० 848 तब्दील मलकियत दिनांक 21-06-2026।

उपरोक्त इन्तकाल किस्म तब्दील मलकियत इन्तकाल नम्बर 848 दिनांक 21-06-2026 संबंधी मिसल पटवार वृत्त संजवा में फैसले हेतु विचाराधीन है। जिसमें अंशकालीन कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से प्रत्यार्थी को इतलाह दी गई थी लेकिन उक्त प्रत्यार्थी निवासी गांव मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम का कोई भी व्यक्ति न पाया गया इस बात की पुष्टि सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा की गई। लेकिन

कोई हाजिर न आया जिस कारण इन्तकाल तस्दीक न हो सका। उक्त प्रत्यार्थीगण को इतलाह साधारण तरीके से न हो पा रही है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह दिनांक 30-07-2026 को असातन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर इन्तकाल का फैसला कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

सोनिया शर्मा पुत्री श्री सुमन कुमार, निवासी महाल मानगड, डाकघर पोलियां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पोलियां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.—इश्तहार गजट राजपत्र बनाम आम जनता।

प्रार्थिया सोनिया शर्मा पुत्री श्री सुमन कुमार, निवासी महाल मानगड, डाकघर पोलियां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 27-08-1994 को महाल बाबत ग्राम पंचायत मानगड में हुआ था, जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पोलियां में न हो पाया है व उसकी जन्म तिथि के विलम्बित पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं। प्रार्थिया के प्रार्थना—पत्र के समर्थन में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला व शपथ—पत्र प्रार्थी व अन्य वाशिंदगान देह साथ संलग्न है।

अतः इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा हर आम व खास प्रार्थिया श्रीमती सोनिया शर्मा के आवेदन बराए विलम्बित जन्म पंजीकरण सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया के आवेदन बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-08-2026 को या इससे पूर्व इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। कोई आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण करने आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर सहित मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

मुकद्दमा संख्या :
70347/2026

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती इन्द्राज बारे

तारीख दायर :
02-07-2025

तारीख फैसला :

श्री रत्न सैन पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री रत्न सैन पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम रत्न सैन राजस्व माल कागजात में गलत दर्ज है। वादी राजस्व माल कागजात में अपना नाम रत्न सैन पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त के स्थान पर रत्न सैन नेगी पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों का मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से पाया गया कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात के राजस्व सांगला में रत्न सैन पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त हुआ है। जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र में रत्न सैन नेगी पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त सही पाया गया मौके पर ग्राम वासी सांगला के ब्यानात लिए गए हैं। लिहाजा दस्तावेजों एवं ब्यानात के मध्यनजर रखते हुए वादी के नाम राजस्व माल कागजात मौजा सांगला में दुरुस्ती की जानी वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा सांगला में रत्न सैन पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त के स्थान पर रत्न सैन नेगी पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 30-07-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व कागजात मौजा सांगला में वादी का नाम रत्न सैन पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त के स्थान पर रत्न सैन नेगी पुत्र स्वर्गीय श्री भीम दत्त दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 09-07-2026 का जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**Before the Court of Additional District Magistrate-cum-Collector Sub-Divisional Pooh,
Distt. Kinnaur (H.P.)**

Case No. 2/2026

Sh. Daljeet Singh s/o Sh. Narinder Kumar, r/o V.P.O Nesang, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)
..Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Subject.—Regarding application u/s 13(3) of Birth & Death Registration Act, for registration of birth his daughter named Vedika Negi.

Applicant Sh. Daljeet Singh s/o Sh. Narinder Kumar, r/o V.P.O Nesang, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.) has moved an application before the District Registrar (Birth & Death) cum-chief Medical Officer Kinnaur (H.P.) under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 along with affidavits and other relevant documents stating therein that his daughter named Miss Vedika Negi has been born on 01-03-2012 at V.P.O Nesang, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.), but her date of birth could not be entered in the birth record of Gram Panchayat Nesang, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public and relatives of Vedika Negi are hereby informed that if any person is having any objection for the registration of delayed date of birth (01-03-2012) of Vedika Negi d/o Daljeet Singh s/o Sh. Narinder Kumar, r/o V.P.O Nesang, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.) may submit their objections in writing in the court of undersigned on or before one month failing which no objection will be entertained after expiry of duration.

Issued under my hand and seal of the Court on this 13-07-2026.

Seal.

Sd/-

Additional District Magistrate
Sub-Division Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.).

**Before the District Registrar (Marriages)-cum-Additional District Magistrate, Kullu,
District Kullu (H.P.)**

1. Sh. Seangay s/o Sh. Dharam Chand, r/o Ward No. 4, Village Thella, P.O. Bajaura, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.).

2. Smt. Dimpi d/o Sh. Khem Raj (Natives Nepal), c/o Larenkelo, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(3) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Seangay s/o Sh. Dharam Chand, r/o Ward No. 4, Village Thella, P.O. Bajaura, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.) & Smt. Dimpi d/o Sh. Khem Raj (Natives Nepal), c/o Larenkelo, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) have filed an application along with the affidavits in the office of undersigned stating therein that they have solemnised their marriage on 02-11-2025 but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, Gram Panchayat Hat, in Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 13th July, 2026.

Seal.

Sd/-
(SURJEET SINGH RATHORE),
District Registrar (Marriages)-cum-ADM,
Kullu, District Kullu (H.P.).

**Before the District Registrar (Marriages)-cum-Additional District Magistrate, Kullu,
District Kullu (H.P.)**

1. Sh. Shubham s/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Sharabai, P.O. & Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.).

2. Smt. Richa d/o Sh. Surender Kumar, r/o Village Bahwa (118), P.O. Dal, Tehsil Chachyot, Distt. Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(3) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Shubham s/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Sharabai, P.O. & Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.) & Smt. Richa d/o Sh. Surender Kumar, r/o Village Bahwa (118), P.O. Dal, Tehsil Chachyot, Distt. Mandi (H.P.) have filed an application alongwith the affidavits in the office of undersigned stating therein that they have solemnised their marriage on 08-01-2026 but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, Gram Panchayat Mashgan, in Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 13th July, 2026.

Seal.

Sd/-
(SURJEET SINGH RATHORE),
District Registrar (Marriages)-cum-ADM,
Kullu, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Guljar s/o Sh. Nazibuddin, r/o H.N. 45, Housing Board Colony, Phase 1, Saproon, Shaprun (653), Solan (H.P.)-173 211 declare that I have changed my minor son's name from Bilal to Mohammad Bilal. Please note all concerned for further.

GULJAR
s/o Sh. Nazibuddin,
r/o H.N. 45, Housing Board Colony, Phase 1,
Saproon, Shaprun (653), Solan (H.P.)-173 211.

CORRECTION OF NAME

I, Bhavna w/o Sh. Rajender Kumar, r/o Village Chhalkhi, P.O. Diargi, Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Bhawana Kumari which should be corrected as Bhavna. Please correct this.

BHAVNA
w/o Sh. Rajender Kumar,
r/o Village Chhalkhi, P.O. Diargi,
Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kunta Devi w/o Sh. Mohan Kumar, r/o Village & Post Office Darlaghat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that my name Kunta Devi instead of Kunti Devi is wrongly entered in my Aadhar Card. My actual and correct name is Kunta Devi. Now correct my name Kunta Devi in place of Kunti Devi in the Aadhar Card record. All concerned please may note.

KUNTA DEVI
w/o Sh. Mohan Kumar,
r/o Village & Post Office Darlaghat,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pitamber s/o Sh. Naganu Ram, r/o Village Raru, Post Office Upper Behli, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)-174 401 declare that I have changed my minor daughter's name from Baby one of Pratibha to Shanvi. Please note all concerned for further.

PITAMBER
s/o Sh. Naganu Ram,
r/o Village Raru, Post Office Upper Behli,
Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)-174 401.

CORRECTION OF NAME

I, Anita Devi w/o Sh. Sushil Kumar, r/o Village Kolu Ki Kawali, P.O. Ghanahatti, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171 011 declare that in my son Pranav Sharma's Secondary School Examination (Class-X) Certificate, Year 2023, Roll No. 17271010, issued by the Central Board of Secondary Education (CBSE) and his Senior School Certificate (Class-XII), my name has been incorrectly recorded as Anita Sharma instead of my correct name Anita Devi in my Aadhar Card, PAN Card and School documents. Concerned please may note.

ANITA DEVI
w/o Sh. Sushil Kumar,
r/o Village Kolu Ki Kawali, P.O. Ghanahatti,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171 011.

CHANGE OF NAME

I, Reena aged about 38 years w/o Sh. Hemant Kumar, r/o Village Nehwat, P.O. Pahal, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171 007 declare that I have changed my minor son's name from Bupesh (Old Name) to Bhupesh (New Name). All concerned please may note.

REENA
w/o Sh. Hemant Kumar,
r/o Village Nehwat, P.O. Pahal,
Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171 007.

CORRECTION OF NAME

I, Girikshit Kumar s/o Late Sh. Vijay Kumar, r/o V.P.O. Badhalag, Sub-Tehsil Krishangarh, Distt. Solan (H.P.) declare that in my PAN Card No. OWDPK3964E & Aadhar Card my father's name is wrongly entered as Jitender Kumar, which should be corrected as Vijay Kumar. Please correct this.

GIRIKSHIT KUMAR
s/o Late Sh. Vijay Kumar,
r/o V.P.O. Badhalag,
Sub-Tehsil Krishangarh,
Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sunny Garg s/o Sh. Subhash Chand Garg, r/o LIG-74, Up-mohal Parwanoo, Sector 1, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.)-173 220 declare that I have changed my minor daughter's name from Baby of Charu Garg to Kritvi Garg. Please note all concerned for further.

SUNNY GARG
s/o Sh. Subhash Chand Garg,
r/o LIG-74, Up-mohal Parwanoo, Sector 1,
Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.)-173 220.

CHANGE OF NAME

I, Atma Ram s/o Sh. Narayan Ram, r/o Village Rouri (749), Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Himansh Kumar to Himanshu. Please note all concerned for further.

ATMA RAM
s/o Sh. Narayan Ram,
r/o Village Rouri (749),
Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vijay Rana s/o Sh. Kalo Rana, c/o Swaroop Kumar, Nehra Kamhali (170), Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Sujal to Sujal Rana. Please note all concerned for further.

VIJAY RANA
s/o Sh. Kalo Rana,
c/o Swaroop Kumar,
Nehra Kamhali (170), Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ram Kumar s/o Sh. Brahma Nand, r/o Vill. Asha Manjhari, P.O. Jukhala, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Ram Kumar to Shri Ram Kumar. Concerned note.

RAM KUMAR
s/o Sh. Brahma Nand,
r/o Vill. Asha Manjhari, P.O. Jukhala,
Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Padma Verma w/o Sh. Yashvant Kumar, r/o Vill. & P.O. Wagnaghat, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Kumari Padma to Padma Verma. Please note all concerned department and person for further and made necessary changes.

PADMA VERMA
w/o Sh. Yashvant Kumar,
r/o Vill. & P.O. Wagnaghat,
Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Harish Singh s/o Sh. Mahender Singh, r/o VTC Bhamrara (911), P.O. Bhojnagar, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Baby one of Pushpa Bhatti to Ritika Thakur. Please note all concerned for further.

HARISH SINGH
s/o Sh. Mahender Singh,
r/o VTC Bhamrara (911),
P.O. Bhojnagar, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suresh Kumar s/o Sh. Khushi Ram, r/o Vill. Kahan, P.O. Banah Ki Ser, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 024 declare that I have changed my name from Suresh Kumar to Suresh Bhardwaj. Please note all concerned for further.

SURESH KUMAR
s/o Sh. Khushi Ram,
r/o Vill. Kahan, P.O. Banah Ki Ser,
Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 024.

CHANGE OF NAME

I, Jayavanti w/o Sh. Sushil Kumar, r/o Kothu (119/2), Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Ruder Jhagta to Rudra Jhagta (Hindi name रुद्र झगटा). Please note all concerned for further.

JAYAVANTI
w/o Sh. Sushil Kumar,
r/o Kothu (119/2),
Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bouni Devi w/o Sh. Rati Ram, r/o Village Rashol, P.O. Kasol, Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Vini in my Aadhar Card. Now, I intend to correct my name as Bouni Devi in Aadhar Card. Concerned note it.

BOUNI DEVI
w/o Sh. Rati Ram,
r/o Village Rashol, P.O. Kasol,
Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Baldev Singh s/o Shri Mahant Ram, r/o Village Muchhwan, P.O. Karloti, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) do hereby declare that my son's name is wrongly recorded as Piyush in his Aadhar Card. Whereas, his correct name is Piyush Rana. Piyush & Piyush Rana is one & same person. All concerned note.

BALDEV SINGH
s/o Shri Mahant Ram,
r/o Village Muchhwan, P.O. Karloti,
Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Shakuntla Devi w/o Sh. Babu Ram, r/o Village Rashol, P.O. Kasol, Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Devi in my Aadhar Card. Now, I intend to correct my name as Shakuntla Devi in Aadhar Card. Concerned note it.

SHAKUNTLA DEVI
w/o Sh. Babu Ram,
r/o Village Rashol, P.O. Kasol,
Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Nisar Khan s/o Sh. Salim Mohammad, r/o Village and P.O. Jhajra, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) hereby declare that my correct name is Nisar Khan, as recorded in my other documents however, my name was erroneously entered as Nishar Khan in my Aadhar Card. This should be corrected to read as 'Nisar Khan' instead of 'Nishar Khan'. Everyone please take note.

NISAR KHAN
s/o Sh. Salim Mohammad,
r/o Village and P.O. Jhajra,
Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajneesh Prabha w/o Sh. Shailesh Sharma, r/o # 198/11, Tarna Road, Distt. Mandi (H.P.)-175 001 declare that I have changed my name from Rajneesh to Rajneesh Prabha. All concerned please note.

RAJNEESH PRABHA
w/o Sh. Shailesh Sharma,
r/o # 198/11, Tarna Road,
Distt. Mandi (H.P.)-175 001.

